खण्ड-455, अंक-6
बुधवार, 05 श्रावण, शक संवत् 1927
(27 जुलाई, 2005 ई0)

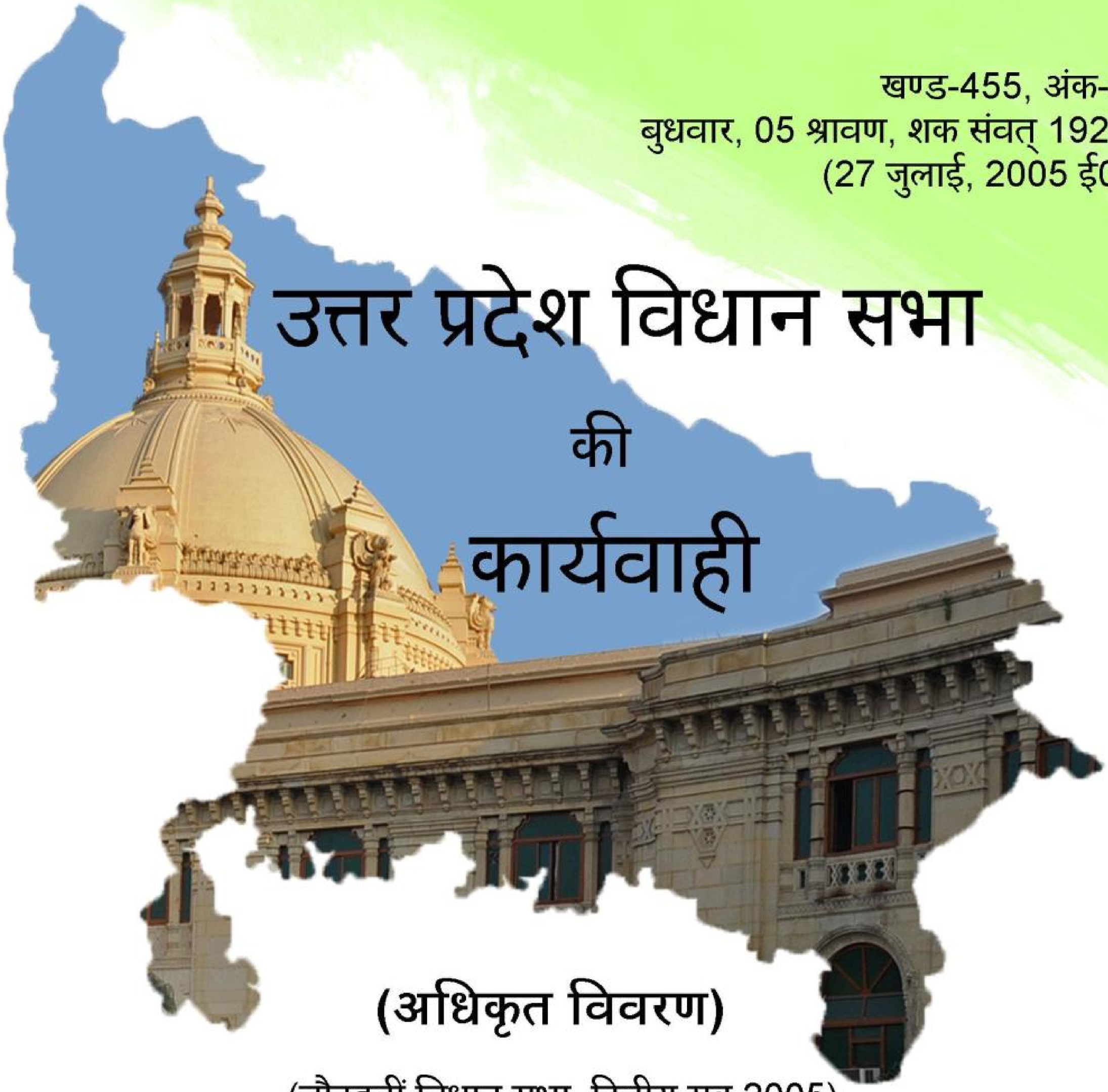

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2005)

खण्ड 455 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
नियम 56 की सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-30
कार्यसूची के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-7 को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी	30
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	31-32
जनपद-जालौन में श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय, बरगुआ, थाना रेढर के अभियुक्तों व पुलिस की सांठ-गांठ से की गई हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32-33
जनपद-अम्बेडकर नगर की टाण्डा तहसील में सरयू नदी की बाढ़ एवं कटान रोकने हेतु मुबारकपुर पश्चिमी गोडिया में ठोकर नं0 22 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
मेरठ के ट्रान्सपोर्ट नगर में निर्मित ऊपरी जलाशय व ट्यूबवेल हेतु पाइप लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33-34
चन्दौली के चकिया क्षेत्रान्तर्गत आदित्य नारायण राजकीय इण्टर कालेज में शिक्षक नियुक्त कर कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34
सुल्तानपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2002-2003 में पूर्वान्चल निधि राज्यांश से सड़कों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त जारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34
वर्ष 2004-2005 मे पी0 ए0 सी0/पुलिस कान्सटेबिलों की भर्ती में भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियुक्ति कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में बौद्ध परिपथ योजना में स्वीकृत कप्तानगंज-हाटा मार्ग पर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	36
बलिया के रसड़ा क्षेत्र में ईसाई मिशनरी स्कूल को अवैध कब्जे से मुक्त कराने व अतिक्रमण रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
सीतापुर के फायर ब्रिगेड स्टेशन को स्थानान्तरित कर जी0 टी0 रोड के किनारे बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37

विषय	पृष्ठ-संख्या
अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों को डामरीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37
नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत मनोरमा नदी का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37-38
सोनभद्र के जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	38
बाराबंकी के विकास खण्ड सिद्धौर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	38
सीतापुर के बिसवां तहसील के कतिपय ग्रामों को घाघरा नदी की बाढ़ एवं कटान से बचाने हेतु बांध बनाने एवं प्रभावित लोगों को पुनर्वास एवं मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	39
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं (जारी)	39-40
प्रदेश में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा अनुदानित विद्यालयों की सूची जारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	40-41
श्री जगदम्बिका पाल को पूर्व मुख्य मंत्री सम्बोधित किये जाने पर आपत्ति ...	42
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण (प्रस्तुत)	42
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	42-43
उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघो का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	43-44
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ...	44
विशेषाधिकार हनन की लम्बित सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ...	44-45
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	45-61
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में बढ़ते हुए वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय" के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (संकल्प वापस लिया गया) ...	62-67
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने हेतु प्रभावी नीति बनायी जाय।" के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (संकल्प अस्वीकृत)	67-73
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में विमुक्त जातियों के उत्थान हेतु छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय तथा सरकारी सेवा में उन्हें संख्या के आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराया जाय" के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (संकल्प अस्वीकृत)	73-78

विषय	पृष्ट-संख्या
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में आगरा स्थित ताजमहल को आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया भारत सरकार के प्रबन्धन में ही रखा जाय" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (संकल्प वापस लिया गया)	78-91
"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गरीब किसानों की फसलों को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर उन्हें दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाय" के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन	91
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	92-93
परिवार कल्याण महानिदेशक द्वारा ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत मिले ढाई करोड़ रुपयों से ऊंचे दामों पर चिकित्सा सामग्री एवं उपकरण खरीदकर धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु दयाल बाल्मीकी आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य	93-94
जनपद बागपत निवासी रिटायर्ड सूबेदार श्री नरेन्द्र सिंह की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने एवं उनकी पिस्तौल लूट लिये जाने के बावजूद सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	94-97
फैजाबाद, सुल्तानपुर मार्ग में श्री तेज बहादुर मिश्र एवं उनके भाई विजय बहादुर मिश्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु एवं उनका मोबाइल, पिस्टल एवं रुपया पुलिस कर्मियों द्वारा लूटे जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	97-100
रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु अवशेष धन अवमुक्त किये जाने एवं अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घूरा राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	100
जनपद मऊ स्थित छोटी सरयू नदी की सफाई के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि को अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक मसूद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ...	100-101
नत्थी	102-103

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-330

अर्कीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
श्री अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अर्जीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र, बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनन्जय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेन्द्र चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौधरी, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफुलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद,श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर,	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया बेगम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया

राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव,श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद

विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कटेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव		होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
"हरीश जी", श्री	वाराणसी		

नोट :- (1) श्री मुन्ना सिंह चौहान, सिंचाई मंत्री एवं श्री राम आसरे विश्वकर्मा, (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपास्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-56 की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, श्रमिकों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वह बहुत गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम 56 में है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

उसका हम पूरा डिटेल लेकर आये हैं।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

सरकारी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को सरकार के खर्चे पर हेपेटाइटिस बी0 का टीका लगाने की मांग

*1- श्री राम इकबाल सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सरकारी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को सरकार अपने खर्चे पर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने के लिये दिशा निर्देश, वैक्सीन तथा अन्य संसाधन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। भारत सरकार से अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्होंने जो उत्तर दिया है वह बहुत गोल मटोल दिया है और प्रदेश के उन लाखों बच्चों की जिन्दगी जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते हैं भारत सरकार पर छोड़कर आपने पल्ला झाड़ लिया। वह बच्चे इस प्रदेश के नागरिक हैं आपने बेरोजगारी भत्ता देने पर भी भारत सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी। यह इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें प्रत्येक वर्ष हजारों जिन्दगियां जा रही हैं। कहते हैं कि जब पीलिया ज्यादा हो जाता है तो हेपेटाइटिस बी हो जाती है। इसके बचाव के लिए गरीबों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ा टीका मंहगा जरूर है लेकिन इतना मंहगा नहीं कि सरकार उसे वहन न कर सके। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकारी विद्यालयों में जो कम से कम मिडिल स्तर के हैं प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने छात्र हैं और इनको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने पर कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे ? दूसरे अगर यह बोझ ज्यादा हो रहा हो तो क्या जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्रों को टीके सरकार अपने संसाधन से लगवायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्री राम इकबाल सिंह जी वरिष्ट सदस्य हैं और इस तरह की बातों खास तौर से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के बारे में चिन्तित रहते हैं मन से रहते हैं इसका भाव ऐसा नहीं है कि वह दिखावा करते हों। इसी तरह से हमारा जवाब भी दिखावा नहीं है। यह भारत सरकार की स्कीम है जिसके तहत पैसा आता है। बहुत सी योजनायें ऐसी हैं जिन्हें राज्य सरकार चलाती है और बहुत सी योजनायें ऐसी हैं जिन्हें भारत सरकार चलाती है। बहुत सी योजनायें ऐसी भी होती हैं जिनमें भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार का भी योगदान होता है। लेकिन यह पूरी योजना भारत सरकार की है। इसमें दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं लखनऊ और कानपुर में। जिस तरह से संसाधन उपलब्ध होते हैं उतना ही समाज के लिये काम किया जाता है। कानपुर और लखनऊ में योजना चल रही है। अन्य जिलों के लिये पिछली बार आपके प्रश्न के जवाब में भारत सरकार से आग्रह किया था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को टीका लगाने की बात अच्छी है ऐसा होना चाहिए इसके लिये भारत सरकार से कहेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह-

आपके पास संसाधन हैं। भारत सरकार के ऊपर आप इस प्रदेश के बच्चों की जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं ? आप अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं ? यह उचित नहीं है। आप यह देखें कि किस तरह से कोई टैक्स लगाकर इस मानवीय प्रश्न पर विचार करके इन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं। भारत सरकार पर इसकी जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी मैं अनुरोध करूंगा कि अपने संसाधन से सबके लिये न कर पायें तो आपकी जो इच्छा प्रदर्शित होती है, गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चे जो प्रदेश के विद्यालयों में हैं उनको हेपेटाइटिस बी का टीका लगवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

क्या अपने संसाधनों से लगवायेंगे ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, तीन बार यह टीके लगते हैं और काफी महंगा है। यूं तो संविधान के वायदे के ऐतबार से प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। उस जिम्मेदारी को भी हमको मानना, पहचानना और करना है लेकिन यह सही है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र जो विकसित नहीं है, विकास के पथ पर है उसके सामने बहुत सी समस्याएं हैं और प्राथमिकताएं हैं। यह सही है कि हेपिटाइटिस बी का टीका गरीबी की रेखा से नीचे के बच्चों को लगाना चाहिए लेकिन जैसे ही भारत सरकार से इस योजना पर बड़ा सहयोग मिलता है या हम अपने संसाधन जुटा पाने में कामयाब होते हैं तो हम अवश्य इसके बारे में प्रयास करेंगें।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

यह तो एक प्रिवेन्शन की बात है कि यह रोग न हो लेकिन जिनको हो गया है उनके बारे में कोई विशेष व्यवस्था की गई है ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मैंने यह अर्ज किया है कि लखनऊ और कानपुर दो जिलों में पायलट योजना चल रही है।

श्री लाल जी टण्डन-

मैंने यह कहा कि यह रोकथाम के लिये है लेकिन जिनको सह संक्रमण हो गया है उनके लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री राम इकबाल सिंह-

जिस तरह से दो जनपदों में किया है और जनपदों में भी इसको लागू करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नियम तो सब पर लागू होगा। अभी दो जिलों में ही यह स्कीम है। दो जिलों के अलावा और कहीं नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

जिस तरह से भारत सरकार की सहायता से दो जिलों को एडाप्ट करके पायलेट योजना के रूप में किया है, उत्तर प्रदेश के संसाधन सीमित हैं लेकिन इसके बाद भी पूरे प्रदेश नहीं क्या एक दो जिलों को एडाप्ट करके, इस टीके को लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न आ गया है। राम इकबाल सिंह जी ने पूरा पूछ लिया है।

डा0. नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, कल कैंसर और हृदय रोग पर चर्चा हो रही थी तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश के हर चिकित्सालय में सरकार की तरफ से काफी सुविधायें दी गई हैं। मान्यवर, यह छात्रों के स्वास्थ्य की बात है। प्रदेश की सरकार हो, केन्द्र की सरकार हो, स्वास्थ्य की चिन्ता करना एक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा राम इकबाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट का आधा हिस्सा इसमें लगाये क्योंकि भारत सरकार से इसके लिये सुविधा प्राप्त होती है। कई जनपद मेरी जानकारी में हैं। इलाहाबाद में भी इसके टीके लगाये जाते हैं। भारत सरकार कितना धन इसके लिये मुहैया कराती है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने पहले भी कहा, राम इकबाल जी के प्रश्न के जवाब में कि भारत सरकार से इस बात के लिये सिफारिश की जायेगी। अब भी यही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से सिफारिश की जायेगी कि धन उपलब्ध कराये या इस स्कीम को बढ़ाये ताकि और भी जिले इसमें लिये जा सकें।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर बहुत प्रश्न हो गये। अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और फिर आज ज्यादा प्रश्न भी नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पायलेट योजना की बात चल रही है यह बहुत महत्वपूर्ण और लोकोपयोगी है। मैं

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो पायलेट योजना के लिये दो शहरों को चुना गया है। लखनऊ और कानुपर को तो इसको चुनने का मानक क्या है ? और क्या इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई संस्तुति की थी अथवा भारत सरकार ने स्वयं इन दो शहरों को चुना है और यदि उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति पर इन दो शहरों को चुना गया है ? तो जैसा आपने कहा पहले भी राम इकबाल जी के प्रश्न पर उत्तर दिया कि संस्तुति की जायेगी तो यह तो अब तक कर देनी चाहिए थी। कब तक संस्तुति करेंगे ? क्या वाराणसी को भी इसमें शामिल करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार तय करती है जल्दी संस्तुति की जायेगी।

सरकारी नौकरियों में विकलांगों के आरक्षण कोटे को पूरा करने की मांग

*2- श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या विकलांग कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी नौकरियों में विकलांगों का आरक्षण कोटा कितने प्रतिशत है ? यह आरक्षण कब से लागू किया गया ? क्या मा0 मंत्री जी विशेष अभियान चलाकर सरकारी नौकरियों में विकलांगों के आरक्षण कोटे को पूरा करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम नारायन)-

विकलांगजनों को लोक सेवाओं और पदों मे रिक्तियों का तीन प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है जो दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, श्रवणह्रास तथा चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात से ग्रसित व्यक्तियों के लिये पृथक-पृथक एक-एक प्रतिशत है। यह आरक्षण वर्ष 1997 से लागू है।

विकलांगजनों के लिये आरक्षण क्षैतिज प्रकार का है तथा इसके लिये रोस्टर प्रणाली लागू नहीं है। अतः अलग से विशेष अभियान चलाया जाना विधिक रूप से मान्य नहीं है किन्तु प्रदत्त आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप देखें उत्तर में कितना बड़ा विरोधाभास है। 1997 से यह आरक्षण प्रक्रिया लागू हुई है नीचे उसके कार्यान्वयन में बताया गया है कि विधिक रूप से मान्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें लिखा है अलग से विशेष अभियान चलाया जाना विधिक रूप से मान्य नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

1997 से कानून लागू है जब से यह सरकार आई है इसने इस आरक्षण को लागू कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ? इसकी उपलब्धि क्या है ? उपलब्धि पर ज्यादा जोर है। दूसरा प्रश्न है विकलांगों की रोजी-रोटी का कोई सहारा नहीं है कोई रोजगार नहीं है। ऐसे विकलांग जिनके दोनों हाथ-पैर नहीं हैं या हाथ नहीं है, पैर नहीं हैं उनके लिए यह सवाल उठाया है। हम चाहते हैं जो डेढ़

सौ रुपया इनको पेंशन मिलती है इससे तो वह घास भी नहीं खा सकते हैं तो सत्तू घोलकर खा लें, 40 परसेन्ट का जो लाभ है इनको मिलना चाहिए वह इनको नहीं मिल पा रहा है...

श्री अध्यक्ष-

सीधा प्रश्न पूछिए पेंशन बढ़ायेंगे या नहीं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आरक्षण सब प्रकार से लागू है तो इसकी उपलब्धि क्या है ? क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि ऐसे विकलांग जो 40 प्रतिशत से ऊपर हैं इनकी पेंशन को बढ़ाकर पांच सौ रुपये से ऊपर करेंगे ?

श्री श्याम नारायन-

1997 से 2003 तक माननीय खन्ना जी की सरकार थी यह शासन में थे, इन्होंने क्या किया ? में बताना चाहूंगा कि विशेष अभियान चलाया जाना विधिक रूप से मान्य नहीं है आरक्षण का लाभ 3 प्रतिशत अनुमन्य है। विकलांगजनों को आरक्षण क्षैतिज प्रकार का है इसके लिए रोस्टर प्रणाली लागू नहीं है। आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि यह पूरे संवर्ग पर लागू होता तो इसका पूर्ण लाभ विकलांगों को मिलता लेकिन रिक्तियों के सापेक्ष लागू है। इसलिए पूरा लाभ नहीं मिल रहा है यह अधिनियम भारत सरकार का है। पता नहीं आप लोगों ने क्या किया ? हमारी सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार है, वह समाज के अन्तिम व्यक्ति के चेहरे पर हंसी खुशी देखना चाहते हैं। यह तो हमारा विषय है। इसमें जितनी चिन्ता हमारी है, उतनी आपकी है, उससे हम सम्बद्ध हैं और इन दिनों जब से यह सरकार बनी है, विकलांगों के बारे में जितने अभियान चलाये गये और जितने इनके लिए कार्यक्रम रखे गये हैं, अभी तक कभी नहीं हुए हैं। यह सामाजिक सरोकार का प्रश्न है, हमने जागरूकता पैदा की है और भारत सरकार से बार-बार स्पष्टीकरण चाहा है कि अगर पूरे संवर्ग पर लागू कर दें तो इसका इसका पूरा लाभ उन्हें मिल सकेगा। हम खुद जाकर मिले थे। निकट भविष्य में संभावित है कि स्पष्टीकरण आ जायेगा। उसमें मैं आश्वस्त करता हूं कि उसके आते ही उसका लाभ मिलने लगेगा। उसमें कहीं भी कोताही नहीं होगी जो दूसरा प्रश्न है कि विकलांगजनों को लाभ मिल सके और उनका पुनर्वास हो सके इसके लिये हमारी कई योजनायें हैं लेकिन माननीय खन्ना जी जो चाहते हैं, हम उससे समबद्ध हैं और पूरी बात हम कर लेंगे और आश्वस्त कर देंगे कि आप जो चाहते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक' के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह खुद विकलांग हैं।

श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह विकलांग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में कब से अस्तित्व में आया है, विकलांग कल्याण, सचिव, विकलांग कल्याण निदेशक और

विकलांग कल्याण विभाग के जनपदों के अधिकारी ये कब से अस्तित्व में आये हैं और जब से मंत्री जी के पास यह विभाग आया है क्या मंत्री जी ने यह चिन्ता की है कि विकलांग कल्याण विभाग में कितने विकलांग नियुक्त हैं और काम कर रहे हैं और अब तक विकलांगों के पुनर्वास के लिये और उन्हें समाजोपयोगी बनाने के लिये क्या कोई नीति बनायी है या कोई कमेटी बनायी है ?

श्री अध्यक्ष-

आप एक सवाल कोई पूछिये।

श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक'-

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं, दो-तीन सवाल आ गये हैं, मैंने एक सवाल किया था कि विकलांग कल्याण विभाग में आज तक कितने विकलांगों की नियुक्ति हुई है और जैसा मूल प्रश्न था, क्या विकलांगों का कोटा अभियान चलाकर पूरा किया जायेगा ? मेरा दूसरा प्रश्न था कि विकलांग कल्याण विभाग कब से अस्तित्व में आया है, विकलांग कल्याण निदेशालय कब से बना है और उसके बनने के बाद से अब तक कितनी नियुक्तियां विकलांगों की हुई हैं और इसके साथ ही जो विकलांग इस सदन में हैं.....

श्री अध्यक्ष-

ये आपको समायोजित कर पायेंगे ? मंत्री जी, माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि विकलांग कल्याण विभाग में क्या विकलांगों का कोटा पूरा है ? यह महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक'-

अध्यक्ष जी, मैं आपका एक ओर संरक्षण चाहूंगा, क्या मंत्री जी ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हर मंत्रालय में यह जानने की कोशिश की है कि उस विभाग में कितने विकलांग नियुक्त हैं ? यदि नहीं, नियुक्त हैं तो क्या उनका कोटा भरा जायेगा ?

श्री श्याम नारायन-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1995 से यह विभाग समाज कल्याण विभाग से अलग हुआ कहां कितनी नियुक्तियां हुई हैं, ज्यादा तो नहीं हुई हैं, लिस्ट मेरे पास है, मैं आपके पास भिजवा दूंगा और अन्तिम प्रश्न जो माननीय सदस्य का है, मैं तो आपको मंत्री देखना चाहता हूं, यदि आप यहां आ जाते तो मैं रिक्त कर देता और आप बैठ जाते और मैं बड़ा खुश हो जाता, धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, शायद उस चिन्ता को गम्भीरता से लिया नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह कौन साहब हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मैं विधान परिषद् का सदस्य नहीं हूं।

(हंसी)

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने सभी क्षेत्रों में विकलांगों के आरक्षण की सुविधान दी है तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके मंत्रि-मण्डल में विकलांगों का प्रतिशत क्या है और अगर कहीं कमी है तो उसे पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो कर ही रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

उसकी प्रक्रिया भी तो बता दें।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप बैठ जाइये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में विधिक कठिनाई का जिक्र किया तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसको दूर करने के लिये क्या प्रयास कर रही है ? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो विभाग है तो वह विकलांग का कोटा पूरा कर ले वर्तमान में कहीं 5-7-9-10 पद रिक्त हैं तो उसमें यह कोटा पूरा करना सम्भव नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कोटा पूरा करने के लिये कोई नीति तो होगी। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसमें क्या किया ?

श्री श्याम नारायन-

मान्यवर, जवाब तो हमने दे दिया है। हम विभागों को निर्देश दे रहे हैं, अनुस्मारक भेज रहे हैं। विधि उन्हें इजाजत नहीं दे रहा है कि वह क्या कहें ? रिक्तियों के सापेक्ष उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को दर्जनों पत्र लिखे गये हैं निकट भविष्य में स्पष्टीकरण आने वाला है उत्तर दिलाने पर हम सक्षम हो जायेंगे और सारे विभाग सक्षम हो जायेंगे तो यह लाभ उन्हें दे दिया जायेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो दर्जनों पत्रों का जिक्र किया तो कृपया आप अपनी सरकार में भेजे गये अन्तिम पत्र की तिथि बता दें ?

श्री श्याम नारायन-

मान्यवर, इस समय तिथि तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन वह मैं पता करके माननीय सदस्य को बता दूंगा।

प्रदेश में एच0 आई0 वी0 पाजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि तथा रोकथाम हेतु उपाय

*3- श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में एच0आई0वी0 पाजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या इस लाइलाज बीमारी की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

जी, हां।

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रदेश में अब तक 10896 एच0आई0वी0 पाजिटिव रोगी चिन्हित किये गये हैं।

एड्स की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा लक्षित इन्टरवेंशन, यौन जनित रोगों के नियंत्रण व कन्डोम प्रोत्साहन, प्रचार-प्रसार, रक्त सुरक्षा, सर्वेलेन्स, प्रशिक्षण, एच0आई0वी0/एड्स हेतु "लो कास्ट कम्युनिटी केयर" तथा अन्तर्विभागीय समन्वय व सहयोग के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

एड्स रोगियों के निःशुल्क इलाज हेतु बी0एच0यू0, वाराणसी में एन्ट्री रिट्रोवायरल सेन्टर की स्थापना कर दी गयी है तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में भी यह सुविधा शीघ्र ही प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो भी कार्यक्रम का उल्लेख किया यह जो टैक्निकल नार्म्स हैं और उसके पीछे निहित जो कार्य किये जाते हैं उसके सम्बन्ध में आपने जो कहा तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे और दूसरा यह कि यह जो एच0आई0वी0 पाजिटिव की संख्या आपने उत्तर प्रदेश में चिन्हित की है वह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की चिन्ताजनक स्थिति को दर्शाता है। तो उसको देखते हुए क्या आपने, जो जिले विशेष रूप से इससे प्रभावित हैं, उसको आपने चिन्हित किया है, और यदि चिन्हित किया है तो वह कौन से जिले हैं और वहां पर आप कौन सा विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं और उस कार्यक्रम को चलाने का क्या कोई अच्छा परिणाम दिखा ? तीसरा मेरा छोटा सा सवाल है कि भारत सरकार का कार्यक्रम है तो इसके लिए कितना बजट उपलब्ध है ?

श्री जयवीर सिंह-

जहां तक विशेष रूप से कार्यक्रम बताने की बात है तो यह एक ऐसा रोग जिससे पूरा विश्व चिन्तित है। केवल हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इससे चिन्तित है। खास तौर से चिन्ता इसलिए है कि इसके लिए समुचित वैक्सीन डेवलेप नहीं हुई है। यह एक ऐसा रोग है जो असुरक्षित यौन सम्बन्धों से, संक्रमित रोगी के इन्ट्रावीनस ड्रग के इंजेक्शन से और संक्रमित मां से बच्चे में फैलता है। असुरक्षित यौन सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार परिवार कल्याण द्वारा किया जा रहा है पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि हम लोग इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। संक्रमित रोगी से जो खतरा रहता था, दूसरे में यह न फैले तो इसके लिए ब्लड बैंक को निश्चित रूप से सचेत कर दिया है।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 130 ब्लड बैंक हैं। यह प्राइवेट, सरकारी और मिलेट्री तीनों के मिलाकर हैं। इस तरह से हमने यह प्रयास किया है कि यह संक्रमित रोगी से दूसरे को न फैले। जहां तक इन्ट्रावीनस ड्रग यूजर का प्रकरण है, तो इससे इन्फेक्शन न हो इसके लिए हमने जितने सरकारी क्षेत्र में चिकित्सालय हैं उनको कह दिया है निडिल और सिरिंज का रियूज न करें। हमने कटर की व्यवस्था कर दी है। सिरिंज और निडिल का यूज एक बार हो और उसके बाद उसको

फेंक दिया जाय। संक्रमित मां से जो फैलने का डर बच्चे को रहता है, तो इसके लिए लीवार्डीन इन्जेक्शन हम दे रहे हैं ताकि यह दूसरी पीढ़ी में न फैले। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि कौन से जिले चिन्हित किये हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश का लो प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां .85 केस हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो केस पाये गये हैं वह वाराणसी जनपद के हैं। यहां पर 1442 केस हुए हैं। यह 1992 से शुरू हुआ है। दूसरे नम्बर पर इलाहाबाद है, जहां पर 793 केस आये हैं, तीसरे नम्बर पर लखनऊ में 750 केस आये हैं, चौथे नम्बर पर आगरा इसमें 646 केस आये हैं तथा पांचवे नम्बर पर गोरखपुर है जहां पर 255 केस हैं। हमारे पास पूरे प्रदेश की सूची है लेकिन मैं इन पांचों तक ही अपने आप को सीमित करूंगा। जहां तक जागरूकता का सवाल है इसके लिए परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे देश में राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया है जिसका संचालन राज्य में उ0 प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। इसका गठन प्रमुख सचिव, परिवार कल्याण की अध्यक्षता में हुआ है। इसका उद्देश्य 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के समाज के कार्यशील समूहों में एड्स के फैलाव को कम करना है। मान्यवर, इसका कोई रोगी होता है तो वह समाज के डर से बताना नहीं चाहता है। वह प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है। इसी के तहत कुछ स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था कर दी है कि वहां पर गोपनीय तरीके से कार्ड दिया जायेगा। हमने गोपनीयता को रखने का प्रयास किया है। मान्यवर, पहले वर्ष 2002 में 13776 लोगों को टेस्ट करने पर 1733 लोग एचआईवी पॉजिटिव चिन्हित किए गए थे, फिर हम लोगों ने जो जागरूकता अभियान चलाया उसके तहत वर्ष 2003 में 21630 लोगों को टेस्ट किया गया जिसमें 2130 लोग एचआईवी पॉजिटिव चिन्हित किए गए, इसी जागरूकता के चलते ही वर्ष 2004 में 29480 लोगों का परीक्षण किया गया जिसमें 2530 लोग एचआईवी पॉजिटिव चिन्हित किए गए हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

इसके लिए कितना बजट आपको उपलब्ध होता है ? या विगत तीन वर्षों में कितना बजट आपको इसके लिए मिला है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, इसके लिए अलग-अलग मदों में अलग-अलग बजट मिलता है। प्रायरिटी टारगेट के लिए 05 करोड़ 36 लाख रूपये का बजट मिला, आई0ई0सी0 के लिए चार करोड़ का बजट मिला, लो कास्ट एड्स केयर के लिए 135 लाख रूपये भारत सरकार से वर्ष 2004-2005 में प्राप्त हुआ है, और लगभग इतना ही इस वर्ष प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इसके लिए भारत सरकार से जो बजट मांगा जाता है, वह उपलब्ध हो जाता है, इसमें बजट की कोई कमी नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि आज उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में एचआईवी पॉजिटिव संक्रमित लोग हैं, जिनमें वाराणसी पहले नम्बर पर है, इलाहाबाद दूसरे नम्बर पर है, लखनऊ तीसरे नम्बर पर है, आगरा चौथे नम्बर पर है, गोरखपुर पांचवे नम्बर पर है, इसी तरह से पूरे प्रदेश के आंकड़े इनके पास हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी

से कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश के सभी जनपदों में एचआईवी पॉजिटिव बीमारी से संक्रमित लोग हैं, और माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि हमने हास्पिटल में डाक्टरों को कहा है कि वह इन्जेक्शन को रियूज न करें। मान्यवर, आज गांवों में जो झोलाछाप डाक्टर हैं, अगर वहां किसी को एड्स है या एचआईवी पॉजिटिव है तो उसकी जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है और वह किसी भी मरीज को कोई भी इन्जेक्शन लगा देता है और उसके बाद उसी इन्जेक्शन को दूसरे लोगों पर प्रयोग करते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी पर वही इन्जेक्शन का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण वहां के बूढ़ों में भी एचआईवी पॉजिटिव की बीमारी पाई जाने लगी है, जिसे आप भी स्वीकार करेंगें। तो क्या इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगें। जैसा कि अभी आपने कहा है कि अभी तक के लखनऊ में इसके लिए अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या वह प्रदेश के हर जनपद में जिला अस्पतालों में अलग से एचआईवी पॉजिटिव के वार्ड की व्यवस्था करेंगें ? दूसरी बात चिकित्सालयों में जो इस सम्बन्ध में आपने निर्देश दिए हैं, उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, तो क्या आप उनका अनुपालन सख्ती से करवायेंगें ? और इसके लिए आवश्यक उपकरण और दवाइयों की उपलब्धता हर जिला अस्पतालों में सुनिश्चित करवायेंगें ? दूसरे जो झोलाछाप डाक्टर हैं, उनको रोकने के लिए राज्य सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि है तो क्या है और अगर नहीं है तो क्या उसके लिए कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी या बना रही है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, जहां तक हर जिला अस्पतालों में एचआईवी पॉजिटिव के सम्बन्ध में अलग वार्ड बनाने की बात है तो मैंने अभी अपने उत्तर में बताया है कि वाराणसी और लखनऊ में मैंने इसके लिए अलग से व्यवस्था की है। मान्यवर, सारे जनपदों में जो चिकित्सालय हैं उनमें भी इसके परीक्षण के लिए किट्स उपलब्ध करा दिये गये हैं एचआईवी पॉजिटिव के परीक्षण के लिए। मान्यवर, इसके अतिरिक्त हम भारत सरकार से प्रस्ताव कर रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो व्यवस्था हो गयी है, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश मेरठ, वाराणसी आदि में व्यवस्था होनी है, वह व्यवस्था की जाए। उसकी स्वीकृति भारत सरकार प्रदान करे। मान्यवर, अलीगढ़ और आगरा का भी प्रस्ताव किया है। टेस्टिंग के लिए सारे जिलों में व्यवस्था की गई है। जहां तक झोलाछाप डाक्टरों का सवाल है उनके सम्बन्ध में शासन से शासनादेश जारी हो गया है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और बहुत से डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही हुई भी है और एफ0आई0आर0 भी अंकित हुई है और अभियोग भी पंजीकृत कर रहे हैं और बहुत से ऐसे डाक्टरों को जेल भी जाना पड़ा है। उनके खिलाफ सरकार लगातार अभियान जारी रखे हुए है और सरकार पूरी तरह से कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह संख्या बता दें कि कितने झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही हुई है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न से हटकर सवाल है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में उपायों की जानकारी देते हुए बताया है कि लो कास्ट कम्युनिटी केयर के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं तो यह स्कीम क्या है ? इसमें आपने बताया कि एक लाख 37 हजार रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय हुए हैं। तो इसे लो कास्ट के स्थान पर कुछ और शब्द कह देते।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, लो कास्ट से मतलब कम कीमत से है। अब आपको हर चीज में अगर कास्ट फैक्टर दिखाई देगा तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी यह बता दें कि इस स्कीम में जो पैसा आवंटित हुआ उसका उपयोग बता दें ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, लो कास्ट कम्युनिटी केयर में जो आपने उपयोग के बारे में पूछा है उसमें मैं बता दूं कि जो सिविल वर्क था उसमें जीरो खर्च हुआ है और परचेज आफ इक्यूपमेंट में 50 लाख रुपये खर्च हुआ है। ड्रग फार आपरच्युनिस्टिक इन्फेक्शन्स पर 60 लाख रुपये खर्च हुआ है और कम्युनिटी केयर सेंटर्स/ड्राप इन सेंटर पर 29 लाख रुपये खर्च किया गया है। इसी तरह से आई0ई0सी0 रिलेटेड टू पी0एल0डब्लू0एस0- इस पर 4.14 लाख रुपया खर्च किया गया है। और मान्यवर, कन्सलटेशन सर्विसेज पर मान्यवर, जीरो खर्च हुआ है। इस तरह से कुल मिला कर 140 लाख रुपये लो कास्ट एड्स पर खर्च हुआ है।

प्रदेश में दिमागी बुखार के रोकथाम हेतु शासन की कार्य योजना

*4-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में दिमागी बुखार के कारण अब तक प्रदेश में सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां। वर्ष 2001 से 2004 तक दिमागी बुखार के3763 रोगी थे, जिसमें से 697 मृतक हैं।

जी हां।

कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण भी कराया जा रहा है। रोग की जांच तथा उपचार व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसकी जांच तथा इलाज की सुविधा क्या उपलब्ध है, इसके लिये क्या वैक्सीन तैयार की जा रही है और तैयार की जा रही है तो क्या वह हास्पिटल में उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, क्या इस मस्तिष्क ज्वर की कोई दवा है ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां, मान्यवर, यह रोग वायरल इन्फेक्शन से होता है जो मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है और इसका इलाज उसके लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इसके इलाज और जांच की व्यवस्था जितने भी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और पीएचसी पर भी जांच की व्यवस्था है खास तौर से उत्तर प्रदेश के दो जिले इससे ज्यादा प्रभावित हैं जिनमें हम लोग टीकाकरण करा रहे हैं। खास तौर से यह बीमारी एक साल से 15 साल के बच्चे में फैलने का खतरा रहता है। जो मच्छर सुअर को काटता है या जंल पक्षियों को काटने के बाद बच्चों या सामान्य इंसान को काट लेता है तो उससे यह फैलने का खतरा रहता है। तो उन क्षेत्रों में गोरखपुर और कुर्शीनगर उसके आस-पास के दो मंडल को लेकर मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर,.....

श्री अध्यक्ष-

उसमें सिद्धार्थनगर है ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, है। बस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुर्शीनगर इन जनपदों में ज्यादा खतरा है उनमें हम लोगों ने एक योजना शुरू की है जिसमें टीकाकरण करा रहे हैं। एक साल से 15 साल के बच्चों को 4 लाख डोज टीकाकरण किया गया है। यह जो टीका दिया जाता है एक माह में दो बार और एक साल में तीसरी बार देने की व्यवस्था की है। इसका टीका लगाने के लिए इस बार 2 लाख डोज की व्यवस्था की है, टीकाकरण कराया जा रहा है। हम पूरी तरह से सजग हैं बीमारी की रोकथाम करने के लिए।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा दिमागी बुखार के 3763 रोगी थे जिनमें से 697 की मृत्यु हुई है इतना तो मान्यवर, आप स्वयं जानते होंगे कि सिद्धार्थनगर में अकेले मृत्यु हुई है। मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बस्ती, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ और पूर्वान्चल के जिलों में तमाम लोग इससे मरते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका उपचार कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इस मेनिनजाइटिस को रोकने के लिए जो प्रिवेन्टिव वैक्सीनेशन है, जिसकी कमी रहती है जिसकी कमी से यह बीमारी महामारी का रूप ले रही है तो इस मस्तिष्क ज्वर से बीमार होकर लोग मृत्यु की गोद में न जायं, इसके सम्बन्ध में वैक्सीन का इंतजाम करने के लिए क्या करेंगे ? यह शिमला के सोलन से आती है वहां उपलब्ध नहीं होती है तो बाहर से मंगाने की बात होती है तो मेनिनजाइटिस को रोकने के लिए प्रिवेन्टिव के लिए जो वैक्सीन है उसके लिए कोई व्यवस्था की है और कितने बजट का प्राविधान किया है ? यह कहा गया था कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में मेनिनजाइटिस के लिए एक रिसर्च की स्पेशल व्यवस्था होगी तो उसके सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की गयी ? क्या माननीय मंत्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जहां मस्तिष्क ज्वर से बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं तो उनके उपचार के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, प्रिवेन्टिव के तहत जो हमने वैक्सीन की व्यवस्था की है जिसकी 4 लाख डोज पिछले वित्तीय वर्ष में लिये हैं उसके लिए हमने 2 करोड़ 1 लाख 6 हजार रुपये खर्च किये हैं और यह बहुत ही कीमती वैक्सीन होती है फिर भी प्रदेश सरकार इसकी व्यवस्था करती है। 2 लाख डोज हम मंगा चुके हैं जिसको प्रिवेन्टिव तौर पर पिलाने का काम शुरू हो गया है अगस्त के बाद से यह बीमारी शुरू होती है तो इसी महीने में प्रिवेन्टिव के तौर पर शुरूआत हुई है अगस्त और सितम्बर के महीने में यह डोज पिला देंगे और जो प्रभावित जनपद हैं वहां डीडीटी का छिड़काव और एंटी बैक्टीरियल और लारवा नाशक जो दवाइयां हैं उनकी फागिंग की छिड़काव की अलग से व्यवस्था की गयी है। यह खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां मलिन बस्तियां हैं या सुअर बाड़ा है वहां पर छिड़काव और फागिंग करा रहे हैं।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में ही जापानीज इन्सेफ्लाइटिस के केसेज ज्यादा होते हैं उसमें कुशीनगर जहां से मैं आता हूं, वहां मस्तिष्क ज्वर के मरीज ज्यादा भर्ती होते हैं और मंत्री जी को मैं यह अवगत कराना चाहता हूं, संभवतः इनको ज्ञान होगा भी, कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ही इसका इलाज किया जाता है। मेडिकल कालेज, गोरखपुर में जब यह केसेज आते हैं, तो वहां पर मानक के अनुसार पूरी व्यवस्था नहीं है। एक ही चारपाई पर 2-2, 3-3 बच्चों को लिटाया जाता है, इसके अलावा फर्श पर भी लिटाया जाता है। मानक के अनुसार जो स्टाफ नर्सें और डाक्टर की तैनाती होनी चाहिये, वह नहीं है। सेक्शन मशीन जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, उसकी कमी है। एक रिसर्च सेन्टर बनाने की बात चली है। जैसा कि पाल साहब ने कहा है कि इस बीमारी के फैलने का समय आ रहा है, सितम्बर-अक्टूबर में मीजों की संख्या बढ़ जायेगी और पिवेन्टिव आस्पेक्ट के लिये, बचाव के लिये, जो सुअरबाड़े हैं, जो मच्छर सुअरों को काटते हैं, यदि वही मच्छर इंसानों को काट लेते हैं तो यह बीमारी होती है। इसी कारण मलिन बस्तियों में और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को यह रोग ज्यादा हुआ करता है। जिसको यह रोग एक बार हो गया, वह बच्चा जिन्दा रहकर भी मरे के समान है। वह विकलांगता का शिकार हो जाता है और परिवार के ऊपर पुरी जिन्दगी भर के लिये बोझ हो जाता है। न वह ठीक हो पाता है और न वह मरता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बहुत ही गंभीरता से इस प्रकरण को लेते हुये, जापानी इंसेफ्लाइटिस की इस बीमारी से बचने के लिए, जो व्यवस्था आपने इस साल किया है, उसकी जानकारी दे दें और जो कमी है, उसको समय रहते पूरा करने की कृपा करें।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका पानी लेकर सीरम परीक्षण कराया जाता है। मान्यवर, इसकी जांच की पूरी व्यवस्था गोरखपुर जिला चिकित्सालय में, रीजनल लैब लखनऊ में और एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में उपलब्ध है। अगर इसके अलावा भी जरूरत पड़ती है तो हम स्टेट के बाहर की लैब में भी परीक्षण कराते हैं। हमने इस बार पूरे प्रिवेन्टिव उपाय किये हैं, समुचित टीकाकरण की व्यवस्था कराये हैं। लैबों में समुचित उपकरण की व्यवसथा कराई है और आधुनिक

उपकरण की व्यवस्था करा रहे हैं। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस बीमारी के प्रति पूरी तरह सजग है और पूरी तरह संवेदनशील होकर व्यवस्था कर रही है।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैने मंत्री जी से दूसरा सवाल पूछा था और जवाब दूसरा मिला है। मैनें आपसे यह नहीं पूछा कि इस बीमारी से ग्रस्त रोगी का इलाज कराने से पहले उसका परीक्षण कराया जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी से सी0एस0एफ0 निकाला जाता है और सीरम की जांच की जाती है। मेरा इससे मतलब नहीं है। इस रोग के निदान के लिये दो चीजें हैं। इस रोग से ग्रस्त हो जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें प्रिवेन्टिव मीजर लिये जाते हैं। बचाव के उपाय किये जाते हैं। जैसे पल्स पोलियो अभियान में किया जाता है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं, वहां पर जापानी इंसेफ्लाइटिस हजारों बच्चों को हर साल हो रहा है, वहां पर कोई अभियान चलाकर वैक्सीनेशन करायें और जिन जनपदों में इसका फैलाव ज्यादा होता है, वहां स्प्रे करायें और बी0आर0डी मेडिकल कालेज में अलग से इसके लिये इन्तजाम मानक के अनुसार हों, यह मैनें मंत्री जी से कहा है, मैं इसके बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 21 जनपद इसमें चिन्हित किये गये हैं। इन जनपदों में प्रिवेन्टिव व्यवस्थाओं के तहत वहां के क्षेत्रों में विशेष रूप से डी0डी0टी0 50 प्रतिशत, डेल्टामैथ्रिन 2.5 प्रतिशत, मैलाथियान टेक्निकल, मैलाथियान 25 प्रतिशत, पायरिथम एक्टैक्ट 2 प्रतिशत के छिड़काव की कार्य योजना तैयार की है। जिलों को निर्देश हमने दिये हैं कि तात्कालिक रूप से दवा के छिड़काव की सुविधा सुनिश्चित करा दें। इसके उपचार के लिये सारे डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में व्यवस्था है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि छिड़काव के निर्देश दिये हैं। मान्यवर, वास्तविकता यह है कि मेनेनजाइटिस रोकने के लिये व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो सकी है। मृतकों की संख्या जो आपने बतायी है वह ऐसे केसेज हैं जो हास्पिटल में रिपोर्टेड हैं, बहुत से मामले ऐसे हैं जो सी0एच0सी0 तक पंहुच ही नहीं पाते हैं। इस रोग से बड़ी संख्या में मौतें हो रहीं हैं। इस रोग से ग्रसित जो बच्चे बच जाते हैं वह अपंग हो जाते हैं। पिछले दिनों यह तय हुआ था कि जो जिले चिन्हित किये गये हैं उनके लिये रिसर्च और उपकरणों तथा उपचार की व्यवस्था की जायेगी। तो इन आवश्यक चीजों के लिये राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैंनें बताया है कि दवाओं व आधुनिक मशीनों आदि की व्यवस्था हम कर रहे हैं। छिड़काव के संबंध में माननीय सदस्यों की शिकायतें आयीं हैं। हमने प्रदेश भर में निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों में जब छिड़काव किया जाय तो वहां के सभासद या अन्य जनप्रतिनिधि छिड़काव का प्रमाण-पत्र देंगें। इसी तरह से देहाती क्षेत्र में ग्राम सभा के प्रधान, ब्लाक प्रमुख या सम्बन्धित

विधायकगण आदि जब तक लिखकर नहीं दे देंगें तब तक छिड़काव नहीं माना जायगा। छिड़काव के लिये जनप्रतिनिधियों का सर्टीफिकेशन होगा कि छिड़काव हुआ है या नहीं हुआ है।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, यह विषय बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता को देखते हुए जो उत्तर आ रहे हैं, वह बहुत संतोषजनक नहीं हैं। यह पूरे प्रदेश के समस्त जनजीवन से जुड़ा प्रश्न है। इसकी गंभीरता को देखते हुये नियम-49 में लिखकर दिया है। इस पर चर्चा करा दी जाय।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस पर चर्चा हो जाय, मैं सहमत हूं। लेकिन क्या मंत्री जी को मालूम है कि डी0 डी0 टी0 से अब मच्छर नहीं मरते हैं। मच्छरों पर अब इससे ज्यादा जहरीली दवा असर करती है। इसमें पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है ? छिड़काव के अलावा कोई और बेहतर विकल्प क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है, जिससे मच्छर मारे जा सकते हैं ?

श्री जयवीर सिह-

मान्यवर, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग उन क्षेत्रों में छिड़काव कराते हैं जहां अलग-अलग मच्दरों से ग्रसित बीमारियों के रोगी चिन्हित होते हैं। क्यूलेक्स, एनाफलीज, अलग-अलग मच्छर हैं जिनसे अलग- अलग तरह की बीमारियां फैलती हैं। जिन क्षेत्रों में जो बीमारियां फैलती हैं उसी के हिसाब से डी0डी0टी0 आदि का छिड़काव करवाया जाता है। मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिये अलग तरह का छिड़काव किया जाता है। जहां पर मस्तिष्क ज्वर के रोगी हैं वहां पर अलग छिड़काव कराते हैं। अभी मैंने बताया है, मैलाथियान और पैराथियान दवाओं के छिड़काव का उल्लेख किया है जिन-जिन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है वहीं छिड़काव किया जा रहा है सारे प्रदेश में यह सम्भव नहीं है। जिस तरह का रोग होता है मच्छरों द्वारा काटने से उसका परीक्षण करके उसी तरह की दवाइयों का छिड़काव कराते हैं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि लैबोरेटरी की कमी पड़ जाती है तो बाहर से टेस्ट कराते हैं तो क्या सरकार द्वारा लैबोरेटरी की क्षमता बढ़ाये जाने की कोई योजना है ?

श्री जयवीर सिंह-

हम लैबोरेटरी में आधुनिक उपकरण लगा रहे हैं तो जब आधुनिक उपकरण लगायेंगे तो इससे निश्चित रूप से क्षमता में वृद्धि होगी।

श्री राजेश कुमार-

अभी माननीय मंत्री जी ने 25 जिलों का नाम लिया तो क्या उसमें जिला खीरी लखीमपुर है कि नहीं ? दूसरे हमारे यहां कुछ क्षेत्र शारदा नदी की कटान से प्रभावित हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित है और यहां शुगर फैक्ट्री भी है जहां रहने वाले लोग इस तरह की बीमारियों से प्रभावित हैं इनमें बिजुआ, बाकेगंज, गोला, बैझम आदि हैं, क्या यहां पर दवा का छिड़काव करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी क्या यहां पर मस्तिष्क ज्वर फैलता है ?

श्री जयवीर सिंह-

25 जिलों में यह जिला शामिल नहीं है।

डा0 विनोद तिवारी-

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि दवा का छिड़काव कराया जा रहा है और यह निर्देश दे दिये गये हैं कि जन प्रतिनिधियों से प्रमाण-पत्र लिया जाय और इसमें उन्होंने विधायक का नाम भी लिया तो मैं जानना चाहता हूं कि अब कितने मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई है और अब तक कितने प्रमाण-पत्र विधायकों द्वारा दिये गये हैं कि उनके यहां फागिंग या डी0डी0टी0 का छिड़काव हुआ है ?

श्री अध्यक्ष-

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री जयवीर सिंह-

इस समय इसकी सूचना नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल के बहुत से जिले व जहां बाढ़ आती है वहां पर पानी उतरने के बाद ऐसी जगहों पर प्रत्येक वर्ष हजारों लोग काल कवलित होते हैं और जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच तो जाते हैं लेकिन वह जीवित रहते हुए विकलांग हो जाते हैं। इस प्रश्न का महत्व है, माननीय मंत्री जी जो उत्तर देने के लिये लाये थें वह उन्होंने सदन को उपलब्ध करा दिया। इस सवाल पर हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं। हम सरकार के भी विरोधी नहीं है, लेकिन यह लोक महत्व का प्रश्न है, अभी सदन चल रहा है, इसमें नेता विरोधी दल ने भी अनुरोध किया है, इस पर नियम 49 के अन्तर्गत कम से कम आधा घण्टे की चर्चा करा लें। क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर और विचार और व्यवस्था करने की जरूरत है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, इस प्रश्न पर काफी विचार आ गये हैं, अब मेरे ख्याल से इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी मंत्री जी से कह रहा था और मैं सदन को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो कमी होगी, उसे सरकार दूर करेगी, इसमें मंत्री जी प्रयासरत रहे हैं, इसको और प्रभावी ढंग से कराया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा प्रश्न सदस्य लखीमपुर ने जो प्रश्न किया है, उसी से सम्बन्धित है। आपने अभी बताया कि लखीमपुर जनपद शामिल नहीं है। लेकिन यह सर्वविदित है कि पूरे प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप हैं उसके कारण बनते जा रहे हैं। ड्रेनेज की समस्या है, पानी के भराव की समस्या है। औद्योगीकरण की समस्या है। पर्यावरण की समस्या है। उन्होंने खुद कहा कि चीनी मिल लग गयी है वहां से उसकी

गन्दगी भी बहती है, इसकी भी समस्या है। मान्यवर, इसका कोई इलाज नहीं है केवल रोक थाम हो सकता है और रोक थाम के लिए आवश्यक है कि मच्छरों के जन्म को रोका जाय या उनको नष्ट किया जाय। इसलिए जहां यह समस्या पैदा हुई, जहां मस्तिष्क ज्वर के केसेज आए उनको चयनित कर लेना ही काफी नहीं है। प्रदेश में और भी जिले हैं, वहां के लोग भी इस बीमारी से बचे रहें इसका प्रयास किया जाना चाहिए। क्या पहले यह इन्तजार करेंगे कि वहां मस्तिष्क ज्वर से 5-6 लोग मर जाएं तब वहां पर इसे बचाव के उपाय किये जायेंगे। समस्त प्रदेश को इस सीमा में लेकर इसके बचाव के लिए, रोकथाम के लिए कार्यवाही करें और इसका आश्वासन दें।

श्री जयवीर सिंह-

मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि सारे मच्छर रोगवाहक नहीं होते। कुछ हो सकते हैं। मच्छर संक्रमण फैलाने का काम करते हैं। हमने क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा है और उसके अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को उनके नाम बता देता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

यह मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न जनहित का है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय मंत्री जी विभागीय उत्तर के आधार पर सूचना दे रहे हैं। मान्यवर, आप स्वयं अवगत हैं कि सिद्धार्थनगर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न है, इस पर आप चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दें।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं लिखकर दे रहा हूं।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ज्यादा चिन्तित हैं। मैं बता रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है उनका हमने चयन किया है, उनके नाम हैं बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त कबीरनगर, बहराइच, खीरी, गोण्डा, आजमगढ़, मऊ, बलिया।

श्री राजेश कुमार-

मंत्री जी बतायें कि किन-किन गांवों में दवा का छिड़काव किया गया है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, चर्चा कराने की घोषणा तो कर दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(श्री प्रमोद कुमार व श्री राम नरेश यादव के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, आपने भेजा है तो हम उस पर विचार करेंगे। इसी समय कैसे घोषणा करेंगे ? तिवारी जी, आप तो आदर्श विधायक हैं। यादव जी आपने लिखकर दे दिया, अब आप बैठ जायं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

*[दिनांक 20-7-05 को तारा0 प्र0 सं0-7 द्वारा उत्तरित।]

प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों तथा उपचार गृहों को प्रोत्साहित करने हेतु स्वास्थ्य नीति बनाने की मांग

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

*6-क्या मुख्यमंत्री प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों तथा उपचार गृहों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई स्वास्थ्य नीति बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो इस प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति का मसौदा क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था कि क्या मुख्यमंत्री जी प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों तथा उपचारगृहों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाने पर विचार करेंगे ? उसका उत्तर सरकार की तरफ से आया है जी नहीं । मान्यवर, यह उत्तर स्वयं ही विरोधाभासी है। अभी कुछ देर पहले प्रथम प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारे वित्तीय संसाधन इतने नहीं हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे के छात्रों को हेपिटाइटिस बी का टीका लगा सकें जबकि संविधान के अन्दर सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है, यह आप भी जानते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि यह मेरी जिज्ञासा है। क्या वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सकों और चिकित्सालयों की जो संख्या है वह जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए अपर्याप्त है। चिकित्सा जगत में निजी क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी से माननीय मंत्री जी सहमत है ? यदि नहीं, तो जब चेयरमैन अपोलो डा0 प्रताप रेड्डी को उत्तर प्रदेश विकास परिषद् में नामित किया। उस वक्त यह तर्क दिया गया था कि अपोलो जैसे अस्पताल प्रदेश में स्थापित किये जायेंगे तो निजी क्षेत्र की भागीदारी ले रहे हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए स्पष्ट नीति बनाने कि लिए क्या सरकार ने विचार नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष-

कई प्रश्न एक साथ न पूछिये।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

वर्तमान मे जो प्रदेश की जनसंख्या है, उसके अनुसार क्या चिकित्सालयों में चिकित्सक पर्याप्त संख्या में हैं ?

श्री जयवीर सिंह-

पूरे प्रदेश में हर ब्लाक स्तर पर 3640 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे उनको उर्च्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है धन की उपलब्धता के अनुसार हम उर्च्चीकरण का काम कर रहे हैं। 30 हजार की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो हैं उनको उर्च्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलेंगे। ताकि जनता को चिकित्सा कराने में दिक्कत न आये इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं हम चाहते हैं किसी मरीज को ऐसी हालत पर हम न छोड़ें, हम चिकित्सा सुविधा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

आपने बताया कि 30 हजार की जनसंख्या पर चिकित्सालय बना दिये गये। इससे पूरा सदन सहमत है। मैं सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन सरकारी चिकित्सालय पूरी तरह से फ्लाप हो चुके हैं। पी0एच0सी0 नहीं हैं दवाएं नहीं है। मेरा कोई परिजन बीमार पड़ जाए तो वह निजी नर्सिंग होम में जाता है। मैंने सरकार के खर्चे की बात नहीं की और न सरकार से किसी खर्चे की बात कही। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कोई नीति, कोई स्पष्ट नीति बनाने पर विचार करेगी ? मंत्री जी ने उत्तर दिया, उसके क्रम में मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार यह नहीं चाहती कि जनता को निजी क्षेत्र के माध्यम से विशेष स्तरीय चिकित्सा मिले। बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्र में डाक्टर चिकित्सा दे सके और अच्छे निजी अस्पताल स्थापित हो सकें।

श्री जयवीर सिंह-

अभी कुछ दिन पहले विपक्ष की ओर से सवाल आया कि निजी क्षेत्र में प्राइवेट डाक्टर काम कर रहे हैं। मनमाने तरीके से फीस ले रहे हैं और मनमाने तरीके से कार्यप्रणाली अपनाये हैं। अनट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ से काम ले रहे हैं। इन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए जो इस तरह की कार्यप्रणाली अपना रहे हैं। दूसरी तरफ प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं। प्रोत्साहन के बारे में सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए इच्छुक है कि प्रदेश में अपोलो जैसे अस्पताल हों। एन0आर0आई0 को उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के माध्यम से आमंत्रित किया गया। उच्च स्तरीय विशेष चिकित्सा हो सरकार को सुविधा देने में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट नर्सिंग होम हैं उन पर गौर करना है।

श्री अध्यक्ष-

एक महत्वपूर्ण प्रश्न बचा है।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

अपोलो सरीखे अस्पताल आएं एन0आर0आई0 आएं इन्होंने कहा, मेरा प्रश्न यह है कि स्पष्ट नीति बन जाए तो चिकित्सा व्यापार नर्सिंग होम को, निजी अस्पताल को सबको विनियमित किया जा सकता है, जनता से उचित मूल्य लिया जाए और इसके सम्बन्ध में मैंने कहा कि स्पष्ट नीति बनाने पर क्या विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

बात आ गयी ।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय में झोला छाप डाक्टरों के सम्बन्ध में एक वाद लम्बित है। इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनायी गयी थी जिसमें सचिव और तकनीकी लोग सदस्य थे, उस समिति की संस्तुतियों के आधार पर हम लोगों ने एक रेगुलेटरी एक्ट बनाकर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है और उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा है और उसकी स्वीकृति के बाद हम लागू भी कर देंगे।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, एक सवाल बचा है।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, इसके साथ ही साथ हम लोगों का यह प्रयास है कि जो बाहर के एन0आर0आई0 आयें, प्रदेश में अच्छी सुविधाओं के साथ, संसाधनों के साथ, यहां करें, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है और जो अलग से आपने पूछा है, उसके लिए हम लोगों रेगुलेटरी एक्ट बनाया है और वह न्यायालय में सब्मिट है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने अभी उत्तर में कहा कि प्रत्येक 30 हजार की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो आज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, क्या उनको पूरा करने के लिए मंत्री जी गम्भीर हैं ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सम्बन्धित इसलिए है कि मंत्री जी ने 30 हजार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बात कही है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न संख्या-8, श्री प्रदीप जैन।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं, तो नियमों में दीजिएगा।

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दें, यह मेरा आग्रह है।

*7-श्री सोबरन सिंह-

[2सरे गुरुवार के तारा0 प्र0 सं0-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में बर्न यूनिट एवं न्यूरोलॉजी विभाग तथा सी0 टी0 स्कैन की व्यवस्था किये जाने की मांग

*8-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में बर्न यूनिट एवं न्यूरोलॉजी विभाग कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मेडिकल कालेज में सी0टी0 स्कैन मशीन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

10 शैय्याओं का बर्न वार्ड बनकर तैयार हो चुका है। आवश्यक उपकरणों एवं साज-सज्जा के क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर संचालित किया जायेगा।

मेडिसिन विभाग के अन्तर्गत न्यूरोलॉजी यूनिट हेतु स्वीकृत लेक्चरर का पद रिक्त होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज ही मुझे अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के माध्यम से जानकारी मिली है कि 8 करोड़ 37 लाख रुपये महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी को आवंटित किये गये हैं यहां पर जो बर्न यूनिट है, मान्यवर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केवल यही मेडिकल कालेज है, किसी के जलने पर समय से उपचार न हो पाने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। मान्यवर, वहां की बर्न यूनिट की साज-सज्जा के लिए बहुत ज्यादा धनराशि की जरूरत नहीं है लेकिन शासन ने महानिदेशक को आज तक इसके लिए निर्देश नहीं दिये हैं, जिससे समस्या बनी हुई है। मान्यवर, दूसरी बड़ी समस्या बुन्देलखण्ड की न्यूरोलॉजी के कारण है, इसके कारण 587 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 किलोमीटर दूर तक न्यूरोलॉजी नहीं है। मरीजों को इसके लिए ग्वालियर और कानपुर ले जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में मरीज रास्ते में ही

दम तोड़ देता है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा मेडिकल कालेज है, लेकिन उस मेडिकल कालेज के अन्दर, न्यूरोलॉजी विभाग के अन्दर आज तक लेक्चरर की नियुक्ति नहीं हुई है और इसके कारण 587 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि झांसी में न्यूरोलॉजी विभाग होने के बावजूद लेक्चरर का पद रिक्त है तो उसमें लेक्चरर की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जैसाकि लिखित उत्तर में बताया गया है कि वार्ड बनकर तैयार हो गया है और उपकरणों के लिए पैसों की व्यवस्था की जा रही है और न्यूरोलॉजी विभाग में लेक्चरर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है और जल्दी ही इसकी व्यवस्था हो जाएगी।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, झांसी में करोड़ों रुपये की धनराशि दी जा रही है और उस धनराशि का उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें धनराशि की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि वहां पर न्यूरोलॉजी विभाग में लेक्चरर की नियुक्ति एक निश्चित समय सीमा के अन्दर हो। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था उसके खून बह रहा था और उसके जब चोट लगी तो हम उसे लेकर अस्पताल गये तो जो मेडिसिन के डाक्टर थे उन्होंने नाक बन्द कर दी। फिर हम उसे लेकर ग्वालियर गये तो वहां पर पता चला कि उसमें प्लाटिंग हो गयी है और मैनेजाइटिस हो गया है। मान्यवर, झांसी मेडिकल कालेज से दो बार पत्र महानिदेशक को प्रेषित किया जा चुका हैं न्यूरोलॉजी महत्वपूर्ण विभाग है इसलिए उसमें निश्चित समय सीमा के अन्दर लेक्चरर की नियुक्ति की जानी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, विगत दिनों संविदा पर डाक्टर रखे गये थे, चूंकि न्यूरोलॉजी का मामला है उसकी व्यवस्था की जा रही है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, सी0टी0 स्कैन मेडिकल कालेज में कब तक लग जायेगा ? कृपया माननीय मंत्री जी एक निश्चित समय सीमा बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रश्न के जवाब में ही कहा गया है कि यह व्यवस्था यथाशीघ्र की जाएगी और बर्न वार्ड की भी जरूरत है सच तो यह है बर्न वार्ड की पूरे प्रदेश में कमी है। ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसाकि सफदरगंज अस्पताल में है। उसके लिए प्रयास किये जा रहे है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेडिकल कालेजों में सी0टी0 स्कैन नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने सरकारी मेडिकल कालेज हैं क्यों न उन्हें यह सुविधा दी जाये कि वह प्राइवेट सी0टी0 स्कैन मशीन को अपने यहां लगवा सकें और मरीजों को सस्ते दर पर सी0टी0 स्कैन की सुविधा मिल सके ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष-

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है जबकि यह प्रश्न झांसी से सम्बन्धित है।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद कानपुर तथा लखनऊ मण्डल के कतिपय प्रोवेशन अधिकारियों द्वारा उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों के कर्तव्य का निर्वहन करते समय वाहन भत्ता जमा न करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद, कानपुर तथा लखनऊ मण्डल में ऐसे कितने जिला प्रोवेशन अधिकारी हैं, जिन्होंने अप्रैल, 1997 से अप्रैल, 2001 तक की अवधि में अपने कार्यकाल के दौरान उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों के भी कार्यों का निर्वहन किया है ? क्या उक्त पदों पर चार्ज के दौरान शासकीय वाहन का उपयोग किये जाने पर नियमानुसार उनके वेतन से प्रतिमाह वाहन भत्ता के रूप में रु0 400/- की धनराशि राजकीय कोष में जमा करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों से प्रश्नगत धनराशि की वसूली करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

प्रकरण में जांच कराई जा रही है, जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़वार का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

2-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले बुधवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 57 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़वार का निर्माण कार्य क्या पूरा करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार समय से निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

निर्माण एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण।

जांच करने के निर्देश प्रबन्ध निदेशक राजकीय निर्माण निगम को दे दिये गये हैं। जांच में पाये जाने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मातृ एवं शिशु कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत आई0 सी0 डी0 एस0 तृतीय परियोजना में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश दिये जाने पर विचार

3-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सरकार को जानकारी है कि मातृ एवं शिशु कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत आई0 सी0 डी0 एस0 तृतीय परियोजना में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश

दिये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जी नहीं।

विश्व बैंक सहायतित आई0सी0डी0एस0-तृतीय परियोजना की अवधि दिनांक 31-03-2006 तक है। अतः अल्प अवधि के लिए प्रसूति अवकाश दिये जाने पर विचार करने का औचित्य नहीं है।

झांसी जनपद में अस्पतालों के लिए फर्नीचर क्रय करने हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि के सम्बन्ध में जांच

4-श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अस्पतालों के लिये फर्नीचर क्रय करने हेतु झांसी जनपद के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कितनी धनराशि का सामान क्रय किया गया ? क्या क्रय की गयी सामग्री अनुबन्ध की दरों एवं मानकों के अनुसार क्रय की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

वर्ष 2001-02 में रु0 6,96,300 की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष रु0 6,95,463 का व्यय हुआ एवं रु0 837 अवशेष रहा। फर्नीचर सामग्री अनुबन्धित दरों (डी0आई0 अनुबन्ध) एवं मानक के अनुसार क्रय की गयी।

जनपद झांसी में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किये जाने का निर्धारित मानक

5-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? झांसी जनपद में वर्ष 2004-05 में कितने प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्राप्त हुए ? उक्त वर्ष में कुल कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध जनों, जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 3.25 एकड़ से अधिक भूमि न हो अथवा शहरी क्षेत्र में जिनकी मासिक आय रु0 1,000 तक है, को जनपद के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य की सीमा तक वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने का मानक निर्धारित है।

झांसी जनपद में वर्ष 2004-05 में वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1746 नवीन आवेदन पत्र प्राप्त हुए। रिक्तियों के सापेक्ष 562 नवीन पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के जिला चिकित्सालय में रैन बसेरा के निर्माण की मांग

6-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र झांसी के जिला चिकित्सालय में रैन बसेरा का निर्माण कार्य विगत 3 वर्षों से अपूर्ण पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा भूतल पर दुकानें तथा प्रथम तल पर रैन बसेरा का निर्माण कराया जा रहा था। शासकीय नीति के अनुसार किसी भी चिकित्सालय परिसर में व्यावसायिक भवन के निर्माण पर रोक होने के कारण कार्य रुका हुआ है। जिलाधिकारी, झांसी के सुझाव के अनुसार निर्माण कार्य पर किये गये व्यय के आंकलन हेतु कार्य की लागत का आगणन एवं प्रस्ताव तैयार करके बुन्देलखण्ड विकास निधि से धन की स्वीकृति प्राप्त कर झांसी विकास प्राधिकरण को भुगतान करके सम्पूर्ण भवन (भूतल एवं प्रथम तल), जिला चिकित्सालय, झांसी को दे दिये जाने के उपरान्त ही चिकित्सा विभाग द्वारा अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहडौर के अधीक्षक तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध जांच की मांग

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहडौर के अधीक्षक तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध जांच कराये जाने एवं निष्पक्ष जांच की दृष्टि से उन्हें अन्यत्र हटाते हुए कार्यवाही कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-126609/05, दिनांक 16-6-05 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

इसे महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जांच हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फार्मेसिस्ट के पद पर पदोन्नति करने विषयक पत्र

8-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह राणा, राज्य मंत्री परिवहन का पत्र दिनांक 24-3-2005 एवं श्री राजाराम पाण्डेय, खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री, उ0 प्र0

शासन का पत्र संख्या-515/वी0आई0पी0/ एम0के0आई0/2005, दिनांक 11-4-2005 जो होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति फार्मेसिस्ट के पद पर करने का प्राविधान नियमावली में करने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)-

जी हां।

वर्ष 1991 से होम्योपैथिक भेषजिक सेवा नियमावली प्रख्यापित है, जिसके अन्तर्गत होम्योपैथिक भेषजिकों की शैक्षिक एवं प्राविधिक अर्हतायें निर्धारित हैं। उक्त सेवा नियमावली में चतुर्थ श्रेणी के पदों से भेषजिक के पदों पर पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है। होम्योपैथिक भेषजिक का पद तकनीकी पद है। अतः चतुर्थ श्रेणी के पद से होम्योपैथिक भेषजिक के पद पर पदोन्नति हेतु सेवानियमावली में संशोधन का कोई औचित्य नहीं बनता।

होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में कार्यरत वार्ड ब्वायों को फार्मेसिस्ट के पदों पर पदोन्नति किये जाने की मांग

9-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मिथिलेश कुमार, राज्य मंत्री पंचायती राज, उ0 प्र0 का पत्र संख्या-91/वी0आई0पी0/रा0मं0पं0/वी0आई0पी0/2004, दिनांक 14-1-2004 एवं श्री राजा राम पाण्डेय, मंत्री, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग, उ0 प्र0 शासन का पत्र संख्या-1125/वी0आई0पी0/एम0 के0आई0/2004, दिनांक 10-9-2004 एवं पत्र संख्या-225/वी0 आई0 पी0/एम0 के0 आई0/2005, दिनांक 23-2-2005 जो होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में कार्यरत वार्ड ब्वायों को फार्मेसिस्ट के पदों पर पदोन्नति किये जाने विषयक थे, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0 से सूचना प्राप्त की गई। उ0 प्र0 होम्योपैथिक भेषजिक नियमावली-1991 में वार्ड ब्वायों को फार्मेसिस्ट के पदों पर पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है। अतः श्री शिव प्रसाद, वार्ड ब्वाय की फार्मेसिस्ट के पद पर पदोन्नति सम्भव नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्राथमिक विद्यालय से स्नातकोत्तर कक्षाओं तक छात्रवृत्ति देने का निर्धारित मानक

10-श्री राम करन आर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्राथमिक विद्यालय से स्नातकोत्तर कक्षाओं तक छात्रवृत्ति देने के क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? क्या बस्ती जनपद के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को शिक्षा सत्र 2004-2005 की

छात्रवृत्ति वितरित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त शिक्षा सत्र की छात्रवृत्ति कब तक वितरित कर दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद-

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त मांग के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि ग्राम पंचायतों/शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति खाते में स्थानान्तरित करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को नकद व उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति अनिवार्य रूप से दिये जाने की व्यवस्था की गयी है व कक्षा 9 से 10 में रु0 30,000 तक वार्षिक आय तथा दशमोत्तर कक्षाओं में रु0 1,00,000 तक वार्षिक आय वाले माता-पिता के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने का मानक निर्धारित किया गया है।

छात्रवृत्ति की उपलब्ध धनराशि वितरित कर दी गयी है।

छात्रवृत्ति जांचोपरान्त अवशेष पात्र छात्रों को भारत सरकार से धन उपलब्धता की स्थिति के अनुसार भुगतान की जायेगी।

भिखारियों के पुनर्वास हेतु बनाई गयी योजना

11-श्री मुंशीलाल गौतम-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने भिखारियों की गणना कराई है ? यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिये क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रदेश के 07 जनपदों में 08 राजकीय प्रमाणित संस्थाओं (भिक्षुक गृह) में भिक्षुकों को निरुद्ध करके उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर पुनर्वासित करने की योजना पूर्व से ही लागू है।

भिखारियों की गणना कराये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) में भिखारियों को निरुद्ध कर उनको निरुद्ध अवधि में निःशुल्क भरण-पोषण, आवास, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए सिलाई, कताई, बुनाई, चमड़े के सामान बनाने का कार्य होजरी काष्ट कला, बेंतकला, इत्यादि में प्रशिक्षण देकर पुनर्वासित करने की व्यवस्था है।

जिला झांसी के अस्पताल में कुत्ते काटने का इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग

12-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिला अस्पताल को 1 जनवरी, 2004 से 22 जून, 2005 तक कुत्ते काटने के कितने इंजेक्शन उपलब्ध कराये गये ? क्या सरकार उक्त इंजेक्शनों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

झांसी जिला अस्पताल को 1 जनवरी, 2004 से 22 जून, 2005 तक केन्द्रीय औषधि भण्डार, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा 3964 वायल कुत्ते काटने का इंजेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। मरीजों के आने पर उन्हें इंजेक्शन लगाये जाते हैं।

चिकित्सालयों की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार एन्टी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकार द्वारा नये परियोजना केन्द्र खोलने पर विचार

13-डा0 सुशील चौधरी-

क्या महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये परियोजना केन्द्र खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

केन्द्रों की स्थापना भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त की जाती है। प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 21-7-2005 को प्रेषित है, तथा भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर स्थापित किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ स्थित डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में दवाओं की चोरी रोकने व उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

14-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ स्थित डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में जनवरी, 2005 से 20 जून, 2005 तक दवाओं की चोरी के कितने मामले प्रकाश में आये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चोरी करने वालों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में जनवरी, 2005 से 20 जून, 2005 तक दवाओं की चोरी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहडौर में की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को रोकने की मांग

16-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री का पत्र सं0/सी0एम0/वि0को0/एम- 126609/05, दिनांक 16-6-05 एवं क-3/378056, दिनांक 7-6-05 एवं उनका आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/एम- 124358/05, दिनांक 4-5-05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहडौर, प्रतापगढ़ में की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

इसे महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0 प्र0, लखनऊ को जांच हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य हेतु आवंटित धनराशि

17-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी को कितनी धनराशि आवंटित की गई और उस धनराशि से कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये तथा उस पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वित्तीय वर्ष 2004-05 में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी को आयोजनेत्तर पक्ष में 837.20 लाख तथा आयोजनागत पक्ष में 124.98 लाख की धनराशि आवंटित की गई जिसमें से आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशि में से लघु निर्माण मद में रु0 7.50 लाख एवं अनुरक्षण मद में रु0 22.00 लाख आवंटित की गई। उक्त धनराशि से कराये गये कार्य एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 102-103 पर)

जनपद मेरठ के सरदार बल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय, मेडिकल कालेज के श्री विपिन त्यागी फार्मसिस्ट के विरुद्ध जांच की मांग

18-श्री बादशाह सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विपिन त्यागी, फार्मासिस्ट, सरदार बल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, मेरठ में बिना डिप्लोमा किये कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराते हुए दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री विपिन त्यागी सरदार बल्लभ भाई पटेल मेरठ में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत नहीं हैं। वह ई0सी0जी0 टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं और धारित पद की अर्हता को पूर्ण करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में कार्यरत डा0 कुलदीप माथुर (चिकित्साधिकारी) के निवास स्थान में की गई धोखाधड़ी की जांच

19-श्री रमेश चन्द्र बिन्द, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री अब्दुल मन्नान-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय स्थित होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में कार्यरत डा0 कुलदीप माथुर (चिकित्साधिकारी) द्वारा राजकीय सेवा में भर्ती के समय सेवा पुस्तिका में निवास स्थान का पता लखनऊ दर्शाया गया, परन्तु कतिपय समय उपरान्त जी0 पी0 एफ0 पास बुक तथा अन्य अभिलेखों में जनपद-मुरादाबाद दिखाकर धोखाधड़ी करके लखनऊ (गृह जनपद) में तैनाती प्राप्त कर ली है ? क्या यह सही है कि उक्त मामले में दि0 23-7-2004 को नियम-51 की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया था ? उस पर शासन ने जिलाधिकारी, मुरादाबाद से जांच के आदेश निर्गत किये हैं ? यदि हां, तो जब वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-3 नियम-81 (बी) के अनुसार सेवा पुस्तिका में अंकित निवास स्थान का पता (लखनऊ) ही डा0 माथुर का गृह जनपद है, तो फिर जिलाधिकारी, मुरादाबाद से जांच कराने का औचित्य क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला-

जी हां।

डा0 कुलदीप माथुर के गृह जनपद परिवर्तन विषयक अनुरोध-पत्र तथा शपथ-पत्र के परिप्रेक्ष्य में जांच कार्यवाही गतिमान है।

जी हां।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-3 नियम-81 (बी) में उल्लिखित प्राविधान यात्रा भत्ता नियमों से सम्बन्धित है। उल्लेखनीय है कि एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-31 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल में एक बार उसके गृह जनपद में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः डा0 माथुर के गृह जनपद परिवर्तन विषयक अनुरोध-पत्र/शपथ-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत जिलाधिकारी से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

कार्यसूची के नत्थी "क" के तारांकित प्रश्न संख्या सं0-7 को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सोबरन सिंह-

मान्यवर, क्रम संख्या-7 पर मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न दूसरे गुरुवार के तारांकित प्र0सं0-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री सोबरन सिंह-

मान्यवर, यह किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब यह दूसरे गुरुवार को लगा दिया गया है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 जुलाई, 2005 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री दया शंकर वर्मा	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डे, बरगुवां थाना रेढर, जनपद जालौन की अभियुक्तों व पुलिस की सांठ-गांठ से की गई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2	श्री लल्लू सिंह	अम्बेडकरनगर की टांडा तहसील में सरयू नदी की बाढ़ एवं कटान रोकने हेतु मुबारकपुर पश्चिमी गोडिया में लगाये गये ठोकर नम्बर 22 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में निर्मित ऊपरी जलाशय व ट्यूबवेल हेतु पांच किलोमीटर पाइप लाइन डलवाने के सम्बन्ध में।
4	श्री शिव तपस्या पासवान	चंदौली के चकिया क्षेत्रान्तर्गत आदित्य नारायण राजकीय इन्टर कालेज में कम्प्यूटर शिक्षक नियुक्त कर कम्प्यूटर शिक्षा देने के सम्बन्ध में।
5	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय	सुल्तानपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2002-2003 में पूर्वान्चल निधि राज्यांश से पांच सड़कों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री प्रताप चौधरी	वर्ष 2004-2005 में पी0 ए0 सी0/पुलिस कान्सटेबिलों की भर्ती में किये गये भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7	श्री सदल प्रसाद	गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति कर चिकित्सा सुविधा बहाल करने के सम्बन्ध में।
8	श्री राधेश्याम सिंह	कुशीनगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत बौद्ध परिपथ योजना में स्वीकृत कप्तानगंज-हाटा मार्ग पर अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री घूराराम	बलिया के रसड़ा क्षेत्रान्तर्गत इसाई मिशनरी स्कूल को अवैध कब्जे से मुक्त करने एवं अतिक्रमण रोकने के सम्बन्ध में।

1	2	3
10	श्री रामहेत भारती	सीतापुर मुख्यालय के फायर ब्रिगेड स्टेशन को स्वरूपनगर से स्थानान्तरित कर जी0 टी0 रोड के किनारे बनाये जाने के सम्बन्ध में।
11	चौ0 महेन्द्र सिंह	अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों को डामरीकृत करने के सम्बन्ध में।
12	श्री राम करन आर्य	नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत मनोरमा नदी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री परमेश्वर दयाल	सोनभद्र के जिला अस्पताल में कई विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा अभी तक कार्यभार ग्रहण न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
14	श्री राममगन	बाराबंकी के विकास खण्ड सिद्धौर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री महेन्द्र कुमार सिंह	सीतापुर की बिसवां तहसील के कतिपय ग्रामों को बाढ़ एवं घाघरा नदी के भीषण कटान से बचाने हेतु बांध बनाने एवं प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

चूंकि सभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं, इसलिए प्रतीक्षा सूची की श्री नवाब सिंह नागर एवं श्री लालजी वर्मा जी की सूचना अस्वीकार की गयी। इसके अतिरिक्त निम्न माननीय सदस्यों की सूचनाएं भी अस्वीकार की गयीं। श्री राम बिशुन आजाद, श्री सलिल बिशनोई, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री नरेन्द्र शिशौदिया, श्री कालीचरन राजभर, श्री मदन भैया, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी', श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री कौशल किशोर, श्री कल्याण सिंह दोहरे, डा0 पी0 के0 राय तथा डा0 विनोद तिवारी। स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।

(पढ़ी हुई मानी गयीं सूचनाएं संलग्न हैं।)

जनपद जालौन में श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय, बरगुआ थाना के अभियुक्तों व पुलिस की सांठ-गांठ से की गई हत्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दया शंकर वर्मा-

[मान्यवर, स्वर्गीय श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय एक संभ्रान्त व्यक्ति तथा कांग्रेस पार्टी के जनपद-जालौन के अच्छे कार्यकर्ता थे। उनकी गांव के ही एक परिवार से रंजिश चल रही थी। घटना पिछले माह दिन बजे घटित हुई थी और उनकी हत्या कर दी गयी, हत्या के एक दिन पूर्व वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थाना-रेंढर इत्तला करने आये थे कि इनके विपक्षी उनकी हत्या करने पर अमादा है जान-माल की सुरक्षा की जाये परन्तु वर्तमान में थाना-रेंढर में तैनात थानाध्यक्ष श्री गिरिवर गिर ने उनको गाली-गालौज करके थाने से भगा दिया। अगले दिन वह थाना-रेंढर फिर आये दिन के समय करीब 4.00-5.00 बजे उनकी-उनके लड़के की नामजद अभियुक्तों ने सरेआम लाठियों से मार-पीट की। करीब 100-150 लोगों के सामने मार-पीट की गयी तथा पुलिस व अभियुक्तों की सांठ-गांठ से अभियुक्त उनको म0 प्र0 की सीमा में मारते-पीटते ले गये और उनकी हत्या कर दी। स्वर्गीय श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय के परिवार के लोग इस घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना-रेंढर गये तो उनको थानाध्यक्ष ने लाठियों से पीटकर हवालात में बन्द कर दिया। स्वर्गीय श्री महेन्द्र कुमार की अभियुक्तों व पुलिस की मिली भगत से की गयी हत्या से दर्जनों गांवों में भय व्याप्त है, आम आदमी पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन में आने की अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें।]

जनपद अम्बेडकरनगर की टाण्डा तहसील में सरयू नदी की बाढ़ तथा कटान रोकने हेतु मुबारकपुर पश्चिमी गोडिया में ठोकर नं0 22 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, सरयू नदी की बाढ़ एवं कटान को रोकने हेतु तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर में डुहिया मुबारकपुर हेतु बाढ़ नियंत्रण परियोजना में 47 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करके वर्ष 98-99 में 20 लाख रुपये अवमुक्त किये गये थे। जिसका उपयोग डुहिया गांव की सुरक्षा में लगाया गया। शेष अवशेष धन अवमुक्त कराने हेतु मा0 सदस्यों द्वारा अनुरोध किये जाने पर वर्तमान समय का आंकलन करके 88 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी किन्तु इस योजना में टोकर नं0 22 का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि टोकर नं0 22 को लेकर परियोजना स्वीकृत हुई थी। टोकर नं0 22 को उक्त परियोजना में सम्मिलित करते हुए नदी की तरफ 50 मीटर लम्बा तथा किनारे की तरफ पूर्व की ओर 200 मीटर लम्बा पत्थर डलवा कर पिच करवाकर राहत प्रदान किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

मेरठ के ट्रान्सपोर्ट नगर में निर्मित ऊपरी जलाशय व ट्यूबवेल हेतु पाइप लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[मान्यवर, मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर में एक ऊपरी जलाशय व ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया है लेकिन पाइप लाईन पूरी न होने के कारण ट्यूबवेल पूरी क्षमता से कार्य नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर पा रहा है जिसके कारण जनता इस भीषण गर्मी में पेयजल के लिए तरस रही है। इस ट्यूबवेल का पूरी क्षमता से उपयोग हो सके इसके लिए पांच कि0मी0 पाइप लाइन की तत्काल आवश्यकता है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

चन्दौली के चकिया क्षेत्रान्तर्गत आदित्य नारायण राजकीय इण्टर कालेज में शिक्षक नियुक्त कर कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव तपस्या पासवान-

[मान्यवर, जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र चकिया में 11वें वित्त आयोग योजना अन्तर्गत मई माह 2005 को आदित्य नारायण राजकीय इण्टर कालेज, चकिया में 72 लाख की लागत से 50 कम्प्यूटर आया है। जुलाई माह से विद्यालय में पठन-पाठन कार्य शुरू हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 50 कम्प्यूटर लगने के बावजूद भी कम्प्यूटर की शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसका प्रमुख कारण शिक्षक का अभाव बताया जा रहा है। कम्प्यूटर की शिक्षा न दिये जाने के कारण छात्रों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है, इससे शान्ति व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शिक्षक की व्यवस्था करके कम्प्यूटर शिक्षा तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

सुल्तानपुर सदर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2002-2003 में पूर्वान्चल निधि राज्यांश से सड़कों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त जारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश पाण्डे-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 2002-2003 में पूर्वान्चल निधि राज्यांश से पांच सड़कें बांसी-रामदास का पुरवा से उजागिरगंज (बीबीगंज) सम्पर्क मार्ग, कटकौली से नोनरा तक एवं नानरा से टिकरिया तक, औरंगाबाद रजवाहा की पटरी डोमनपुर से फैजूमिया तक, टंकीतार से सरैया सम्पर्क मार्ग तक, पलहीपुर से दादूपुर सुल्तानपुर मुख्य सड़क तक, निर्माण हेतु 1.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें से 25 लाख रुपया अवमुक्त भी किया गया था। द्वितीय किस्त जारी न होने के कारण उपरोक्त मार्गों का निर्माण कार्य अधूरा है और प्रथम किस्त द्वारा किये गये कार्य भी व्यर्थ हो रहे हैं। इससे जनमानस को आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु द्वितीय किस्त जारी किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 2004-2005 में पी0ए0सी0/पुलिस कान्सटेबिलों की भर्ती में भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रताप चौधरी-

[मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-2005 में पी0ए0सी0/उ0 प्र0 पु0 कान्सटेबिलों की भर्ती की गयी, उक्त भर्ती में सरकार के एक विशेष मंत्री द्वारा एक विशेष जाति की भर्ती विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर भर्ती करायी गयी। भर्ती में पश्चिमी उ0 प्र0 में मात्र दो या तीन जनपदों को ही परीक्षा केन्द्र भर्ती हेतु बनाया गया। पश्चिम में मेरठ के अलावा अन्य कोई भर्ती केन्द्र न बनाने से पश्चिमी उ0 प्र0 की जनता में रोष व्याप्त है। प्रदेश सरकार द्वारा पुनः भर्ती हेतु अमर उजाला में छपी विज्ञप्ति के अनुसार मात्र उन्हीं जिलों को भर्ती केन्द्र बनाया गया है जो पूर्व में भर्ती थे और जिन पर 5404 कान्सटेबलों की भर्ती होनी है। प्रदेश की जनता की मांग है कि निकाली गयी भर्ती के रिक्तियों की भर्ती प्रत्येक जनपद में होना चाहिए और उसी जिले का अभ्यर्थी हो जिस जिले को भर्ती केन्द्र बनाया गया है। वर्ष 2004-05 में भर्ती केन्द्र बनाये गये जनपदों में भर्ती केन्द्र या अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए जिससे कि पूर्व वंचित अभ्यर्थी को लाभ मिल सके।

यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता में आक्रोश पैदा होगा।

इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की तरफ आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियुक्ति कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सदल प्रसाद-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसगांव जनपद गोरखपुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बासगांव से क्षेत्रीय जनता उपचार हेतु लाभान्वित होती रही है। इसके अलावा आस-पास में कोई अस्पताल नहीं है। यह सी0 एच0 सी0 जिला मुख्यालय से 40 किमी0 की दूरी पर है। इस समय कई माहों से इस सी0 एच0 सी0 पर न तो चिकित्सा अधीक्षक है, न तो महिला डाक्टर है साथ ही साथ एक्सरे मशीन के रहते हुए भी एक्सरे कर्मचारी नहीं है और सृजित पदों के अनुरूप पर्याप्त डाक्टर भी नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्रीय जनता को उपचार के लिए बरवख्त काफी परेशानी उठानी पड़ रही है कुछ गरीब मरीजों को जिन्दगी से भी हाथ धोना पड़ा। तमाम गरीब दवा एवं उपचार के अभाव में जिन्दगी मौत से जूझ रहे हैं। इस बात को लेकर क्षेत्रीय जनता और मरीजों में असंतोष व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने एवं डाक्टरों व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में बौद्ध परिपत्र योजना में स्वीकृत कप्तानगंज हाटा मार्ग पर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राधेश्याम सिंह-

[मान्यवर, मा0 सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद-कुशीनगर के अन्तर्गत कप्तानगंज के हाटा सड़क बहुत ही जर्जर एवं खराब है, आवागमन बाधित है। यह सड़क बौद्ध परिपथ योजना में चयनित है इसके निर्माण हेतु दो बार टेण्डर हो चुका है। अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है जब कि पी0एल0ए0 के खाते में धन मौजूद है। यह सड़क अति महत्वपूर्ण है। सड़क न बनने के कारण जनता में घोर असंतोष एवं क्षोभ है। पर्यटकों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः मैं इस अति अविलम्बनीय महत्वपूर्ण लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस प्रकरण की जांच सरकार से कराकर निर्माण कार्य जनहित में प्रारम्भ कराया जाए।

बलिया के रसड़ा क्षेत्र में इसाई मिशनरी स्कूल को अवैध कब्जे से मुक्त कराने व अतिक्रमण रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री घूराराम-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाते हुए कहना है कि हमारे विधान सभा रसड़ा में भारी संख्या के रूप में अनुसूचित जाति के लोग कार्य सर्विस व सम्मान पाने के लिए व्यवहारिक रूप में इसाई धर्म को मानते एवं रहते हैं। उक्त लोग विद्यालय चलानें के लिए एक संस्था बनाकर विद्यालय चला रहे हैं। हमारे यहां के कुछ भू-माफिया लोग फर्जी तरीके से बम्बई (महाराष्ट्र) से फर्जी कागजात बनाकर फर्जी पोप का हस्ताक्षर बनाकर रसड़ा नगर पालिका के अन्तर्गत व धोखा देकर इसाईयों के चलाये जा रहे संस्था की जमीन को अतिक्रमण कर रहे हैं। उक्त जमीन एवं संस्था को हड़पने के लिए सबको धमकाते हुए कि जिला प्रशासन से मिलकर पैसा देकर जमीन ले रहे हैं तथा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री भी करा रहे हैं। मुझे जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय विधायक होने के नाते हजारों की संख्या में इसाई समाज के लोग तथा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक मुझसे मिले और अपनी व्यथा बताये। जो लोग अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं। वो लोग अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं कभी भी किसी को जान से मार सकते हैं व अपहरण कर सकते है। पूरे रसड़ा तहसील व क्षेत्र में हाहाकार एवं भय का माहौल बना है। अवैध जमीन का अतिक्रमण व कब्जा जारी है। अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति इतना रसकस व मजबूत अपराधी प्रवृत्ति के हैं कि उनके भय से थाना कोतवाली रसड़ा व उपजिलाधिकारी रसड़ा या जिला प्रशासन भय के मारे बोल भी नहीं सकते हैं। पूरे इसाई मजहब के लोग आन्दोलित एवं उत्तेजित भी हैं।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यथोचित कार्यवाही का मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीतापुर के फायर बिग्रेड स्टेशन को स्थानान्तरित कर जी0टी0 रोड के किनारे बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामहेत भारती-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर में फायर बिग्रेड स्टेशन सीतापुर लखीमपुर रोड स्वरूप नगर में स्थित है जो तीन तरफ से रेलवे लाइनों से घिरा हुआ है शहर अथवा ग्रामीण अंचल में आग लग जाने पर रेलों के आवागमन के कारण रेलवे गेट काफी समय तक बन्द हो जाते हैं। जिस कारण फायर बिग्रेड की मशीन समय से घटना स्थल पर न पहुंच पाने के कारण भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है और आग में सब कुछ तबाह हो जाता है। फायर बिग्रेड स्टेशन के पूरब लखीमपुर रेलवे क्रासिंग का गेट है जो एक मात्र रास्ता है तथा शहर में आने के लिए कचहरी हाल्ट तथा पुलिस लाइन रेलवे गेट होने के कारण किसी भी तरफ से रास्ता नहीं मिलता है। यदि फायर बिग्रेड स्टेशन को जी0टी0 रोड के किनारे बनाकर स्थानान्तरित कर दिया जाए तो आग से होने वाली जन व धन हानि को बचाया जा सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सीतापुर मुख्यालय के फायर बिग्रेड स्टेशन को स्वरूप नगर से स्थानान्तरित कर जी0टी0 रोड के किनारे बनाये जाने की मांग करता हूं।]

अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों को डामरीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौ0 महेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोल जनपद अलीगढ़ में निम्न सड़कों के डामरीकरण न होने से आवागमन में काफी असुविधा हो रही है तथा आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। जो निम्न सड़क है ग्राम-बुढ़ासी से नगला हाथी, दीनदयालपुर होते हुए रसूपुर जू0 हा0 स्कूल तक, सुमेरा राजवाहा पर गिरधरपुर पुल से उंटगिर होते हुए रहसूपुर तक, इगलास रोड से नगला पीपल होते हुए बीढ़ना ग्राम तक डामरीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता एवं राहगिरों में काफी असंतोष एवं दुःख व्याप्त है।

अतः इस लोकहित के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से उक्त सड़कों को डामरीकरण कराये जाने तथा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत मनोरमा नदी का पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर पूरब बस्ती में घाघरा व कुआनों दो बड़ी नदियों के बीच में एक तीसरी नदी मनोरमा पौराणिक नदी है जो हमारे विधान सभा को दो भागों में बांटती है मनोरमा नदी पर सोधियां एक घाट है जिस पर प्रतिदिन 5 हजार आदमी इस पार से उस पार जाते हैं बरसात में 4 महीनें पानी भर जाने व बाढ़ के कारण आदमियों का आवागमन ठप हो जाता है जिससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आम जनता को 20 किमी0 की दूरी तय करने के बाद नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक घूम कर आने में लगता है यहां पर पुल बनना अति आवश्यक है।

अतः आपका ध्यान इस लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल पुल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

सोनभद्र के जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा कार्यभार-ग्रहण न करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री परमेश्वर दयाल-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सोनभद्र एक पिछड़ा जनपद है, जिसका अधिकांश भू-भाग, जंगलों-पहाड़ों, नदी-नालों से आच्छादित है। यहां 70 % प्रतिशत फीसदी दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी है जनपद के जिला अस्पताल में एक वर्ष से कई विशेषज्ञ डाक्टरों का पद रिक्त चल रहा था। जिससे जनपद के लोगों को इलाज कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अभी जिला चिकित्सालय सोनभद्र में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु साधारण श्रेणी के रिक्त चार पदों को भरने हेतु डा0 एस0 के0 उपाध्याय, एस0 एल0 एन0 चिकित्सालय इलाहाबाद, डा0 अनूप कुमार रस्तोगी, रेडियोलाजिस्ट, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी, डा0 डी0 पी0 सिंह पैथालोजिस्ट, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर देहात एवं डा0 अनिल कुमार शर्मा सर्जन, जिला चिकित्सालय में की गयी है, किन्तु अभी तक उक्त चारों चिकित्साधिकारी अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किये हैं, जिससे जिला अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था सुचारु रूप से सम्पादित नहीं हो पा रही है। मरीजों की मौते हो जा रही है लोग परेशान है, यह जनहित का विषय है तथा आम जनता से जुड़ा है।

अतः मैं इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल चिकित्सकों को जनपद सोनभद्र के जिला चिकित्सालय में पद भार ग्रहण कराने की मांग करता हूं।]

बाराबंकी के विकास खण्ड सिद्धौर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम मगन रावत-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिद्धौर बाराबंकी में जो विकास खण्ड बनीकोडर एवं सिद्धौर आते हैं जिसमें दो विद्युत उपकेन्द्र लगे हुए हैं जो काफी पुराने हो गये हैं। क्षमताहीन हो गये हैं कभी-कभी तकनीकी खराबी के कारण महीनों विकास खण्ड सिद्धौर तथा आंशिक बनीकोडर में विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है जिससे जन सामान्य को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं यदि मेरे विकास खण्ड सिद्धौर के कस्बा कोटी में जहां विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि आरक्षित है एक नये उपकेन्द्र की स्थापना कर दी जाये तो क्षेत्र की जनता को पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति सुलभ हो सकती है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए विकास खण्ड सिद्धौर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग करता हूं। जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सकता है।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीतापुर की बिसवां तहसील के कतिपय ग्रामों को घाघरा नदी की बाढ़ एवं कटान से बचाने हेतु बांध बनाने एवं प्रभावित लोगों को पुनर्वास एवं मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह-

[मान्यवर, जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां के अन्तर्गत ग्राम मल्लापुर काशीपुर, असईपुर तथा अन्य दर्जनों गांव घाघरा नदी के भीषण कटान से प्रत्येक वर्ष प्रभावित होते रहते हैं जिससे प्रति वर्ष सैकड़ों मकान एवं कृषि योग्य हजारों एकड़ भूमि घाघरा नदी में समा जाती है हजारों लोग घर से बेघर हो जाते हैं तथा दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं पेट पालना तो दूर इनके सर से छत का साया भी छिन जाता है लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उक्त सभी गांव तीन-तीन बड़ी नदियों जैसे शारदा, घाघरा, सरयू के संगम के मुहाने पर बसे होने के कारण लगभग प्रति वर्ष बाढ़ की प्रलयकारी विभीषिका झेलने को विवश रहते हैं तथा कई बार उक्त ग्रामों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है।

अतएव नदी कटान की त्रासदी झेल रहे उक्त ग्रामों एवं कृषि योग्य भूमि को बचाने हेतु बांध बनाने की एवं कटान प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा मुआवजे की मांग शासन से करता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27-7-2005 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना-श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रदीप माथुर तथा श्री विवेक बंसल	की	प्रदेश में मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा अनुदानित विद्यालयों की सूची जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है।
दूसरी सूचना-श्री सुखदेव राजभर	की	अल्पसूचित तारांकित प्रश्न व तारांकित प्रश्नों का उत्तर समस्त सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।
तीसरी सूचना-श्री नवाब सिंह नागर	की	जनपद गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कर्मियों के यात्रा भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 6-8-2004 को नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है।
चौथी सूचना-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री राजेश कुमार, श्री राम हेत भारती, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0) सिंह तथा चौधरी महेन्द्र सिंह	की	समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांव में सम्पर्क मार्ग न बन पाने के सम्बन्ध में है। तथा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पांचवीं सूचना-श्री राजेश कुमार	की	जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन के बावजूद एक गाटा सं0 का आंशिक भाग क्रय करने वालों का दाखिल खारिज न किये जाने के सम्बन्ध में है।
छटी सूचना-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय	की	माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विषय विशेषज्ञों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में है।
सातवीं सूचना-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	की	जनपद इलाहाबाद में शास्त्री पुल एवं फाफामऊ पुल से टोल टैक्स वसूलना बन्द किये जाने के सम्बन्ध में है।
आठवीं सूचना-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'	की	जनपद लखनऊ के ग्राम बरावन कलां में सड़क पर जलभराव तथा अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में है।
नवीं सूचना-श्री मुंशीलाल गौतम	की	गैर सहायता प्राप्त अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में त्रिभाषा योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को विगत 06 वर्ष से वेतन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है।
दसवीं सूचना-श्री सुरेश कुमार खन्ना	की	गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों के लिये लागू समाधान योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद् पर करोड़ों रुपये मण्डी शुल्क के रूप में जमा होने के जाने के सम्बन्ध में है।

इनमें से कोई भी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत न आने के कारण सभी सूचनाएं अग्राह्य की जाती हैं।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा अनुदानित विद्यालयों की सूची जारी न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

इसमें केवल पहली सूचना है, जिसमें बहुत थोड़ा सा, बहुत मामूली बात है, क्योंकि इस प्रश्न में प्रमोद जी आपने जो बिन्दु उठाया है इसमें नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित हैं, इस पर आप केवल एक मिनट कह लें।

* श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसे न दलों में बांधा जा सकता है, न धर्म से बांधा जा सकता है, न किसी अन्य चीज से। मान्यवर, शिक्षा का प्रचार-प्रसार होना चाहिए। शिक्षा के प्रचार-प्रसार की मौलिक जिम्मेदारी प्रत्येक सरकार की होती है। मान्यवर, आज लगभग 15 साल से जूनियर हाई स्कूल के जो विद्यालय चल रहे हैं, उन्हें न तो मान्यता सूची में लिया जा रहा है और न अनुदानित विद्यालयों की सूची में लिया जा रहा है। मान्यवर, यह जो कक्षा-6, 7, 8, को पढ़ाने वाले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षक हैं उनका जीवन पढ़ाने के प्रारम्भ से लेकर रिटायरमेण्ट तक वह बेरोजगारों सा जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनको न तो मान्यता सूची में लिया जा रहा है और अनुदानित सूची में लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप इसमें यह बतायें कि कान्स्टीट्यूशन के किस अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन हो रहा है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसमें दो कान्स्टीट्यूशन हैं, एक भारत का संविधान और एक आपका। मान्यवर, यह जनहित का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप सिर्फ प्रश्न उठायें, जो आपने नोटिस दी है, उस नोटिस में आपने नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन का मामला उठाया है, उस पर आप कहें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हम जहां-जहां गल्तियां करें, आप बताते रहें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

सदन की गलती या सदन के बाहर की गलती ?

श्री प्रमोद कुमार-

सदन के बाहर की गलती अगर हम आजम साहब के बारे में बता दें तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

मैं इतना चाहता हूं कि आपकी नोटिस में कोई नीति निर्देशक तत्व का मामला है ? आपने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व के अन्तर्गत प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है, इसलिए इसको लेना चाहिए। आप उस विषय को कहते नहीं हैं। हमें लगता है आपने नोटिस पढ़ी ही नहीं है सिर्फ उस पर दस्तखत कर दिए हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इस नोटिस को देने से पहले मैंने बहुत बार इसे पढ़ा था। मान्यवर, यू0एन0ओ0 और यूनिसेफ के बारे में भी मैंने विस्तार से पढ़ लिया था। मान्यवर, सभी सरकारें चाहे वह जहां की हो, शिक्षा देने का उनका हमेशा दायित्व होता है और इसी बिन्दु पर भारतीय संविधान ने जो दायित्व निरूपित किया है, उसके अनुरूप मान्यवर, कक्षा-आठ तक की जो शिक्षा सरकार को देनी चाहिए थी, वह शिक्षा संविधान के उस सिद्धान्त के आधार पर नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने कहा, मैं उसको सुनने के बाद इसको अस्वीकार करता हूं। साढ़े बारह बजे अनुपूरक है।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल साहब, आप तो मुख्य मंत्री रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल को पूर्व मुख्य मंत्री सम्बोधित किये जाने पर आपत्ति

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपकी पीठ से कही हुई बात मान्यता रखती है। आपने कहा कि आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं जबकि हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में इसे नहीं माना है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर हम विचार कर लेंगे। आप लिख करके दे दीजिए उस पर हम अपनी व्यवस्था दे देंगे।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण *

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसकी प्रतियां बांट दी जायें।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने नियम 300 में एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

शेष सभी सूचनायें नियम 300 में नहीं आती हैं इसलिए अस्वीकार कर दी गयी हैं। एक भी सूचना नियमों के अन्तर्गत नहीं आती है।

माननीय खन्ना जी आप मेरे कक्ष में आकर नियमावली दिखाकर मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं कल आपकी बात सुन लूंगा। मैंने अस्वीकार कर दी है। आज नियम 56 भी लगा हुआ है असरकारी दिवस हैं। असरकारी दिवस का ध्यान भी आप लोगों को रखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हम लोगों की सूचना नियम 300 में आती कैसे है इसको कृपया कर सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपका समग्र ग्राम से सम्बन्धित प्रकरण है, इस पर आश्वासन है आप दूसरे नियमों में लिखकर दे दीजिए। अब मैं मद संख्या 7 लेता हूं। मौर्य जी, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, अपने दल के नेता हैं। इसे नेताओं की बैठक में डिस्कस कर लीजिए या प्रश्नों के माध्यम से इसे दीजिये या अपने क्षेत्र के बारे में हो तो नियम 301 में दे दीजिए।

[श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) व श्री सुखदेव राजभर के द्वारा सुने जाने की मांग करने पर]

---

* (छापा नहीं गया।)

आप बैठ जायें इसके बाद महत्वपूर्ण सूचनायें लगी हुई हैं। आपके विधायक का भी एक मामला लगा हुआ है। जो सूचनायें नियम 300 में नहीं आती हैं उन पर बात न कीजिए। माननीय मौर्य जी आप कक्ष में आकर, मुझे नियमों को दिखाकर संतुष्ट कर दीजियेगा, तो मैं कल सुन लूंगा।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें। कल इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ओ0 पी0 सिंह जी, मैंने कहा कि मेरे कक्ष में आ जाइयेगा और मुझको संतुष्ट कर दीजिएगा, नियमों में आयेगा तो कल सुन लेंगे।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री सुखदेव राजभर, श्री नवाब सिंह नागर आदि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मुझे दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप हमको कोई दूसरा नियम दिखाइये तो मान लेंगे। गौर साहब मान गये, विद्वान सदस्य हैं, तो आप भी मान लीजिए। खन्ना साहब, आप बैठ जायं।

आप लोग इतने विद्वान सदस्य हैं। अब चर्चा शुरू होगी संकल्पों पर। आपको इन्वाइट करता हूं जिन-जिन का प्रश्न नियम 300 में है। वह मेरे कक्ष में आयें, चाय पियें और नियमों में कैसे आयेगा यह बतायें ? अगर आयेगा तो कल सुन लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, कल के लिए चैम्बर में बात करेंगे, आप बैठ जाइये।

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 †

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† (दिनांक 16-8-2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।)

श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 [1]

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूं।

विशेषाधिकार हनन की लम्बित सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरी विशेषाधिकार हनन की सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आपने जो दिया है उसका परीक्षण हो रहा है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इस ! एक वर्ष हो गया इसका अब तक परीक्षण होगा ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, जो खेल मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है उसकी प्रति मुझे नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष-

पिजन होल में नहीं मिला ? आपने देखा ?

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरी विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना है इसमें एक साल से अधिक का समय हो गया।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह दी, मैं दिखवा लेता हूं आज ही दिखवा लेता हूं।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, एक वर्ष से अधिक हो गया है तो उसको टालने का प्रयास मत करिये कोई निर्णय आप दीजिए।

---

[1] (दिनांक 16-8-2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।)

श्री अध्यक्ष-

कल निर्णय आ जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 जुलाई, 2005 को नियम-311 की सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुयीं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना नियम-311 में प्राप्त श्री राम इकबाल सिंह की माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के आदेश के बाद भी विषय विशेषज्ञ अध्यापकों को शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा समायोजित एवं विनियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

विधेयक की प्रतियां कल ही पिजनहोल में रखवा दी गयी थीं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मुझे नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपको हम दिलवा दे रहे हैं।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, मेरी नियम-301 की सूचना का न कोई जवाब आया है, न मुझे कुछ बताया गया है। केवल यह लिखकर आया है कि मुख्यालय से सूचना मंगवाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे दिखवा लूंगा, कृपया आप बैठें।

(श्री उदयभान करवरिया के खड़े होने पर)

आप दोनों लोग मेरे कक्ष में आ जाइयेगा, मैं इसे देख लूंगा।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, अगर हर बात कक्ष में ही करनी है तो फिर सदन का क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको दिखवाकर कल कोई न कोई निर्णय ले लूंगा। श्री राम इकबाल जी अपनी बात प्रारम्भ करें।

* श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम जिस गम्भीर समस्या पर सदन की कार्यवाही स्थगित कराकर चर्चा कराना चाहते हैं, वह इस प्रकार है। श्रीमन्, इस प्रदेश में 9 वर्ष पहले विषय विशेषज्ञ अध्यापकों की नियुक्ति हुयी। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जिन नियमों का अनुपालन होना चाहिये, एल0 टी0 ग्रेड और प्रवक्ता के लिये, उन सारे नियमों का अनुपालन करके 5 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर 2323 विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की गयी। यह विषय विशेषज्ञ तब से अपने दायित्व का निर्वहन करते आ रहे हैं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के पास इस समय 4 हजार एक सिक्स्टी दिनांक 20-10-03 और 26-10-03 को इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट से आदेश हुये कि इनको इन रिक्त पदों पर समायोजित कर लिया जाय और इनकी एल0टी0 ग्रेड और प्रवक्ता की तरह ही नियुक्ति वैध है, इसलिये उसी हिसाब से इनको पेमेन्ट किया जाय। श्रीमन्, इस आदेश का अनुपालन आज तक नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इन रिक्त पदों के बजाय जहां वह पढ़ा रहे हैं, उन जगहों पर भेज रहा है। इसमें बहुत से अध्यापक अलग-अलग ढंग से जाकर अपना-अपना आदेश हाईकोर्ट से ले आये हैं कि इनको ज्वायन न कराया जाय। इससे इनको रिलीफ मिल रही है। इस सम्बन्ध में इन लोगों ने सरकार से कई बार अपनी बात को कहा। सरकार ने भी आश्वासन दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर यह लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मुख्यंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्या पर विचार करेंगे लेकिन श्रीमन्, माननीय मुख्यमंत्री जी पर काफी बोझ रहता है और शायद उनके ध्यान में नहीं होगा।

मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह बेचारे 5 हजार रुपये पर काम कर रहे हैं और 11 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है। जून महीने का पेमेन्ट इनको मिलता नहीं है। अगर यह एक दिन भी अनुपस्थित रहेंगे तो मानदेय काट लिया जायेगा। अगर किसी दिन इनके बच्चे की तबियत खराब हो जाय तो यह उसको अस्पताल नहीं ले जा सकते हैं, किसी तरह की छुट्टी की इनको अनुमति नहीं है। अगर वह छुट्टी पर चले गये तो मानदेय काट लिया जायेगा। मान्यवर, यह वह सरकार कर रही है जो सरकार उत्तर प्रदेश के 19 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहती है और जब बेरोजगारी भत्ता देने में अक्षम पाती है तो कहती है कि हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है, भारत सरकार जब हमको रुपया देगी तब बेरोजगारी भत्ता देंगे। भारत सरकार का अगर बेरोजगारी भत्ता देने का इरादा होता तो वह अपनी राज्य सरकारों को देती। यह सरकार बेरोजगारों के साथ कसाई की तरह काम कर रही है। 2323 जो विषय विशेषज्ञ हैं उनमें गजेन्द्र चौहान ने आगरे में आत्महत्या कर ली। उनके दो तथा पांच वर्ष के बच्चे हैं। उनको 11 महीने से वेतन नहीं मिला था। यह हृदयहीन-संवेदनहीन सरकार है जो गम्भीरता से इस पर विचार नहीं कर रही है। कल सैकड़ों की तादाद में यह लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। लोकतंत्र में अपनी बात कहने व उनको धरना व प्रदर्शन करने का हक है। वह मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे लेकिन लखनऊ की पुलिस ने उन पर लाठियों की बौछार की। लोग पीटे गये, अनेक लोग सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। किसी का हाथ टूटा है किसी का सर और कोई कोमा में है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार इनको वेतन दे। जो घायल हैं उनकी दवा की व्यवस्था की जाय और जिन पुलिस अधिकारियों ने उन पर लाठियां चलायीं हैं उनको दण्डित किया जाय और इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करायी जाय। निहत्थे लोगों को जो रौंदा गया है वह उचित नहीं है। इन गम्भीर घटना पर मैं सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राम इकबाल के बारे में मेरी अच्छी राय थी और अच्छी राय है। जो उन्होंने सदन में बयान दिया है उससे अभी आसानी से उनके बारे में मैं अपनी राय बदलने के लिये तैयार नहीं हूं। लेकिन अगर सच हो तो हल्की आवाज में कमजोर आवाज में कहा जाय तब भी वह सच रहेगा। अगर सच्चाई नहीं है तो असत्य को कितने जोर से कहा जाय, असत्य बात सत्य नहीं हो पायेगी। जहां तक अध्यापकों का ताल्लुक है, मुख्यमंत्री जी का, अध्यापकों और शिक्षा जगत से उनका कितना लगाव है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया है यह सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी शिक्षा में व्यक्तिगत रुचि होने की वजह यह है कि वह खुद अध्यापक रहे हैं। उनकी पीड़ा और जरूरतों को समझते हैं। इस सरकार में जितना सहयोग और जितनी सहायता और रियायतें अध्यापक वर्ग को दी गयी हैं उतनी शायद किसी दूसरे वर्ग को नहीं दी गयी हैं। मुझे वह दिन याद है, जब हमारी सरकार नहीं थी, किसी और की सरकार थी, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। एक मंत्री जी का बयान था कि यह समाज के बहुत दूषित कुत्ते हैं इनके गले में पट्टा डालिये और इन्हें घुमाइये। तो यह भी सम्मान इस वर्ग के लोगों को मिला था। जहां तक लाठीचार्ज के वाकये का ताल्लुक है, जैसा कहा गया कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया और उनका इलाज किया जा रहा है तो मेरे पास इसकी पूरी तफसील है। पहली बात तो सारे अध्यापकगण जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनको पुलिस लाइन भेजा गया। किसी को थाने या जेल नहीं भेजा गया। धारा-151 के तहत इनकी गिरफ्तारी हुयी है। इन्होंने एस0पी0 लखनऊ को लिखकर दिया कि हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी और सदस्य हैं। हम लोग न्यायपूर्ण मांगों के लिये संघर्षरत हैं। जबतक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे लेकिन संघर्ष के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे। इसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा महामंत्री के दस्तखत हैं।

तहरीर में प्रशासन या सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं है। जहां तक चोटों का सवाल है एक साहब कोमा में है मेरी तरफ से उस वर्ग के लिए जिन्हें हम यह कहते हैं कि यह रोशनी है, यह चिराग है यह समाज के अंधेरे को दूर करेंगे उनके लिए सदन में एक जिम्मेदार सदस्य का यह कहना जो सत्य से परे है उसे झूठ भी कहा जा सकता है उस वर्ग के लिए जिनके हम हिमायती हैं ऐसी बात कहना उस वर्ग पर लांछन होगा। एक सदस्य अनिल कुमार गुप्ता जी अस्पताल में दाखिल किए गए वह इसलिए दाखिल किए गए क्योंकि वह दो रोज से निर्जल व्रत पर थे जिनका डिहाइड्रेशन थर्ड डिग्री पर पहुंच गया था जिसके कारण वह गिर गए थे उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा कोई व्यक्ति न तो अस्पताल गया न ही किसी को चोटें आई न ही किसी किस्म का लाठीचार्ज हुआ। यहां सदन में एक सदस्य बड़े जोर से भाषण कर रहे थे मैं अगर कहूंगा तो बात कड़वी हो जाएगी। यहां पर सामाजिक व्यवस्था पर, बुराई पर बोल रहे थे लेकिन उनके ही बेटे ने प्रिंसिपल को कमरे में बन्द करके इतनी बुरी तरह मारा कि पुलिस और पी0ए0सी0

बुलवानी पड़ी और कमरा तोड़कर बाहर निकालना पड़ा इस हद तक बर्बरता का काम किया गया ऐसा सम्मान यह लोग उस वर्ग का करते हैं। कहीं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई बर्बरता नहीं की गई। किसी को जोर से हाथ से भी नहीं पकड़ा गया, सम्मान जनक ढंग से पुलिस लाइन ले जाकर वहां रिहा कर दिया गया कोई चोट नहीं आई पूरा सम्मान शिक्षक वर्ग से है कल भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसे निरस्त किया जाय।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, यह देखिये मेरे पास अखबार है। पूरे अखबारों में यह छपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अखबारों और इलेक्ट्रानिक्स मीडिया का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह-

आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के चोटें आई हैं। अभी सुबह साढ़े दस बजे भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल में कई लोग आए थे उनके कहीं सिर में चोटें लगी हैं, कहीं हाथ में चोटे लगी है। इन शिक्षकों को रेगुलर किया जाय। उनको 12 महीने का वेतन दिया जाय, उनको माध्यमिक शिक्षक के रूप में मान्यता दी जाय। अगर सारे अखबार झूठे हैं, प्रिंट मीडिया झूठी है तो मैं भी झूठा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस विषय पर माननीय सदस्य श्री राम इकबाल सिंह व संसदीय कार्य मंत्री को सुना। सुनने के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी इसका एक बार और परीक्षण करवा लें। अखबार और प्रिंट मीडिया का संज्ञान तो नहीं लिया जाता है लेकिन इस रिपोर्ट का एक बार और परीक्षण करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, में बड़ी विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं मैंने इसका परीक्षण करा लिया है। भला राम इकबाल सिंह जी की नोटिस हो और उसका हम परीक्षण न कराएं। मैंने सभी अधिकारियों को बुलाकर इस सम्बन्ध में बात भी कर ली है। अन्य लोगों से भी जानकारी ले ली है। किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं हुआ है। किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। सभी अधिकारियों को मालूम है कि शिक्षक वर्ग से मुख्य मंत्री जी का क्या वास्ता है ? अगर इस तरह की बात हो जाएगी तो बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है। लाठी चार्ज तो बहुत दूर की बात है। जहां तक अन्य मांगों का सवाल है उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी जाहिर है कि सक्षम है और उस पर विचार हो सकता है।

* नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, राम इकबाल जी के नोटिस के दो पहलू है। एक तो यह कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ और दूसरा उनकी मांगों के बारे में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे के बारे में भी मंत्री जी ने कह दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने इसके बारे में भी कह दिया कि उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी सक्षम हैं मैं उनसे बात करूंगा। मैं तो सक्षम नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राम इकबाल सिंह और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। अगली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की जनपद हरिद्वार से जल लेकर 26 लाख कॉवरियों का मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए जाते समय उनकी सुरक्षा व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना की तरफ ध्यान उठाया है। शिवरात्रि के समय हरिद्वार से जल लेकर 25 लाख की संख्या में कॉवरिये सहारनपुर होते हुए मेरठ के पुरामहादेव मंदिर व औघड़नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिये जाते हैं। बुलन्दशहर, गाजियाबाद, दिल्ली हरियाणा तक जाते हैं। मान्यवर, आई बी0 ने माना है कि इन कांवरियों की यात्रा को आतंकवाद का खतरा है। पंजाब की तरफ से आतंकवाद का खतरा है। यह मानकर घोषित किया है। मान्यवर, मेरठ में 5 आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। लश्करे तैयबा, अलकायदा जिसका जिक्र अभी अयोध्या की घटना में आया है। मुजफ्फरनगर में आई0एस0आई0 के भगोड़े छिपकर रह रहे हैं। एम0डी0ए0 के डबल स्टोरी की 4 पल्लवपुरम् I, II फेज ग्राम सोर्फीपुर में 2 लोग पकड़े गये। पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आये हुए आतंकी वहां पर रह रहे हैं। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना हथियारों का केन्द्र बना हुआ है। दो आई0एस0आई0 के एजेन्टों को लेकर असम की पुलिस जेवर बुलन्दशहर से लेकर चली गई है। मान्यवर, इस तरह से मैंने इस प्रश्न को कार्य-स्थगन के माध्यम से उठाया है कि कॉवरियों की यात्रा की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाय। मान्यवर, इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केन्द्र मेरठ में सामाजिक वैमनस्यता फैलाने के लिये तमाम असामाजिक तत्व गायों और बैलों के ऊपर तेजाब डाल रहे हैं। जो लोग मौके से पकड़े भी गये उनके खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की है और उनकी स्कूटर की डिक्की से तेजाब बरामद किया गया है। कय्यूम नाम के व्यक्ति की दो गायों पर तेजाब डाला गया। मान्यवर, इतना ही नहीं वहां पर महिलाओं के साथ खुलेआम छेड़छाड़ की जा रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि [x x x] । मान्यवर, वहां पर महिलाएं और लड़कियों को घर से निकलने में भय हो रहा है। यदि जनहितकारी संगठन इनके विरुद्ध आता है तो प्रशासन उसी के खिलाफ कार्यवाही करने लगता है। इस तरह से महिलाओं और लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। [x x x] देवनागरी छात्रसंघ कार्यालय को सील कर दिया गया। छात्रसंघ अध्यक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया तो निर्वाचित अध्यक्ष को पुलिस द्वारा कालेज में ही लाठियों से मारा गया।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही ने निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आपकी बात हो गई। अब नहीं लिखा जायेगा। आप शान्त माहौल को खराब कर रहे हैं। अब आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। आप बात कहां पहुंचा देते हैं ? बात थी कांवरियों की सुरक्षा की आप लेकर चले गये आतंकवाद पर।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर [x x x]

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप एक-एक करके बोलिये। कौन बोलेगा।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह सब [x x x] है। यह सब गलतबयानी है।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री कौकब हमीद, हाजी याकूब एवं कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नियम-56 पर संबंधित सदस्य बोलेंगे या सरकार बोलेगी।

अल्पसंख्यक, हज मंत्री (श्री हाजी याकूब)-

12 साल की बच्ची को ...

श्री अध्यक्ष-

पहले आप उत्तर तो आने दीजिए। आप बैठें। मैं आपको बोलने का मौका दे दूंगा। याकूब साहब आप बैठ जाएं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के कुछ कहने पर)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

कांवरियों की सुरक्षा का प्रश्न था, कहां सुरक्षा हुई, कहां नहीं हुई ? इस पर विस्तार से कहा। आप लोग बैठिए। सरकार का जवाब आने दीजिए। मेरठ से कुरैशी साहब आते हैं इसलिए जो आपने कहा है उसका प्रतिवाद करने का इनको भी अधिकार है सरकार का वर्जन आने दीजिए।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हुकुम सिंह-

मेरी शिकायत कुछ और है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री हुकुम सिंह-

सब इस पर बोल रहे थे क्या सबका प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष-

जिस विधायक के क्षेत्र का मामला उठता है वह विधायक अपने क्षेत्र के बारे में स्थिति स्पष्ट कर सकता है। यह पहले भी हुआ है।

श्री हुकुम सिंह-

सारे नियम हम पर लागू होते हैं जिस प्रकार से सदन में व्यवहार हो रहा है। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके चैलेन्ज दिया जाएगा ..

श्री अध्यक्ष-

कोई ऐसा शब्द है तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

[x x x]

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

किसी का कुछ नहीं लिखा जाएगा। जो ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है उसको निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान के मध्य)

आप कुरैशी साहब बैठिए, टण्डन जी खड़े हैं, आप बैठ जायें। कुरैशी जी आप बैठें, जो आप बोल रहे हैं, वह आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इस सदन में जो कार्य संसदीय कार्य मंत्री को करना चाहिए और अगर किसी सदस्य ने नोटिस उठाया है, जो भावना है, जो उनकी जानकारी है, उसे वह सदन में दे सकता है। यह बात वह मंत्री जिससे सम्बन्धित वह विषय हो, वह मंत्री बोल सकता है। अब यहां पर एक नई परम्परा पड़ रही है यहां चार-चार मंत्री खड़े हो जाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

(श्री कुरैशी के पुनः खड़े होकर बोलने लगे)

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही ने निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

माननीय कुरैशी साहब आप बैठ जायें।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं शालीनता के साथ बात कह रहा हूं, अगर वह शोर मचाकर कहना चाहते हैं तो यहां लोगों के गले रूंधे नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब मैं खड़ा होता हूं, वह बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं और आपके यह मंत्री इस तरह का व्यवहार करेंगे ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर कुछ व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय टण्डन जी, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आ जाने दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि यहां के सदस्य नियमानुसार अपनी बात कहें लेकिन यह बात उधर नहीं लागू होती है, यह किस नियम में है कि चार-चार मंत्री एक साथ खड़े होकर किसी ऐसे संवेदनशील विषय के ऊपर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी बोलने नहीं देंगे ? यह व्यवस्था करना आपका काम है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर उत्तर आ जाने दीजिए। आगे बढ़ा जाए, नहीं तो इसी में समय जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने मेरा नाम लिया है, नेता प्रतिपक्ष ने मेरा नाम लेकर आरोप लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

कोई आरोप नहीं लगाया है। अब आप बैठ जायें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हम लोग इस सदन में चुनकर आते हैं कि हम लोगों की समस्या को रखें।

श्री अध्यक्ष-

आप पर कोई आरोप नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल, अब आगे चलने दें। संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं निर्णय दे दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, अब आप बैठ जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी ने संवेदनशील मामला रखा और सदन भी काफी संवेदनशील हो गया। इस कारण नहीं कि जो मामला उन्होंने रखा कांवरियों के बारे में, उनकी संख्या और सुरक्षा के बारे में और दूसरा मेरठ में देवनागरी समिति और छात्र संघ के विवाद के कारण, दोनों बातें अपने-अपने एतबार से विचार करने की हैं, सरकार द्वारा उस पर निर्णय करने की है।

जाहिर है कि आतंकवाद जिस तरह से दुनिया में आया है और अयोध्या, पार्लियामेंट और लालकिले पर हमले के बाद यह एक गम्भीर बात नहीं रह गयी है बल्कि इसे खास तौर से देखने के लिए और व्यवस्था करने के लिए सरकार बहुत गम्भीर है और इस पर गम्भीरता से कार्यवाही करेंगे। इतनी देर सदन में जो हंगामा रहा वह इसलिए नहीं रहा कि सरकार कांवरियों की सुरक्षा नहीं करना चाहती, या सुरक्षा में कमी है या उनके सम्मान में कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि उनका सम्मान तो यहां तक है कि आपको याद होगा, जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक चल रही थी तो उस समय श्री हुकुम सिंह जी ने सड़क पर उनके चलने के लिए जगह की कमी का जिक्र किया था तो इसमें मेरा सुझाव था कि इन तीन दिनों में सदन को न चलाया जाये। हम लोग मिलेजुले समाज में रहते हैं किसी एक दल के नहीं बल्कि अलग-अलग मजहबों के लोग रहते हैं बल्कि हम लोग एक गुलदस्ते की शक्ल में रहते हैं जिसमें अलग-अलग फूल हैं, अलग-अलग खुशबू है, अलग-अलग रंग हैं। कांवरियों का जहां हिन्दू लोग स्वागत करते हैं वहीं मुसलमान भी स्वागत करते हैं बल्कि ऐसे मुसलमान स्वागत करते हैं जिन्हें आप देखकर ही बता सकते हैं कि वह मुसलमान हैं। हम लोग अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं। मै नहीं कहता कि बाजपेयी जी ने जानबूझकर कहा होगा लेकिन जिन बातों को उन्होंने कहा वह बातें इस बात का कारण रहीं कि सदन में तनाव उत्पन्न हो गया। [x x x] मान्यवर, मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं कि अल्लाह यह कहता है कि मैं दो गुनाह माफ नहीं करूंगा। इन्हें माफ करने का हक मुझे नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ शरीक करना और दूसरा अगर किसी का दिल दुखाया है तो इस गुनाह का बाहैसियत खुदा होते हुए भी माफ करने का हक मुझे नहीं है। इधर के माननीय सदस्यों ने विरोध किया क्योंकि आपका प्रश्न सही नहीं था, आपकी जिज्ञासा सही नहीं थी। आप कांवरियों के लिए हमदर्द नहीं हैं इसलिए आपने ऐसी बातें कह दी जो दिलाजार हैं। अगर यह बात नहीं कहते तो वजन होता। यह बातें इसलिए कहीं कि सदन में ही अव्यवस्था फैलाना नहीं, बल्कि इसलिए कि जो लक्ष्य आप पूरा नहीं कर पा रहे है, [× × ×] जो आप यहां पर भी कर रहे हैं। एक शेर सुन लीजिए-

न तेरा है, न मेरा है, यह हिन्दुस्तान सबका है,
और नहीं समझी गयी यह बात तो नुकसान सबका है।

यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने इस सूचना पर मा0 सदस्य और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही ने निकाल दिया गया।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, जिन शब्दों में लांछन लगाया गया है संसदीय कार्य मंत्री जी ने, यह सदन की भाषा नहीं है। [x x x] कहीं आपने तो उत्तेजना नहीं पैदा कर दी ? कांवरियों के रक्षा की मांग करना क्या बुराई है, यह बात कहां से गलत है। हमें अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं ? अगर नहीं है तो फिर सदन का अर्थ क्या रह जाता है। उसके बाद खड़े होकर इस तरह से बात करना तो मैं समझता हूं कि आप संसदीय कार्य मंत्री के लायक ही नहीं हो।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय रिजवी साहब आप शान्त रहें। आप कृपया शान्त होकर सुनें।

श्री लालजी टण्डन-

आप महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं। आज महिलाएं सड़क पर नहीं निकल पा रही हैं हमने इसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाया था। लेकिन यह सरकार की नीतियां ढकोसला हैं क्योंकि इसका उल्लंघन हो रहा है। जब हमने सदन में इन बातों का जिक्र किया तो आप धौंस दिखाकर उसको दबाने की चेष्टा कर रहे हैं।

* पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय नेता विरोधी दल ने बाजपेयी जी को नहीं सुना है इसलिए यह कह रहे हैं। अगर पूरी बात सुनी होती, जो बातें माननीय बाजपेयी जी ने कही हैं तो यह न कहते। वातावरण को बनाने के लिए उन्होंने कहा। आप देख लें। सूचना में जो बातें कही गयीं हैं उससे अलग हटकर कही गयीं हैं। उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, बड़ी देर से मैं नियमावली पढ़ रहा था, प्रश्न एक शब्द का नहीं है, प्रश्न संसदीय और असंसदीय भाषा का नहीं है, प्रश्न यह है कि मान्यवर, इरादा क्या है ? मान्यवर, माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो बातें कहीं हो सकता है कि यह सत्य हों, लेकिन जिस ढंग से वह बातें कही गई, आपत्तिजनक था, उनके कहने का ढंग गलत था, लेकिन कुल मिलाकर इसमें क्या हुआ ? उन्होंने अपनी बातें कह ली और इन्होंने अपनी बातें कह लीं और यह कार्यवाही का अंग भी बन गई। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अगर सदन चाहता है कि जो आपत्तिजनक बातें हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ... मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी के सम्पूर्ण भाषण को पढ़ लिया जाय और हो सकता है कि उसमें कोई असंसदीय बात न हो, परन्तु उससे अशान्ति फैलती है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। तो हम यह कहना चाहते हैं कि जो लोग वहां पर ऐसा कर रहे हैं, जो आपने कहा, तो आप यहां क्या कर रहे हैं ? अगर आप सच में दमदार इन्सान हैं तो उसका मुकाबला आपको वहां पर करना चाहिए था। मान्यवर, मेरा तो एक विनम्र अनुरोध है कि इसमें आवश्यकता इस बात की है कि कृपापूर्वक आप जरा कार्यवाही को देख लें, बाजपेयी जी का इरादा क्या

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही ने निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है ? मैंने देखा, जिस तरह से वह [x x x] मान्यवर, यह मेरा अधिकार है और सदन में बैठने के नाते, एक सदस्य के रूप में, मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, कृपापूर्वक इस प्रश्न को यहीं पर रोक दिया जाय और कार्यवाही को मंगा कर देख लें कि उसमें आपत्तिजनक क्या है ? भले ही उसमें कुछ असंसदीय न हो, फिर भी उसको कार्यवाही का अंग न बनने दें और पत्रकारों को भी निर्देश दे दें कि समाचार पत्रों में इस अंश को प्रकाशित न करें, इसके प्रकाशन पर रोक लगाई जानी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल ने जैसा कि माननीय मंत्री यादव जी ने कहा कि अगर उन्होंने माननीय बाजपेयी जी की पूरी बात सुनी होती तो शायद इस तरह की बातें उन्होंने न कहीं होती। माननीय बाजपेयी जी, जो कह रहे थे, उनकी दिफा के लिए माननीय हुकुम सिंह जी ने काफी प्रयास किया और बाद में भी यही कोशिश करते रहे। नेता विरोधी दल ने मेरे बारे में कहा कि मैं संसदीय कार्य मंत्री रहने के काबिल नहीं हूं। आप मेरे या मेरे दल की कृपा से नेता विरोधी दल नहीं हैं आप अपनी सलाहियत के बिना पर, अपने दल की कृपा के बिना पर हैं। मैं आपकी कृपा पर यहां नहीं हूं और न सदन में आपकी कृपा से आता हूं और न ही आपकी कृपा से जीवित हूं। यह राय तो आप अपने पास ही रखें और अगर आपसे हो सके तो आप इस कोशिश में रहें कि हम यहां तक पहुंचे ही नहीं। मैं जिस वजह से यहां पर हूं वह पूरा सदन जानता है, मेरे नेता से ज्यादा और कोई नहीं जानता है कि मैं यहां पर क्यों हूं। मैं ज्यादा लम्बी बहस में नहीं जाऊंगा और यह भी पक्ष रखना चाहूंगा कि सरकार कतई संवेदनहीन नहीं है, आपकी यह धारण बिल्कुल सही नहीं है कि जो मूल प्रश्न था बाजपेयी जी का उस सिलसिले में सरकार संजीदा नहीं है। किसी किस्म की सुरक्षा में प्रशासनिक व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको इस बात के लिए आश्वस्त किया जाता है कि पूरी व्यवस्था की जायेगी।

माननीय प्रमोद कुमार जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न रखा है उस पर निर्णय लेने का आपको अधिकार है। मेरी तो यह गुजारिश है कि सदन के बहुत कम दिन बाकी रह गये हैं सत्र के खत्म होने में, तो ऐसा माहौल रखें जिससे हम यहां अच्छे माहौल में आयें और अच्छे माहौल में जायें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रमोद कुमार जी को सुना, आपको भी सुना। जो भी इस कार्यवाही में आपत्तिजनक शब्द होंगे और आरोपात्मक शब्द होंगे, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों उसको मैं देख लूंगा और जो उत्तेजनात्मक बातें होंगी उसको निकलवा दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, प्रकाशन पर भी रोक लगनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि आप कार्यवाही को दिखवा लें और प्रकाशन के उस हिस्से पर रोक लगवा दें, जिससे दुष्भावना पैदा होती हो। मान्यवर, प्रेस हमारी बातों को जनता

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तक पहुंचाने का मूल आधार है इसलिए समाज को यह मालूम होना चाहिए कि इन लोगों की मंशा क्या है ताकि वह जनता ऐसी मंशा रखने वाले लोगों के साथ मजबूती के साथ डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाय।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि समाज को जानना चाहिये कि ऐसी मानसिकता के लोगों ने इस पर क्या कहा है ? अभी प्रमोद जी ने एक दूसरी बात कही थी।

श्री अध्यक्ष-

जितने आरोपात्मक और जितने उत्तेजनात्मक शब्द आये हैं उनका प्रकाशन तब तक नहीं होगा जब तक मैं उन्हें देख नहीं लूंगा। अभी मैं कार्यवाही देखकर उसे निकाल दूंगा उसके बाद वह प्रकाशित होगा।

मैंने बाजपेयी जी को सुना, इनकी सूचना अग्राह्य की जाती हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको अधिकार है धरना प्रदर्शन का काम करने का। लोकतंत्र में यह आम जनता को अधिकार है कि जब भी उनकी कोई बातें नहीं मानी जाती हैं चाहे लोग सत्ता पक्ष से जुड़े हों या विपक्षी दलों से उनके द्वारा उन बातों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया जाता है। मान्यवर, कौड़ीराम में एक विद्युत सब स्टेशन पिछले डेढ़ महीने से बन्द था, उससे सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं। उसमें तमाम प्रत्यावेदन अधिकारियों को दिये गये कि इसका संचालन नहीं हो रहा है इसका संचालन किया जाय परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। दिनांक 12 जुलाई, 2005 को राम प्रसाद यादव जो वहां के प्रधान हैं उनके नेतृत्व में वहां की जनता इकट्ठी हुई और रोड पर चक्का जाम करने का काम किया गया। उस समय आठ दस हजार आदमी उनके साथ इकट्ठा हुए थे। वह साढ़े दस बजे धरना हुआ था और साढ़े बारह बजे के लगभग खत्म हो गया था। यह मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने जुड़ा हुआ सवाल है। वह धरना इतना शान्तिपूर्ण ढंग से चला कि उससे न तो कोई सरकारी सम्पत्ति को नुकसान हुआ और न किसी को व्यक्तिगत क्षति हुई उसके माध्यम से उनकी मांग थी कि उनकी मांग मान ली जाय और सब स्टेशन को चालू कराया जाय। उस धरना प्रदर्शन में माननीय सदल प्रसाद जी जो विधायक हैं, पूर्व विधायिका माननीय गौरी जी, पूर्व विधायक माननीय अम्बिका सिंह जी भी थे। वह तोड़-फोड़ से जुड़ा कोई प्रदर्शन नहीं था। उसी मध्य वहां के क्षेत्राधिकारी और दरोगा आते हैं और वहां चक्का जाम हटा देते हैं उन लोगों ने उनको भी अपना मांग पत्र दिया। इसके बाद उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज होने का काम होता है। उसमें माननीय विधायक जी के खिलाफ, राम प्रसाद यादव के खिलाफ, अम्बिका सिंह, गौरी देवी जी के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज होती है भूपेन्द्र शुक्ला आदि के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज होती है। उसमें लिखा जाता है कि यह लोग सरकार के खिलाफ और विद्युत विभाग की व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जिसका नेतृत्व गांव के प्रधान कर रहे थे। उसमें इन लोगों पर धारा 143/283 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मान्यवर, जबकि वस्तुस्थिति यह थी कि लगभग डेढ़ घण्टे तक चक्का जाम का काम किया गया था और उस

विद्युत सब स्टेशन के बन्द होने से सैकड़ों गांव के लोग प्रभावित थे और यह माननीय विधायक और भूतपूर्व विधायक लोग उसमें नैतिक आधार पर उसमें शिरकत किये थे।

मान्यवर, पुलिस का यह आरोप लगाना कि विद्युत विभाग के खिलाफ आपने भाषण दिया था, नेतागण लोग सरकार के खिलाफ भाषण दिये इसमें आपको मुल्जिम बनाया जाता है। यह सिद्ध हो गया है, मुल्जिम बन गये। मान्यवर, उसमें 'आदि' करके लिखा गया, इससे सैकड़ों आदमी जो कार्यकर्ता थे उनको पुलिस तलाश रही है कि कौन-कौन आदमी धरने पर गये थे। उनमें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मान्यवर, दोनों सदन के माननीय सदस्य किसी न किसी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिये होंगे अगर ये माननीय विधायकगण उस सब-स्टेशन को चालू कराने के लिए डेढ़ घण्टे का जाम लगाया और इस पर मांग-पत्र देकर उसे खत्म करते हैं तो इसके बाद वहां की पुलिस माननीय विधायक और पूर्व विधायक पर 143/283 का मुकदमा कायम किये हैं। यह ग्राह्य 56 में हो गया। मान्यवर, 10 हजार आदमी इस प्रदर्शन में था। तमाम लोग उसमें रहे हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। मान्यवर, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस ने इतने पर मुकदमा कायम करवा दिया इसलिए ग्राह्य है 56 के अन्तर्गत। मेरी मांग है कि उस माहौल को ठण्डा करने के लिए एक निर्देश दे दें कि उनके ऊपर जो मुकदमा कायम किया गया है उसको वापस कर दिया जाय। मैं मांग करता हूं कि जो पुलिस ने इस लोकतंत्र की हत्या की है और 143, 283 का मुकदमा कायम किया है उसको वापस लिया जाय और ऐसी पुलिस को जिन्होंने आतंक और माहौल को अशांत बनाने का काम किया है ऐसी पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा करें। माननीय सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ सवाल है यह 56 के आधार पर ग्राह्य है इसकी ग्राह्यता की गारन्टी है इस पर चर्चा करवाये और जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाय।

श्री सदल प्रसाद-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद कि नियम-56 की नोटिस पर आपने मुझे अवसर दिया। यह जनपद गोरखपुर का प्रकरण है गोरखपुर जिला में विद्युत सब-स्टेशन सेवई बाजार है। यह लगभग डेढ़ माह से बिल्कुल बैठ गया था और लगभग सैकड़ों गांवों में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही थी। सैकड़ों गांव के लोग काफी उद्देलित हो गये थे और महीनों से तरह-तरह के प्रयास हो रहे थे। अधिकारियों के पास जाकर, विद्युत विभाग के पास जाकर कि बैठा हुआ विद्युत सब-स्टेशन जो है वह जल्द से ठीक हो जाय और विद्युत की बहाली हो जाय। लेकिन बड़े दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि इस महीने की 12 तारीख को एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है समाजवादी पार्टी की उसको छोड़कर बाकी गोरखपुर जिले की जितनी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, संयुक्त रूप से इस सेवई सब-स्टेशन को चालू कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया। लगभग 10 हजार की तादाद में लोग इकट्ठा होकर जिला प्रशासन के खिलाफ और विद्युत प्रशासन के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया धरना दिया था। हजारों लोग थे उसमें मैं भी शरीक था, पूर्व विधायक लोग भी शरीक थे। सभी लोगों की मांग थी कि जिला प्रशासन के लोग मौके पर आये, विद्युत विभाग के लोग मौके पर आये और डेढ़ महीने से विद्युत सब-स्टेशन क्यों खराब है इसको कब तक चालू करेंगे आ करके जनता के बीच में आश्वासन दें।

जनता की चाहत थी, उसके मुताबिक जब पूरा जनमत का वातावरण तैयार हो गया और पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो गया तब जाकर जिला प्रशासन के कान पर जूं रेंगा और जिला प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे, एस0डी0एम0, बांसगांव मौके पर गये, विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पी0ए0सी0 और पुलिस धरना प्रदर्शन को विफल कराने के लिये अपना प्रयास करने लगे। मान्यवर, हम लोगों की तरफ से और क्षेत्रीय जनता की तरफ से एक मांग पत्र था वह उनको दिया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि यह पूरा कार्यक्रम मात्र ढाई घण्टे चला था और सब शान्तिपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम हुआ। जो हम लोग एक महीने से प्रयास कर रहे थे, जिला प्रशासन के पास अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जब राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया गया तो वहां पर जिला प्रशासन के लोग गये, विद्युत महकमें के लोग गये ...

श्री अध्यक्ष-

आप पर जो मुकदमा लिखा गया है, पुलिस आपको खोज रही है, इस बारे में कहिये।

श्री सदल प्रसाद-

मान्यवर, मेरे साथ-साथ इस मामले में 19 लोग एफ0आई0आर0 में नामित किये गये हैं और उन पर 143/283 आई0पी0सी0 की धारा लगाई गयी है। मैं निवेदन करता हूं कि पुलिस इस एफ0आई0आर0 की आड़ में सबको तंग कर रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सारी कार्यवाही रोककर विस्तार से इस मामले पर चर्चा कराने की अनुमति दें और मेरा मुकदमा वापस लिये जाने की व्यवस्था करें।

श्री राम भुआल निषाद-

मान्यवर, यह प्रदर्शन विद्युत की समस्या को लेकर नहीं हो रहा था बल्कि बी0एस0पी0 के लोग बी0एम0पी0 की राजनीति जिन्दा करने के लिये यह चक्का जाम किये थे। इनके जाम की वजह से मरीज परेशान थे, कई हजार लोग परेशान थे और पुलिस ने जो कार्यवाही की है वह ठीक की है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय सदस्य से कोई शिकायत नहीं है। जाहिर है लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुये लोग जनता की समस्याओं के लिये धरना-प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर आयेंगे और आना चाहिये। कोई ऐसी बात नहीं है, पुलिस ने भी कोई अभद्रता नहीं की है, कोई बल प्रयोग नहीं किया है। मारपीट-गिरफ्तारी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मान्यवर, जब हाईवे जाम हो गया तो अव्यवस्था हुयी। लेकिन आपने तो खुद अपने भाषण में कहा है, उसके लिये आपको तो धन्यवाद प्रकट करना चाहिये। हम जब नेता विरोधी दल रहते हुये मजाहिरा करते थे तो एस0डी0एम0 या कोई भी चौकीदार, चपरासी यह नहीं पूछता था कि आप कौन साहब हैं ? लेकिन यहां इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, हाईवे रुका रहा, अधिकारी मौके पर पहुंचे, ऐसे गुस्से के माहौल में आकर आपका मांग-पत्र लिया और व्यवस्था बहाल की। इस सबके लिये तो आपको धन्यवाद करना चाहिये। जहां तक मुकदमें का मामला है, कोई संगीन बात नहीं है, यह हल हो सकता है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने अच्छी बात कही लेकिन यह माननीय विधायक पर 143/283 का मुकदमा क्यों लगा है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने तो पहले ही कहा कि जनता के चुने हुये लोगों को जनता की समस्याओं के लिये आगे आना होगा।

श्री सुखदेव राजभर-

दरोगा इनको क्यों परेशान कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

समाधान हो जायेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

दरोगा, सिपाही भेजकर कहला रहा है कि जल्दी जमानत करा लो नहीं तो कुर्की करानी पड़ेगी। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, धरना-प्रदर्शन में जेल भी जाया जाता है और जमानत भी करानी पड़ती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि दिखवा लूंगा।

श्री सुखदेव राजभर-

ठीक है, मैं विश्वास कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री सुखदेव राजभर व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को नियम-56 में अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री प्रदीप माथुर जी की है।

(श्री लल्लू सिंह, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी व श्री उदयभान करवरिया अपने स्थान पर खड़े होकर अयोध्या के बारे में सुने जाने का आग्रह करने लगे।)

श्री उदयभार करवरिया-

मान्यवर, अयोध्या में इस समय सावन का मेला चल रहा है लेकिन वहां की स्थिति बदहाल है विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गयी है। बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठिये। अयोध्या पर चर्चा हो गयी है माननीय नेता विरोधी दल ने सारी बातें कह दी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका उत्तर भी दे दिया है। प्रदीप माथुर जी, आप अपनी सूचना पर बोलिये।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मथुरा-वृन्दावन एक धार्मिक नगरी है और यहां देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण इसकी प्रसिद्धि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वर्तमान में मथुरा-वृन्दावन में विद्युत व्यवस्था बदहाल है जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। एक ओर जहां सरकार पर्यटन को बढ़ाने की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर विद्युत की आपूर्ति न होने के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारण पर्यटक वापस होते जा रहे हैं। आज यह स्थिति है कि वहां पर रोज जाम लग रहे हैं। टूटे हुए तारों, बिगड़े हुए ट्रांसफारमरों और टूटे हुये खम्भों के कारण विद्युत की आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है। हमने विद्युत व्यवस्था ठीक करने के लिये ए0ई0डी0आर0पी0 स्कीम से 25 करोड़ रुपया दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन काम नहीं शुरू कर रहा है। विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न होने के कारण पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और पूरा ब्रज मण्डल त्रस्त है। सावन का महीना चल रहा है इस महीने में वहां पर मेला चलता है और आसपास से काफी संख्या में लोग आते हैं, विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न होने के कारण काफी दिक्कत हो रही है। यह सरकार टूटे हुए तार, जर्जर केबिल और टूटे हुए बिजली के खम्भों के शीघ्र बदलने का आदेश देने की कृपा करें जिससे शीघ्र ही मथुरा-वृन्दावन की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए जिससे आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके और जो एक खराब तस्वीर विदेशी पर्यटकों के सामने प्रस्तुत हो रही है, वह न हो।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मथुरा की बात आ गयी। अब आप अयोध्या की बात सुन लीजिए।

श्री लल्लू सिंह-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा हो चुकी है। अगर आप लोग मन बना करके आये हैं तो अलग बात है।

श्री लालजी टण्डन-

माननीय सदस्य जो विषय उठाना चाहते हैं उसको समझ लें। जहां अयोध्या में हमेशा विद्युत की अविरल आपूर्ति होती थी, वर्तमान में काफी कटौती हो रही है। माननीय सदस्यगण यह चाहते हैं कि निरन्तर विद्युत आपूर्ति की जाए जैसे बहुत से जिलों में होती है।

श्री अध्यक्ष-

आपने उनकी बात कह दी।

श्री लालजी टण्डन-

संसदीय कार्य मंत्री जी आज रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, इन सदस्यों की मांग है कि अयोध्या में अभी तक अविरल विद्युत आपूर्ति होती थी, इधर कुछ दिनों से कटौती हो रही है। वहां की संवेदनशीलता को देखते हुए अविरल विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रदीप माथुर जी ने भी बिजली की समस्या पर अपनी बात रखी है उसका भी जवाब दे दीजिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसे दिखवा लेंगे, जो पूर्व की व्यवस्था थी उसे रखने का ही प्रयास करेंगे। ऐसे जितने भी स्थान है, धार्मिक स्थल हैं या खासियत के शहर है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना थी।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब आपकी सूचना अस्वीकृत हो गयी है। कृपया बैठिये। श्री प्रदीप माथुर व मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

पांचवी सूचना डा0 राम बाबू हरित की जनपद आगरा में जूता उद्योग से जुड़े कामगीरों को उचित मजदूरी न मिलने के सम्बन्ध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अगली सूचना श्री विवेक बंसल की जनपद अलीगढ़ के मुख्यालय पर अतिक्रमण अभियान के तहत छोटे व्यवसायियों एवं गरीब व्यक्तियों के आवासों को गिराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाएं। विवेक बंसल जी, आप बैठ जाएं। आपकी पार्टी को कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर सुना जा चुका है। आप कृपया बैठ जाएं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने नियम-56 में एक सूचना दी थी, कृपया उसे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आपकी पार्टी का मामला सुना गया, निर्णय भी हो गया, अब आप बैठ जाएं, कृपया छोटे लोगों को भी बोलने का अवसर दें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आप मेरे कक्ष में आ जाएं।

श्री राजेश कुमार-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जल निगम में 18 हजार आदमियों की बहुत गम्भीर समस्या है। ...

(इस समय 1 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वसीम अहमद पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राम बिशुन आजाद जी आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

(श्री राजेश कुमार के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जाएगा। माननीय राम बिशुन आजाद जी आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में बढ़ते हुए वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय" के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, 'इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में बढ़ते हुए वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाए।'

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संकल्प के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक है और इससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगर समाज में शुद्ध वायु और शुद्ध जल आदमी को मिलेगा तो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पूरे प्रदेश में वायु और जल प्रदूषित है, इसके लिए हमारी सरकार कल्याणकारी योजना बना रही है। वायु प्रदूषण मोटर कारें, फैलते कल कारखानों तथा नष्ट होती वन सम्पदा वातावरण को गरम कर फैल रही है, इन सबके कारण 1860 से सन् 1987 तक यह गैस नाइट्रोजन आक्साइड, गैसीय हाइड्रो कार्बन एवं कार्वन डाई आक्साइड 25% की दर से बढ़ी है तथा 30 सालों में ही इस गैस का प्रभाव 10% बढ़ा है। इसी कारण अनेक स्थानों पर सूखा तथा अकाल की स्थिति है और आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वायु प्रदूषण मोटर गाड़ियों, कल कारखानें से निकलने वाले धुयें, पेट्रोल तथा डीजल से निकलने वाले धुयें के कारण मुख्य रूप से होता है। शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण प्रदूषित वायु है। वायुमण्डल में दूषित गैसों का प्रभाव विश्व स्तरीय हो सकता है, वायु मण्डल के ओजोन परत का विनाश शीघ्रता से हो रहा है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ेगा पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जायेगा, जिनमें जीव मण्डल का विनाश हो सकता है।

(कांग्रेस पार्टी के श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री प्रदीप जैन "आदित्य", श्री विवेक बंसल, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप माथुर आदि सदस्य, सदन के वेल में आकर गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने सम्बन्धी नारे लगाने लगे।)

मान्यवर, वायु प्रदूषण अनेक गैसों नाइट्रोजन-आक्साइड, सल्फा डाई आक्साइड, कार्बन डाई आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड आदि गैसों से होता है। इससे आदमी की आंखों में पानी आने लगता है। इस वायु प्रदूषण से वायू दूषित होने के कारण लोगों में दमा तथा सांस की खांसी की बीमारियां हो जाती हैं और आम आदमी स्वस्थ्य नहीं रह सकता है। मोटर गाड़ियों एवं अन्य वाहनों में कल कारखानों से निकलने वाले धुंए गैसों से जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है अगर उसकी रोकथाम न की गयी तो गम्भीर परिणाम होंगे। देश प्रदेश में वन संपदा को निरन्तर काटा जा रहा है जिससे वातावरण में आक्सीजन की कमी होती जा रही है और विषैली गैसों की मात्रा 25 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।

(सदन के वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये।)

मैं कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में आज 80 प्रतिशत शहरी जनसंख्या है जो लगभग 1.8 अरब लोग निरन्तर ऐसी वायु में सांस लेते हैं जो विषैली गैस होती है। विश्व में हर वर्ष 60 लाख हेक्टेयर भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो रही है। 110 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनों के कटान से वातावरण निरन्तर गरमा रहा है। देश भर में 35 लाख हेक्टेयर भू-भागों पर वनों का कटान हो रहा है। भूमि पर से पेड़ों के कट जाने से वर्षा में कमी, बाढ़ तथा मिट्टी का कटाव, देश और प्रदेश

तथा विश्व के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अगर इस भयावह स्थिति को न रोका गया तो देश प्रदेश व पूरे विश्व में अधिकांश लोगों को शुद्ध वायु नहीं मिल सकेगी। आज प्रतिवर्ष देश के कुछ शहरों में 40 हजार व्यक्ति प्रदूषित वायु से मरते हैं। पूरे 24 घंटों में 13 हजार लीटर वायु ग्रहण करते हैं, अधिकांश प्रदूषित वायु लोग ग्रहण करते हैं जिससे दमा, सांस की बीमारियां, टी0बी0, आंख एवं खांसी की बीमारी होती है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा महानगर नहीं है जिसकी वायु प्रदूषित न हो। 24 घंटे में हम जितनी सांस लेते हैं उसमें प्रदूषित वायु लगभग 10 सिगरेट के बराबर प्रदूषित वायु हम ग्रहण करते हैं। हवा में फैलता जहर बच्चों का सम्पूर्ण विकास बुरी तरह से बाधित कर रहा है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केन्द्र की हालिया रिपोर्ट बताती है कि शहर के प्रमुख रिहायशी इलाके जबरदस्त वायु-प्रदूषण की चपेट में है।

(सदन के वेल से सदस्यगण नारे लगाते रहे।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी थी कि राम विशुन आजाद जी बोलेंगे, इसलिये अब कोई सवाल नहीं पैदा होता ? माननीय सदस्य अपनी सीट पर जायं, इस समय कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम विशुन आजाद-

118 अरब टन कार्बन डाई आक्साइड समुद्र में जिस तरह से घुली है उससे समुद्री जीव जन्तुओं को काफी खतरा उत्पन्न हो चुका है। सामान्य व्यक्ति 24 घण्टे में 13 हजार ली0 में से अधिकांश प्रदूषित वायु ग्रहण करता है। आज से 2300 वर्ष पूर्व अरस्तु ने कहा था कि भूमि पेड़ पौधों का पेट है। अगर हम वृक्षों पर चोट करेंगे तो स्वभाविक है कि मनुष्य के पेट पर चोट होगी, विश्व के लगभग एक लाख प्रजातियों के वृक्ष हैं जिसमें से 10 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है। हमारे देश में जितनी प्रजातियां पायी जाती हैं उसमें से 40 प्रजाति के वृक्ष विलुप्त के कगार पर हैं। प्रतिवर्ष भारत में 35 लाख हेक्टेयर वनों का विनाश हो रहा है। प्रदेश में 98 हजार वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में वन होना चाहिए, इसके विपरीत 51660 वर्ग कि0मी0 पर ही वन है। जबकि 33% वन होना चाहिए। वृक्ष हमारी कामना, भावना और परम्परा के प्रतिरूप होते हैं जो बादलों की द्रवित चेतना को अपनी ओर लुभाकर धरती का श्रृंगार करते हैं और फसलों को आहार देते हैं।

(इसी मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यगण श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर वेल से वापस जाकर श्री प्रमोद कुमार के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

इससे बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। विश्व की 976 प्रजातियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा घटने बढ़ने से तापमान प्रभावित होता है। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उसी गति से बढ़ता रहा तो वर्ष 2030 तक यह 5 डिग्री तक बढ़ जायेगा। जिससे विश्व भर के ग्लेशियर पिघलेंगे तथा महानगरों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने वृक्षारोपण की व्यवस्था की है हर जनपद में वृक्ष लगाए जा रहे हैं जिससे जो प्रदूषित वायु है उसको वह सोख सकें। वृक्षों का हमारे पुराणों में अस्तित्व रहा है। पुराणों में कहा गया है भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है मैं वृक्षों में पीपल हूं। पद्म पुराण में कहा गया है कि हरे वृक्ष का काटना

पाप है हमारे देश में सभी वृक्षों को किसी न किसी मान्यता से जोड़ा गया है। पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी वास करती हैं अतः इसको नहीं काटना चाहिए। नीम के वृक्ष पर माता शीतला और मां दुर्गा वास करती हैं ऐसा पुराणों में कहा गया है। वट के वृक्ष पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी और कार्तिकेय वास करते हैं। बेल पर भगवान शंकर वास करते हैं। आम के वृक्ष पर समस्त देवता वास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि आम को कभी नहीं काटना चाहिए। इन पेड़ों को इसलिए धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा गया जिससे इनको कोई काटे नहीं। लेकिन आज जिस तरह से अवैध कटान हो रहा है उसके कारण धरातल का तापमान बढ़ रहा है। इससे वातावरण के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा अन्य खतरे भी हैं। जल प्रदूषण हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास इस समय जो भू जल है उसका 70 प्रतिशत जल प्रदूषित हो चुका है। अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में जल के लिए विश्व वार होगा। टाइम बम की तरह जल की समस्या है। हमारे देश में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी जल संकट उत्पन्न हो चुका है और पानी प्रदूषित हो गया है। आज पीने के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है। आये दिन जल की समस्या होती है। मान्यवर, जब हम लोग ट्रेन में चलते हैं तो हम लोग बिसलेरी वाटर पीते हैं। जब किसी वी0आई0पी0 मीटिंग में जाते हैं या कोई वी0आई0पी0 मीटिंग करता है तो वहां पर पीने के लिये बिसलेरी वाटर मिलता है लेकिन मान्यवर, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी मलिन बस्तियों में रहते हैं, पिछड़े जनपदों में रहते हैं क्या उनको बिसलेरी वाटर पीने को मिलता है ? मान्यवर, उनको प्रदूषित पानी पीने को मिलता है। आज जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं वह 80 प्रतिशत लोग प्रदूषित जल पीने से बीमार हो रहे हैं उनको बचाने वाला कोई नहीं है। आज इस प्रदूषित पानी से अनेकों बीमारियां फैल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पृथ्वी के दो तिहाई भाग का जो जल है उसमें से 2.7 प्रतिशत पानी ही पीने लायक है और इसमें से भी 70 प्रतिशत पानी खारा है जो कि पिया नहीं जा सकता है।

मान्यवर, यह चिन्तनीय विषय है। आज हमारी पवित्र गंगा, पापनाशिनी गंगा प्रदूषित हो गई है। जो गंगा हमारे पापों को धोती थी उसको हमने अपने पापों से इतना वजनी कर दिया, उसमें तमाम शहरों का मल-मूत्र प्रवाहित हो रहा है। आज गंगा, गोमती नदियों को आप देख लीजिये सब प्रदूषित हो गई है। नदियों में अधजले शव, आप चाहे बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार या उत्तरकाशी चले जायं सब जगह आपको देखने को मिल जायेगें। आज इस तरह से नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। प्रतिदिन 132.49 मिलियन लीटर गंदगी गंगा में प्रवाहित हो रही है। केन्द्र सरकार ने गंगा की सफाई के लिये 50 करोड़ रुपये वाराणसी को दिये थे। कहीं नहीं दिखाई दी कि पवित्र गंगा की सफाई हुई हो। मान्यवर, इतना ही नहीं प्रदूषित जल का असर जीव जन्तुओं के ऊपर भी पड़ रहा है। गोमती नदी में कितनी मछलियां इस प्रदूषित जल की वजह से मर गई। यही नहीं प्रदूषित जल से कछुआ जो कि जल प्रदूषण को साफ करता है, मेढ़क जो जल प्रदूषण को साफ करता है, यह सब मारे जा चुके हैं और इनकी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। मानव जाति के कारण हमारे देश प्रदेश की नदियों का जल प्रदूषित हो गया है। वह आज पीने लायक तो क्या सिंचाई के काम का भी नहीं रह गया है। यह पानी बीमारियों की खान साबित हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता-

राम बिशुन जी अभी आगे और भी संकल्प रखे जाने हैं।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, अभी तो जल प्रदूषण चल रहा है अभी ध्वनि प्रदूषण बाकी है। मान्यवर, क्षमा करें। दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। हमारे देश में 4 हजार अरब घन लीटर बरसात होती है और उसमें से जो भूजल की उपलब्धता है वह 1861 अरब मिलियन घन लीटर और उसमें से भी 60 प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं। मान्यवर, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आबादी बढ़ रही है। आगे आने वाले समय में क्या हाल होगा ? हम लोग जनसंख्या नियंत्रण के बारे में गोष्ठी करते हैं, विचार करते हैं और उस समय तमाम रुपया खर्च होता है लेकिन हम लोगों ने कभी पानी की आवश्यकता को महसूस नहीं किया कि आने वाले समय में पानी की आवश्यकता कितनी होगी ? आस्ट्रेलिया में 2002 को एक सम्मेलन हुआ था उसमें 103 देशों के लोगों ने चिन्तन किया कि अगर हम लोग समय से नहीं चेतेंगें तो स्वच्छ जल हम कैसे जनता को दे पायेंगे और सरकारें और बाजार इसका सामना करने में विफल सिद्ध होंगे पेयजल की समस्या विश्व व्यापी हो गयी है। अगला विश्व युद्ध पेयजल को लेकर ही होगा जो समाज के लिए जहर होगा।

श्री अधिष्टाता-

अब समाप्त करें।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि आज एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1900 क्यूबिक लीटर पानी की आवश्यकता है और अगर इसी तरह से जल का प्रदूषण बढ़ता गया तो यह स्तर इस दशक के अंत तक गिरकर 1000 क्यूबिक लीटर हो जाने की आशंका है देश को जल संकट से ग्रस्त माना जाता है भारत में तो ऐसी स्थिति कई वर्षों से है कि लोग पानी के लिए तरसते आ रहे हैं यदि पानी को बचाया नहीं गया तो आने वाली पीढ़ी को हमसे भी अधिक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। देश की आबादी वर्ष 2050 तक पहुंचने पर पानी की वार्षिक मांग 1450 हजार अरब घन लीटर होगी। भूजल के दोहन से देश में करीब 200 जनपदों का जल स्तर काफी नीचे गया है। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक रूप से बहरे और विकलांग हो रहे हैं। शासन की मंशा है जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थान, कोर्ट आदि हैं इनसे 100 मीटर की दूरी पर ध्वनि प्रदूषण यंत्र लगाया जाए। ध्वनि प्रदूषण आज तेजी से बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण वाहनों की बढ़ती संख्या है। वर्ष 2002-03 की तुलना में 65 हजार की वृद्धि दर्ज की गयी है। इसके चलते वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। 2002-03 में जहां 6 लाख 14 हजार 794 वाहन थे यह 2003-04 में बढ़कर 6 लाख 79 हजार 326 हो गये, जो यहां की सड़कों की क्षमता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। 2003-04 में व्यावसायिक व निजी वाहनों की संख्या में क्रमशः 5.9 व 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई। मार्च, 2003 तक जहां दो पहिया वाहनों की कुल संख्या 491012 थी वही मार्च, 2004 में यह संख्या बढ़कर 543485 हो गयी। वर्ष 2003 में जहां कार, जीप, ट्रैक्टर आदि की संख्या 93743 थी जो वर्ष 2004 में बढ़कर 104017 हो गयी।

इसी प्रकार मार्च, 2003 तक कुल बसों की संख्या 3359 थी जो मार्च, 2004 में बढ़कर 3033 हो गयी। रात्रि के लिए तय 40 डेसीबल के मानक को काफी पीछे छोड़ सिविल अस्पताल के निकट शोर रात 12 बजे 67.94 डेसीबल मापा गया। जबकि अवध अस्पताल पर 66.32 डेसीबल

रिकार्ड किया गया। सिर्फ अस्पताल ही नहीं पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थल हाईकोर्ट भी रात में शोर की गिरफ्त में पाया गया जहां रात्रि 2 बजकर 35 मिनट पर शोर का स्तर 58.34 डेसीबल मापा गया वही रात में उन सभी रिहायशी इलाकों में जहां माप जोख की गई ध्वनि तीव्रता 45 डेसीबल के मानक के मुकाबले 54 से 62 डेसीबल की रेंज में मिली इसमें प्रमुख क्षेत्र गोमती नगर, महानगर, इंदिरा नगर, कैंट, आशियाना, मोतीनगर, पार्क रोड, निरालानगर है। जबकि व्यवसायिक क्षेत्रों में डालीगंज, अमीनाबाद, चारबाग, नक्खास, रकाबगंज, नाका, तेलीबाग इलाकों में 55 डेसीबल की सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक शोर का स्तर 65 से 74 डेसीबल के बीच पाया गया बोर्ड द्वारा शहर के उन विभिन्न क्षेत्रों की ध्वनि प्रदूषण की जो माप जोख की गई उससे यह शहर की तस्वीर उभरी है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद-

हमारी सरकार इस पर चिन्ता कर रही है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायू प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास कर रही है इस तरह के पेड़ लगाएं जैसे नीम, पीपल, बरगद, देशी आम, महुआ, जामुन जैसी प्रजाति के पेड़ लगाए जाएं। इनमें कार्बन डाई मोनो आक्साइड गैस सोखने की क्षमता होती है इससे यहां पर बैठे लोग और प्रदेश के लोग स्वस्थ्य रहेंगे। देश स्वस्थ्य नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा विकास नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

कोई और सदस्य बोलना चाहता है ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्योंकि भारत सरकार की स्कीम चलती है भारत सरकार जिस तरह से नियम बनाती है उसे प्रदेश सरकार लागू करती है। पहले के सब नियम बने हैं। इसकी समीक्षा के समय मैंने कहा था पता नहीं वह समय कब जाएगा, जहां नियमों का पालन नहीं होता है वहां यूनिट बन्द कर दी जाती है देर लगेगी नियम बनाने में। तो बजाए यूनिट बन्द की जाए यूनिट बन्द करने से विकास में असर पड़ेगा तो यूनिट वाले को बंद किया जाए। भारत सरकार से जो निर्देश मिलते हैं उसका पालन होता है। राज्य सरकार अपनी हदों के अन्दर काम करती है। मुकदमे कायम हुए हैं लोग जेल भी गए हैं जो प्रभावी रूप से किया जा सकता है, वह किया जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आप इस संकल्प को वापस ले लें।

श्री राम विशुन आजाद-

वापस लेता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपको धन्यवाद।

माननीय सदस्य ने जिस तरह संकल्प रखा है और जितनी जानकारी सदन को दी है, वह खुद में एक दस्तावेज साबित होगा, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि श्री राम विशुन आजाद के संकल्प की 'इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में बढ़ते हुए वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय' को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने हेतु प्रभावी नीति बनायी जाय" के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

*डा0 विनोद तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता जी, "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने हेतु प्रभावी नीति बनायी जाय।"

मान्यवर, प्रायः देखने में आता है और कई बार विधान सभा में भी मांग उठ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के ऊपर बड़े-बड़े पूंजीपति हावी हो रहे हैं, तमाम कान्वेंट विद्यालय चलाये जा रहे हैं, नीचे से लेकर इण्टरमीडिएट कालेज तक हैं और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वह बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो और चाहे हायर एजूकेशन हो, मैं कहना चाहता हूं, उसका जो मानक होना चाहिए, बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। एक समय था, हम लोग परिषदीय विद्यालयों से पढ़ कर आए हैं, उस समय कान्वेंट विद्यालय नहीं थे, कहीं इक्का-दुक्का थे। मान्यवर, हमारे प्रदेश की अधिकांश आबादी अभी देहातों में निवास करती है, प्रायः देखने में आता है कि हमारे उन बच्चों को जो देहात में जन्म लेते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, कुछ परसेण्ट बच्चे ही बड़े-बड़े महानगरों में, जनपदीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको कान्वेंट की एजूकेशन मिल सकती है क्योंकि धनाड्य व्यक्ति ही उसमें पढ़ा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे प्रदेश में ही लखनऊ का आज यह आलम है कि गली-गली कान्वेंट विद्यालय देखने को मिल रहे हैं और जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें शिक्षा का ह्रास होता जा रहा है। मैं परिषदीय विद्यालयों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां एक कान्वेंट विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा पैंट, सर्ट टाई पहन कर बस से शिक्षा ग्रहण करने जाता है, वहीं जो परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने के लिए कोई साधन नहीं है। जब वह विद्यालय में जाता है तो उसको वहां बैठने के लिए पट्टियां भी उपलब्ध नहीं होती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिये न तो पुस्तकों की व्यवस्था है, न कोई ड्रेस या यूनीफार्म है और यह जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आगे चलकर उत्तर प्रदेश के वही भावी नागरिक बनेंगे। मान्यवर, जो बच्चे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और जब यह कान्वेंट स्कूल के बच्चों से अपनी तुलना करते हैं तो उनमें हीन भावना पैदा होती है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब बच्चों में हीन भावना पनप जायेगी तो उनका न भविष्य उज्जवल होगा और न वह आगे सरवाइव कर पायेंगे। जो पूंजीपतियों के हाथ में कान्वेंट विद्यालय उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, यदि इन पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतनी व्यवस्था तो निश्चित रूप से होनी चाहिये, मैं जानता हूं कि जब मंत्री जी जवाब देंगे तो कहेंगे कि कान्वेंट विद्यालय केन्द्र सरकार के अधीन हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र के अधीन जरूर है लेकिन जब तक एन0 ओ0 सी0 नहीं देते हैं, तब तक उन्हें मान्यता नहीं मिल सकती है, कान्वेंट विद्यालय नहीं चल सकते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इन बच्चों में, आगे आने वाली पीढ़ी में हीन भावना न पनपने दें और निश्चित रूप से यह व्यवस्था करें अगर कान्वेंट विद्यालयों को चलाना ही है तो उन्हें एन0 ओ0 सी0 तभी दें जब वह गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के बच्चों के लिये एक कोटा निर्धारित करें। यह व्यवस्था करें कि इतने परसेण्ट बिलो पावर्टी लाइन के बच्चों को लेना पड़ेगा, इससे एक सार्थक परिणाम आयेगा और हमारे बच्चे हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे। बच्चा जब जनम लेता है, वह चाहे बड़े आदमी के घर में जनम ले या छोटे आदमी के घर में जन्म ले, उसके लिये एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें ईश्वर की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है।

मान्यवर, अगर काटकर खून देखें तो एक पूंजीपति के बच्चे का खून और एक गरीब व्यक्ति के बच्चे का खून का रंग भी एक सा लाल होगा। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा में दोहरा मापदण्ड नहीं होना चाहिये। जो दोहरी शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में चल रही है इस पर धीरे-धीरे कुछ अंकुश लगना चाहिये जिससे हमारे बच्चे हीन भावना से ग्रसित न हों। जब यू0 पी0 बोर्ड से कोई बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है तो वह हिन्दी मीडियम से पास करता है और यू0 पी0 बोर्ड से पास प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इण्टर के बच्चों के 50-60-70 प्रतिशत से अधिक अंक नहीं आते हैं जबकि सी0 बी0 एस0 सी0 के बच्चों को 95-98 प्रतिशत तक अंक दिये जाते हैं। इससे भी बच्चों में हीन भावना ग्रसित होती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा चाहे वह अमीर के घर में जन्म ले या किसी गरीब के घर में जन्म ले सबको पढ़ने का अधिकार बराबर का है।

झुग्गी-झोपड़ी में जन्म लेने वाला बच्चा अधिकतर सरकारी विद्यालयों में पढ़ता है क्योंकि उनके मां-बाप के पास उन्हें पढ़ाने के लिये पैसे नहीं होते हैं। उनके पास उन्हें कान्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिये एडमीशन की फीस, टाई के लिये रुपये, सूट के लिये रुपये, बूट के लिये रुपये नहीं होते हैं। परिषदीय विद्यालयों में जो बच्चे जाते हैं उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती हैं और आप भी इससे सहमत होंगे कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नही है, पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, कल शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां की हैं और कुछ और करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों की जहां-कहीं भी कमी हैं वह तत्काल दूर की जानी चाहिये वहां पर प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिये। हमारे जो बच्चे देहात क्षेत्रों में परिषदीय कालेजों में, हाई स्कूल, इण्टर में पढ़ते हैं उन्हें भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है जब वहां पर पर्याप्त संख्या में शिक्षक नियुक्त हों। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करना चाहता हूं कि प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में, हाई स्कूल, इण्टर कालेजों में जहां-कहीं भी शिक्षकों की कमी है वहां पर पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की तैनाती की जानी चाहिये। आज के बच्चे कल का भविष्य है। जब कल का भविष्य ही बिगड़ जाएगा तो हमारे प्रदेश की क्या हालत होगी ? मैं मांग करना चाहता हूं कि प्रदेश में समान शिक्षा नीति आनी चाहिये। अगर इस सत्र में नहीं ला सकते तो अगले सत्र में प्रदेश में समान शिक्षा नीति लायें जिसमें बच्चों को समान अधिकार हों। चाहे वह झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला बच्चा

हो या किसी आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 के घर में रहने वाला बच्चा हो। सबको शिक्षा का समान अधिकार है और इसके लिये समान शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश सरकार को बनानी चाहिये मैं इस बात की पुरजोर मांग करता हूं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि मेरी बात का जवाब मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र राजस्व मंत्री, श्री अम्बिका चौधरी जी देंगे। मैं उनका बड़ा आदर, उनकी कद्र और उनका सम्मान करता हूं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि प्रदेश में समान शिक्षा नीति बनाने की वह घोषणा करें, जिससे हमारे बच्चे जो कल के नागरिक हैं, और कल का भविष्य हैं उनकी जिन्दगी को संवारा जा सके, वह अपने पैरों में खड़े हो सकें, उनमें हीन भावना न पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समान शिक्षा नीति पर पुरजोर बल देते हुये अपने इस संकल्प पर बल देता हूं।

*श्री मुंशी लाल गौतम-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, डा0 विनोद तिवारी जी द्वारा रखे गये संकल्प 'इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने हेतु प्रभावी नीति बनायी जाय' इसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। गांव-गांव, कस्बों-कस्बों के चप्पे-चप्पे में कान्वेंट स्कूल खुल गये हैं। गरीब आदमी कैसे पढ़ायें ? रिक्शा वाला अपने बच्चे कैसे पढ़ाये, मोची अपने बच्चों को कैसे पढ़ाये, सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाये, कपड़ा धोने वाला अपने बच्चों को कैसे पढ़ाये, रोज मजदूरी करने वाला अपने बच्चों को कैसे पढ़ाये। क्योंकि इतना बोझ उसके ऊपर है। सबकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा टाई लगाकर, जूता पहनकर, ड्रेस पहनकर स्कूल में जाये। मान्यवर, बच्चे तो कुम्हार की मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी से अच्छे-अच्छे बर्तन बनाता है उसी तरह से यह बच्चे होते हैं। आप अच्छा पढ़ाओगे तो अच्छे होंगे। अच्छे बच्चे देश और प्रदेश की तरक्की कर सकते हैं। आज बच्चे छात्रवृत्ति की लालच में स्कूल जाते हैं। वह ऐसे स्कूल में जाना पसन्द करते हैं जहां पर टाट-पट्टी नहीं है, अध्यापक नहीं है। टूटी हुई छत है, बैठने के लिए जगह नहीं है और शिक्षा मित्र भैंस चराते हैं। ऐसे स्कूलों में जहां मध्याह्न भोज चल रहा हो उसमें जाना पसन्द करते हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र शिकारपुर में, प्राइमरी स्कूल में 209 बच्चे मध्याह्न भोज करने के कारण बीमार हो गये। उनमें कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पिता नहीं थे। उनकी माता परेशान थी। वह सब अस्पताल में परेशान होकर घूम रहीं थीं। बच्चे रो-रोकर अपनी माता से पूछ रहे थे कि हमारे पापा नहीं हैं कौन हमारी दवा करेगा ?

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त कीजिये।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, बच्चों के लिए फलों की व्यवस्था की जाय, शिक्षकों की व्यवस्था की जाय, एक समान शिक्षा तथा फ्री शिक्षा कर दी जाय। मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए इस पर बल देता हूं।

श्री राम करन आर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस संकल्प पर अपनी बात कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय डा0 तिवारी जी ने जो संकल्प रखा है वाकई में वह पुनीत है और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। सरकार पहले से ही कटिबद्ध थी। मान्यवर, जब मैं पहले स्वयं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री था तो मैंने एक कमेटी बनायी थी जिसमें मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज की शिक्षा के लिए कितनी फीस ली जायेगी यह तय करना था ? यह कमेटी हमने बैठायी थी।

मन-माने तरीके से, सभी डेण्टल कालेज और जो आपके टेक्निकल कालेज हैं, पैसा वसूल करते थे, इसलिए मैंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने यह तय कर दिया था कि छात्रों से इतनी ही फीस ली जायेगी, लेकिन मान्यवर, जो चोर होते हैं वह एक दरवाजा बन्द होने के बाद दूसरा दरवाजा खोल लेते हैं। वर्तमान में भी हमारी सरकार ने फीस तय कर दिया लेकिन अब यह कालेज हास्टल रेण्ट के नाम पर और सिक्योरिटी मॅनी के नाम पर अनाप-सनाप पैसा वसूल कर रहे हैं। मान्यवर, तेलीबाग में जो कालेज है उसने इसी तरह से बड़े पैमाने पर छात्रों से पैसा वसूल किया है। सिक्यूरिटी मॅनी 01 लाख 25 हजार रुपये कर दिया गया है। इसे कालेजों ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया है।

मान्यवर, डा0 विनोद तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, यह सरकार शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए कटिबद्ध है अतः आप अपना संकल्प प्रस्ताव वापस ले लें साथ ही सरकार से मेरा निवेदन है कि जो ट्यूशन फीस के बारे में नीति बनाई गई है, उसी तरह से अन्य के लिए भी नियम बना दिया जाय। माननीय अधिष्ठाता जी, एक छात्र अभी तीन दिन से घूम रहा है. वह एक लाख 25 हजार रुपये सिक्योरिटी मॅनी नहीं दे पा रहा है। वैसे सिक्योरिटी मॅनी सरकार तय नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इतनी ज्यादा रकम वसूल करने वाले कालेजों पर बंदिश लगाई जाय जो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मॅनी और हास्टल रेण्ट वसूल न करें। अन्त में, मैं फिर डा0 तिवारी जी से अपना संकल्प वापस लेने के लिए अनुरोध करता हूं।

*श्री धर्मपाल सिंह (बरेली)-

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश में दो तरीके की शिक्षा व्यवस्था है। एक तरीके की शिक्षा व्यवस्था है हुजूर के बच्चों के लिए और एक तरह की शिक्षा व्यवस्था है, मजूर के बच्चों के लिए। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हुजूर के बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वह कान्वेण्ट प्रणाली है और जगह-जगह कुकुरमुत्तों की तरह विद्यालय खुल गए, उनका एक मानक होना चाहिए और उन मानकों का कड़ाई से पालन कराना चाहिए और शिक्षा के लिए फीस तय करनी चाहिए। जो मजूर के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है, जहां वह विद्यालय चलाये जाते हैं उनमें भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, वहां पर इन सबकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कालेज है, भवन बने हुए हैं, फैकेल्टी बनी हुई है, पर वहां पर शिक्षक नहीं है, तो वहां पर पद सृजित करके शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसी के साथ मैं माननीय डा0 विनोद तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय डा0 विनोद तिवारी जी ने संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने हेतु प्रभावी नीति बनाने पर बल दिया, जिस पर हमारी सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरी तरह से सजग है और व्यवसायीकरण को रोकने के लिए समय-समय पर तमाम कदम भी उठाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। मान्यवर, जो शिक्षा का विषय है, केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इस बारे में लगातार सुधार करने के लिए समय-समय पर कार्य करती रहती है।

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा भी इस सम्बन्ध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करने का काम किया जाता रहा है। मान्यवर, यह बात सही है कि जो बेसिक शिक्षा है या माध्यमिक शिक्षा है या परिषदीय विद्यालय हैं उनमें अव्यवस्थाओं की तरफ आपने ध्यान आकृष्ट करने का काम किया तथा शिक्षा में जो असमानता है उसको दूर करने के लिए कहा। आदरणीय तिवारी जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब-जब आपकी पार्टी सत्ता में रही है, तीन बार रही है, कुछ समय इनके साथ मिलजुल कर भी रही है, तब आपकी पार्टी की सरकार इन पर विचार नहीं करती रही है। अच्छा होता कि उस समय आपकी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाने का काम किया होता। मान्यवर, यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब-जब यहां सत्ता में रही, तब-तब उसने इस शिक्षा में असमानता को बढ़ाने का काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि गांव का निर्धन छात्र शिक्षा से वंचित होता गया क्योंकि कुछ ही लोगों के हाथों में शिक्षा की व्यवस्था केन्द्रित होती जा रही थी।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य, हजूर के बच्चों और मजदूर के बच्चों को शिक्षा की बात कर रहे थे तो उस परम्परा को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है और जब हमारी पार्टी की सरकार सत्ता में आयी समाजवादी सोच की सरकार सत्ता में आयी और उस पार्टी की सरकार ने जिसने यह नारा दिया था कि रोटी कपड़ा सस्ता होगा और दवा, पढ़ाई मुफ्त होगी, यानि कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आयेगी तो पढ़ाई और दवाई को मुफ्त दिलाने का काम किया जायेगा। मान्यवर, यह विचारधाराओं का सवाल है। डा0 राम मानेहर लोहियां जी ने एक बार कहा था कि जिस प्रकार प्रकृति की वायु हमें मुफ्त मिलती है जिस प्रकार सूरज की रोशनी हमें मुफ्त मिलती है उसी तरह से ज्ञान भी मुफ्त दिया जाना चाहिए। ज्ञान की कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए। भारत के संविधान में भी डायरेक्टिव प्रिन्सपल आफ स्टेट पालिसी के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। तीन बार आपकी सरकार बनी आपने इस बारे में सोचने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इंटर तक की शिक्षा मुफ्त करने का काम किया है और लड़कियों की शिक्षा बी0ए0 तक निःशुल्क करने का काम किया है। यही नहीं हिन्दुस्तान के अंदर पहली योजना है जिसमें हमारी सरकार ने कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की इंटरमीडिएट पास लड़कियों को 20 हजार रु0 की आर्थिक सहायता देने का काम किया है ताकि वह उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित हो सके। यही नहीं बेसिक शिक्षा और परिषदीय विद्यालयों में जो पिछले दिनों अव्यवस्था व्याप्त थी उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके लिए अलग से बजट में व्यवस्था करके तथा शिक्षकों की नियुक्ति करके। 46189 बी0एड0 पास बेरोजगारों को विशिष्ट बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग देकर प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त कर रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछले वर्ष एक लाख शिक्षा मित्र शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। इस वर्ष भी हमारी सरकार एक लाख शिक्षा मित्र शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। सरकार का यह प्रयास है कि प्राथमिक विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो और शिक्षक उपलब्ध हों। इसलिए सरकार लगातार शिक्षकों की

नियुक्तियां करके उस कमी को पूरा करने का काम कर रही है। कान्वेन्ट विद्यालयों का आपने सवाल उठाया है यह सही है कि कान्वेन्ट विद्यालय प्राइवेट लोगों द्वारा संचालित किये जाते हैं और उससे निश्चित रूप से आज शिक्षा में असमानता बढ़ी है लेकिन वह विद्यालय हैं किसके ? इसका आप परीक्षण करा लीजिये। आप ही लोगों के वे कान्वेन्ट विद्यालय ज्यादा संख्या में मिलेंगे और यही शिक्षा की असमानता को दूर करने के लिए क्या कभी उसके पहले किसी ने पहल करने का काम किया ? यह हमारी सरकार ने किया। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंने कहा कि हम उस समान शिक्षा को लागू करने का काम करेंगे और कम से कम, परिषदीय या कक्षा 8 स्तर तक/हम समान शिक्षा को लागू करने काम करेंगे। समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षा और ऐसी शिक्षा जहां कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का काम करेंगे। राष्ट्रपति का बेटा हो, मुख्य मंत्री का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो कलेक्टर का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो दोनों को एक साथ करके एक ही पाठ्यक्रम और एक ही स्कूल में शिक्षा देने का काम किया जायेगा। यही है कृष्ण और सुदामा की शिक्षा। यह समाजवादी सोच के माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इसको लागू करने का काम करेंगे।

लेकिन इसका विरोध किया आपकी ही पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समान शिक्षा का विरोध करने का काम आप ही लोग कर रहे हैं। दोहरा विचार किसका है, यह आप लोगों का है। एक तरफ शिक्षा की असमानता और दोहरी शिक्षा को समाप्त करने की बात करते हैं और दूसरी ओर जब समान शिक्षा की बात इधर से की जाती है तो उसका विरोध करने का काम करते हैं। हम शिक्षकों की कमी को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। हमने बढ़ी हुई फीस को वापस लेकर सस्ती शिक्षा करने का काम किया है, गांव और गरीब के बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का काम हमने किया है। उच्च शिक्षा को इस सरकार की नीति के कारण प्रदेश के, गांव के, गरीब, निर्धन छात्रों का इस सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और आज विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्र दाखिले के लिए, प्रवेश के लिए आयें हैं और पढ़ रहे हैं। यह सारा मा0 मुलायम सिंह यादव जी की उस शिक्षा की नीति का परिणाम है कि आज गांव के गरीब लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार उन्हें उच्च शिक्षा देना चाहती है कालेजों में संख्या बढ़ी है और सरकार का संकल्प है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी छात्र कालेज में, महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये जायेंगे, सरकार उनका प्रवेश सुनिश्चित कराने का काम करेगी और उन्हें उच्च शिक्षा देने का काम करेगी। हमने शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने का काम किया है। माननीय तिवारी जी ने अपना जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए और शिक्षा के उच्च स्तर को बढ़ाने के लिए, हमने इस दिशा में काम किया है। सरकार तो जितनी आपने मंशा प्रकट की है, सरकार ने उससे ज्यादा करने का काम किया है और भविष्य में और ज्यादा करने का काम करेगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप संकल्प को वापिस ले लें।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मैंने संकल्प प्रस्तुत किया था अभी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने अपने जवाब में कुछ बातें कहीं हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित

करना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने अपने सम्बोधन में इस सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जो जो कार्य किये गये थे मैंने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की और जो कमियां रह गयीं थी उनको दुरुस्त करने के लिए कुछ सुझाव दिये थे। उम्मीद थी कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी अपने जवाब में निश्चित रूप से उनकी तरफ कुछ ध्यान आकर्षित करेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कान्वेन्ट विद्यालयों के बारे में मैंने कहा था और मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कान्वेन्ट विद्यालयों को स्थापित करने का कार्य आपकी सरकार ने किया है। मान्यवर, इसके अलावा मैंने समान शिक्षा नीति की बात की थी, उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि समान शिक्षा नीति का विरोध हमेशा आपकी पार्टी ने किया है। मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमने जो कुछ किया अच्छा किया या बुरा किया, आज हम वहां से आकर यहां पर बैठे हैं लेकिन मैं आपको नसीहत देना चाहता हूं कि जिसकी वजह से हम यहां आये हैं, कृपा करके आप उसकी पुनरावृत्ति न करें, अगर आप ऐसा ही करते हैं तो हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में इस समय कार्य कर रही है, इसके मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी खुद शिक्षक हैं। जिस पार्टी का मुखिया शिक्षक हो और वह प्रदेश का मुख्य मंत्री भी हो तो मुझे उनसे भी उम्मीद थी कि समान शिक्षा नीति बनाने के बारे में कोई घोषणा अवश्य की जायेगी, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य में ऐसी कोई बात परिलक्षित नहीं हुयी। इससे मुझको अपार पीड़ा हुयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी समान शिक्षा नीति लागू करके गरीबों के बच्चों को सही शिक्षा देने का कार्य नहीं करना चाहती है, इसलिये वह इस संकल्प का विरोध करती है। मैं पुनः अपने संकल्प पर बल देते हुये यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में समान शिक्षा नीति निश्चित रूप से लागू होनी चाहिये। मैं अपने संकल्प पर पुनः बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने हेतु प्रभावी नीति बनायी जाय ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में विमुक्त जातियों के उत्थान हेतु छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय तथा सरकारी सेवा में संख्या के आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराया जाय।" के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री जगदीश नारायण राय-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में विमुक्त जातियों के उत्थान हेतु छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय एवं सरकारी सेवा में उन्हें संख्या के आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराया जाय।"

मान्यवर, इस पर विचार माननीय राजभर जी व्यक्त करेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक स्पेसिफिक तौर पर इस क्लास के संबंध में यह संकल्प आया है। यह विमुक्त जातियां जो इस प्रदेश में हैं, वह विमुक्त जातियां अंग्रेजों के समय में अपराधी

जाति घोषित की गयी थीं और इस जाति के आधार पर पूरे समाज को अपराधी घोषित कर दिया गया था। इनके घर जब बच्चा पैदा होता था तो थाने जाकर दर्ज कराना पड़ता था कि हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है। ऐसी विमुक्त जातियों की सूची बनी, तो कुछ पिछड़ी जाति में चले गये, कुछ अनुसूचित जाति में चले गये और कुछ अनुसूचित जनजाति में चले गये। बाद में कुल 7-8 जातियां बचीं लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी, जैसे राजभर जाति को विमुक्त जाति में रखा गया। जैसा मैंने शुरू में संकेत दिया कि पूरी की पूरी जाति को अपराधी घोषित किया गया और इनको क्रिमिनल ट्राइब कहा गया था। आजादी के बाद देश के नेताओं ने इस बारे में सोचा और यह कहा कि इस तरह पूरी जाति को अपराधी घोषित करना मानवाधिकार नहीं है। इसलिये इनको डिनोटीफाइड कर दिया गया। इसमें विमुक्त जातियां परिभाषित थीं। यह कहा गया कि इनके रहने का कोई स्थान नहीं है, यह खाना-बदोश हैं, शिक्षा-दीक्षा नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं हैं, इसलिये घूम-घूमकर अपराध करने का काम करते हैं। आज एक बार फिर आजादी के बाद हम इन जातियों के बारे में इस सदन में बहस कर रहे हैं। कुछ सरकारों ने इनको डिनोटीफाइड कर दिया जिन जातियों को वर्ष 1962 में चिन्हित किया गया था, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिये, आवास देने के लिये इन्तजाम किया जाये। जो घुमक्कड़ हैं, उनके लिये जमीन की व्यवस्था करके उनको सेटिल कर दिया जाय, उनके लिये आवास की व्यवस्था कर दी जाय। 10-15 प्रोग्राम उनके लिये बनाये गये थे, जब उनको डि-नोटीफाइड किया गया था। मान्यवर, उनकी शिक्षा, दीक्षा, नौकरी, भूमि आवंटन से लेकर उन्हें सस्ती दरों पर ऋण देकर उनके उत्थान के लिये कार्य किया जाय। जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब कहा था, आज हम उन्हीं के लिये बहस करना चाहते हैं और इसमें राजभर जाति मुख्य जाति है। पूर्वांचल में सभी जनपदों में यह संख्या ज्यादा है, हमारे माननीय सदस्य जो पूर्वांचल के हैं, वह जरा दिल पर हाथ रखकर देखें कि वहां पर इन जातियों की क्या हालत है ? राजनीति के क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर एम0 एल0 ए0 के रूप में दो-तीन लोग आये हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इन जातियों की हालत अच्छी नहीं है।

मान्यवर, वह निर्धन हैं, उनके लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाय, जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित किया था, उनके बेटों के लिये यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार इस संकल्प पर गम्भीरता से विचार कर लें, और उनके लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दे, उनके लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दे। मान्यवर, पूर्वांचल में इन लोगों के पास धन नहीं है, मकान नहीं है, खेती नहीं है, वह बहुत गरीब हैं, इसलिये उनके लिये एक-दो परसेंट का रिजर्व कोटा बना दिया जाय। मान्यवर, आप केवल अकेले आजमगढ़ में सर्वे करा लें तो आपको नौकरियों में 5-5 लेखपाल और 5-5 अध्यापक से ज्यादा इन जातियों के लोग नहीं मिलेंगे। अंग्रेजों ने जिन्हें अपराधी घोषित किया था, जिन्हें दबाया था, उन जातियों के लिये यह संकल्प लाया गया है। मैं इस संकल्प के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी स्थिति पर गम्भीरता से विचार कर लें और उनके लिये व्यवस्था कर दें तो मैं इस संकल्प को वापस ले लूंगा। पूर्वांचल में इन विमुक्त जातियों के बेटों को वजीफा अनिवार्य कर दें, उन्हें छात्रवृत्ति दे दें, यह बहुत थोड़ी संख्या में हैं, इनके लिये जमीन की व्यवस्था कर दें, अगर हो सके तो और दिल में ख्वाहिश हो तो एक-दो परसेंट का कोटा इनके लिये रिजर्व कर दें। मान्यवर, अगर आप आजादी का इतिहास उठाकर देखें तो चौरीचौरा काण्ड में आपको तीन राजभरों के नाम मिल जायेंगे। मान्यवर, ऐसे लोगों के लिये यह संकल्प

लाया गया है, मुझे चौधरी साहब से बहुत उम्मीद है कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। अगर आप उनकी दयनीय स्थिति को जानते हैं तो दो पैसा उनको भी देने का काम करें, जिससे वह सामाजिक बन सकें।

*समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

माननीय अधिष्ठाता जी, इस आदरणीय सदन में विमुक्त जातियों के लिये राय साहब ने अपना संकल्प रखा है और उस पर श्री सुखदेव राजभर जी ने विद्वतापूर्ण भाषण देने का काम किया है। मान्यवर, जहां तक विमुक्त जातियों का सवाल है माननीय सुखदेव राजभर जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि विमुक्त जातियों में कुछ जातियां प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करती हैं और कुछ जातियां घुमक्कड़ टाइप की होती है। इन जातियों में अधिकांश अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति में हैं और कुछ सामान्य जाति में हैं और करीब 36 जातियां हैं। मान्यवर, उनकी शिक्षा के लिये और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये जैसा कि सुखदेव राजभर जी ने कहा और माननीय जगदीश नारायण राय जी ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, इन जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा एक से पांच तक 25 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक 40 रुपये और कक्षा 9 से 10 तक 60 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति के साथ-साथ उनको रोजी-रोटी से जोड़ने के लिये हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि में इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वह रोजी रोटी कमा सकें। यही नहीं हमारी सरकार में यह भी व्यवस्था है कि ऐसे छात्र जिनके मां-बाप की आमदनी बिल्कुल नहीं है, गरीब हैं, विमुक्त जाति के हैं तो उनके लिये आश्रम पद्धति विद्यालय बने हुए हैं, जहां पर ये विमुक्त जाति के बच्चे उस आश्रम पद्धति विद्यालय में जायेंगे, वहां उन्हें निशुल्क भोजन, वस्त्र व किताबों के साथ ही जितनी सुविधायें किसी छात्र के लिये अनुमन्य हुआ करती है वह सारी सुविधायें सरकार की तरफ से निशुल्क मिलेंगी। जहां तक राजभर जी ने कहा कि विमुक्त जातियों के बच्चों को शिक्षित करना है, ऊपर उठाना है, यह पूरी तरह से निर्मूल है। राजभर जी विद्वान हैं। हमारी सरकार ने एक नारा दिया था अब वह नारा, नारा नहीं रह गया है।

माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब से सरकार बनी है, यह सरकार की प्राथमिकता हो गयी है और वह लागू है। कक्षा 12 तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, चाहे वह किसी जाति के हों। आज इस आदरणीय सदन में मुझे यह कहते हुये खुशी हो रही है कि इस समय शिक्षा सत्र का शुभारम्भ है। शिक्षा विभाग की तरफ से कक्षा 1 से लेकर 5 तक सभी बच्चों के लिये चाहे सामान्य, पिछड़ी जाति, विमुक्त जाति के हों, सभी बच्चों को निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें देने का इंतजाम सरकार ने किया है। जहां तक यह कहा गया कि विमुक्त जातियों को शिक्षित करने के लिये अलग से इंतजाम किया जाए, अलग से कानून बनाया जाय, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय राजभर जी की पार्टी को इस प्रदेश में शासन करने और विमुक्त जातियों को ऊपर उठाने का जरूर मौका मिला था लेकिन जो आज बात कर रहे हैं उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि आज ऐसी अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार केवल विमुक्त जातियों के लिये ही नहीं सभी जातियों के प्रति संवेदनशील है, चाहे शिक्षा हो या आर्थिक रूप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ऊपर उठाने की बात हो, उनके उत्थान के लिये और समाज में सम्मान दिलाने के लिये, राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये हमारी सरकार पूरी तरह से सतत् प्रयत्नशील है। अच्छा होता कुछ सुझाव दिये होते तो मैं उन सुझावों का जरूर स्वागत करता। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य राय साहब और राजभर जी ने जो अपना संकल्प रखा है उसको वापस ले लें तो बहुत अच्छी बात होगी।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय मंत्री जी आजमगढ़, बलिया, मऊ के बारे में बतायें वहां एक पैसा भी छात्रवृत्ति के नाम पर नहीं गया है। विमुक्त जाति के लड़के छात्रवृत्ति का फार्म नहीं भर रहे हैं। मैं गारन्टी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 12 प्वाइंट का प्रोग्राम बनाया था हमारी सरकार चली गयी नहीं तो उसको हम पूरा करते। आप कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लड़कों को वजीफा मिला है। जब सर्वदलीय बैठक हुयी तो उसकी असलियत सामने आ गयी थी। आपने ऐसी घोषणा कर दी जैसे कोई अंधों की बस्ती में चश्मा बांट कर आया हो। जैसा कि मैंने मांग की आप 2 परसेंट नौकरियों में व्यवस्था कर दें। चौधरी साहब आप बलिया जनपद की जांच करवा लें, बलिया जनपद में विमुक्त जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अंधों की बस्ती में चश्मा न बांटें और सही ढंग से योजना की घोषणा करें ताकि कुछ काम का पता चले।

* राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, माननीय जगदीश नारायण राय द्वारा रखे गये संकल्प पर माननीय सुखदेव राजभर जी ने अपनी बात रखी है। माननीय सदस्य ने छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही है। मैं माननीय सुखदेव राजभर जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, मैं राजनीतिक आक्षेप नहीं कर रहा हूं हमने विमुक्त जातियों को अनुसूचित जातियों की भांति लाभ देने के लिये सदन का प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा है, अब यह भारत सरकार को तय करना है कि यह सुविधायें विमुक्त जातियों को मिलें। विमुक्त जातियों की स्थिति अनुसूचित जातियों के समान है। विभिन्न कारणों से, तकनीकी कारणों से विमुक्त जातियों को अनुसूचित जातियों के समान जो सुविधायें मिलनी चाहिये वह आज तक मुहैया नहीं हैं, यह स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो सुविधायें प्राप्त हैं वही विमुक्त जातियों को मिलनी चाहिये लेकिन वह प्रदान नहीं की जा सकी हैं, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एक जमाना था कि माननीय राजभर जी सत्ता में रहकर न करा सके। इसमें एक राजनीतिक पेंच था जिसके चलते यह नहीं हो पाया। चूंकि अनुसूचित जाति का कोटा है उसमें बंटवारा हो जाता इसलिये विमुक्त जातियों को उसमें शामिल नहीं किया जा सका। लेकिन यह समाजवादी पार्टी की सरकार है। हमारा मानना है कि अनुसूचित जातियों को जो सुविधा मिल रही है वही सुविधा विमुक्त जातियों को मिले। राजभर जाति विमुक्त जातियों के अन्तर्गत आती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावहारिक निर्णय लेते हुये शासनादेश निर्गत किया है। यह शासनादेश उनको अगर मिला है तो वह अवगत नहीं करा रहे हैं या तो श्री जगदीश नारायण राय जी उन पर दबाव डालें होंगे वरना उनको तो बधाई देना चाहिये था कि जिस समस्या को वह मंत्री रहते हुये हल नहीं कर सके उस समस्या का समाधान इस सरकार ने कर दिया। आपको शासनादेश की कापी मिल गई होगी। उनको तो स्वयं उठकर शासनादेश का उल्लेख करना चाहिये था तो अच्छा होता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह अपनी बात रख भी नहीं पाये थे कि हमने उनकी कठिनाई को दूर करने का काम किया। यह संकल्प श्री जगदीश नारायण राय साहब ने रखा है उनको विमुक्त जातियों से क्या लेना देना है ? उसी तरह से श्री सुखदेव राजभर की पार्टी को भी इससे कोई लेना देना नहीं है।

श्री जगदीश नारायण राय-

आप लोगों की सामन्तवादी सोच है। आपको इन जातियों से कोई लेना देना नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्री जगदीश नारायण राय जी का विमुक्त जातियों से कोई लेना देना नहीं है। सुखदेव राजभर संयोग से उसी बिरादरी में पैदा जरूर हुये हैं लेकिन वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं ? उनको मुलायम सिंह सरकार को बधाई देते हुये अपने संकल्प को वापस ले लेना चाहिये।

श्री सुखदेव राजभर-

जो मंत्री जी ने शासनादेश की बात कही उस संबंध में एक वाकया सुना रहा हूं। एक पति पत्नी के बीच रोज रात भर झगड़ा होता रहता था इससे मुहल्ले वाले भी तंग रहते थे हार कर सब लोग उन लोगों के पास गये और कहा भाई रतिया भर झगड़ा क्यों करते रहते हो ? तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी का कहना है कि वह अपने बेटे को डाक्टर बनायेगी जबकि मेरा कहना है कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा इसलिये हम लोग झगड़ते हैं। तब उन लोगों ने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ उसी से पूछ लिया जाय कि वह क्या बनना चाहता है ? तो उन्होंने बताया कि अभी बेटा पैदा नहीं हुआ है। यही हाल चौधरी साहब का है।

श्री अम्बिका चौधरी-

यही बात तो मैं कहता हूं कि जगदीश नारायण राय की क्या राय है ?

श्री सुखदेव राजभर-

पिछड़ी जाति में राजभर पहले से ही मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में हैं। आपने हमारी पार्टी के बारे में बताया कि उसके यह विचार नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में बहन मायावती ने तीन घण्टे भाषण दिया है कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिये। मैं चैलेन्ज कर रहा हूं। अगर मेरी बात गलत हो जाय। विमुक्त जातियों को दो प्रतिशत का आरक्षण मिलना चाहिये। सरकार इस पर विचार कर ले ताकि वह न कलेक्टर बन सके तो लेखपाल तो बन ही जायं इन शब्दों के साथ मैं श्री जगदीश नारायण राय के संकल्प पर जोर दे रहा हूं।

श्री जगदीश नारायण राय-

मैं अपने संकल्प पर इसलिये बल दे रहा हूं क्यों कि चौधरी साहब को तो पता नहीं कि विमुक्त जातियों के लोग किन परेशानियों में रहते हैं। यह तो लाल बत्ती से निकल गये इनको क्या मालूम ? विमुक्त जाति के लोग इनके क्षेत्र मे रहते हैं, हमारे क्षेत्र में भी रहते हैं। लेकिन इनको उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि यह सत्ता में है। उनकी परेशानियों के बारे में यह अनुभव नहीं कर रहे हैं। जो स्कूलों में विमुक्त जातियों के बच्चे जाते हैं उनको छात्र वृत्ति देने के लिये हम विधायक लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में सूची लेकर पैरवी करने के लिये जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर देना चाहते हैं और नीयत भी है एकरूपता लाने की, तो अनिवार्य रूप से उनको छात्रवृत्ति मिले। इसी वजह से मैं इस संकल्प को लाया हूं । दो परसेन्ट उनको नौकरी में आरक्षण देने की बात कही है। सरकार की तरफ से जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में विमुक्त जातियों के उत्थान हेतु छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय एवं सरकारी सेवा में उन्हें संख्या के आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराया जाय ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में आगरा स्थित ताजमहल को आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया भारत सरकार के प्रबन्धन में ही रखा जाय।" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता-

बाजपेयी जी, आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं। "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में आगरा स्थित ताजमहल को आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया भारत सरकार के प्रबन्धन में ही रखा जाय।"

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह असरकारी संकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मान्यवर, ताजमहल भारतवासियों का है, भारत का गौरव है, विश्व का आश्चर्य है और हमारे सबके लिये गौरव की बात है। ऐसे ताजमहल को भारत सरकार ने 1920 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की धारा 3(अ) के अन्तर्गत 18-11-1920 को अपने प्रबन्धन में लिया था। उस समय आगरा अवध संयुक्त प्रान्त के गर्वनर ने ताजमहल को प्राचीन स्मारक में शामिल करते हुये निर्देश दिया था कि इन्हें बर्बाद करने, हटने या किसी प्रकार से इनमें फेर बदल करने या इनके आस-पास सरकारी आज्ञा के बिना कोई इमारत बनाना कानूनन जुर्म है। ताज कोरीडोर का मामला पिछली सरकार के समय बहुत चला। यह उसी निर्देश के कारण था जिस समय तत्कालीन भारत सरकार ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत इसका प्रबन्धन अपने हाथ में लिया था। जब स्वतंत्र भारत में हमारी अपनी सरकार बनी तो उसने पुराने 1904 के अधिनियम के स्थान पर एक नया सेन्ट्रल कानून बनाकर इसका प्रबन्धन अपने हाथ में ले लिया। अब जब भारत सरकार ने इसका प्रबन्धन अपने हाथ में ले लिया तो इसके प्रबन्ध में अब आज तक कोई नई बात खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह संकल्प लाने की जरूरत क्यों पड़ी ? एक बात प्रत्येक भारतवासी के मन में है चाहे वह किसी धर्म, किसी पंथ का क्यों न हो, सबके मन में एक प्रश्नचिन्ह लगा है। ताजमहल भारत सरकार के हाथ में 1920 से है और यह मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 का बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का है केन्द्रीय अधिनियम नहीं है। इसमें भी यह प्राविधान नहीं है कि राष्ट्रीय महत्व के रूप में केन्द्र द्वारा घोषित स्मारक को वह केन्द्रीय कानून की व्यवस्थाओं को समाप्त कर वक्फ बोर्ड अपने प्रबन्धन में ले लें। तब 1960 में बना था। राज्य का कानून था ताजमहल के नाम से कोई वक्फ नहीं था। वक्फ के नियमों के अनुसार ताज को अध्याप्ति नहीं किया जा सकता है। 1995 के वक्फ अधिनियम में वक्फ को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है-'वक्फ पवित्र या खैरात करने योग्य होने के रूप में मुस्लिम विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रयोजन के लिये किसी चल या

अचल सम्पत्ति का इस्लाम को मानने वाले एक व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण से अभिप्रेत है।" वक्फ के नियमों के अनुसार वह व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है वह अपनी सम्पत्ति को खुदा या अल्लाह की राह में समर्पित करता है उसको वक्फ कहते हैं। वक्फ के अनुसार यह सम्पत्ति अल्लाह और खुदा को समर्पित होती है इस सम्पत्ति का उपयोग अल्लाह के बन्दों खुदा के बन्दों के लिये होता है इसका उपयोग धर्मार्थ कार्यों के लिये होता है जो वक्फ की सम्पत्ति होती है वह अल्लाह के बन्दों के लिये होती है।

"वक्फ का शब्दिक अर्थ है-रोक रखना। वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपनी किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि के अन्तर्गत धार्मिक, पवित्र या खैराती प्रयोजनों के लिये किया गया स्थाई समर्पण वक्फ कहलाता है। वक्फ के माध्यम से वक्फ सम्पत्ति अल्लाह में निहित हो जाती है। इसका उपयोग अल्लाह के बंदों के लाभार्थ एवं हितार्थ धार्मिक, पवित्र एवं खैराती प्रयोजनार्थ किया जाता है। वक्फ करने वाले व्यक्ति को वाकिफ कहते हैं । वक्फ करने के पश्चात् वाकिफ के समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उन सभी अधिकारों का अंतरण अल्लाह के नाम से शाश्वत रूप से हो जाता है। वक्फ चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का किया जाता है। वक्फ का उद्देश्य निश्चित होना चाहिये। अवैध उद्देश्यों के लिये दी गयी सम्पत्ति, वाकिफ को वापस हो जायेगी। अल्लाह में निहित वक्फ संपत्ति का अधीक्षक मुतव्वली कहलाता है। मुतवल्ली अल्लाह में निहित वक्फ संपत्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रबन्ध संरक्षण देखभाल, व्यवस्था और अधीक्षण करता है। वक्फ दो तरह का होता है एक तो अललखैर है और दूसरा अललऔलाद। जिसके अनुसार कुछ अंश अल्लाह के लिये होता है और कुछ प्रतिशत अललऔलाद खर्चा होता है। वक्फ की देखभाल मुतवल्ली करता है। उसका काम करना है देख-रेख करना।

उत्तर प्रदेश में लगभग सवा लाख वक्फ सम्पत्तियां है। इनमें से ज्यादातर पर भू-माफिया काबिज हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड इन सम्पत्तियों को भू-माफियाओं से छुड़ाने में असहाय साबित हो रहा है। कुछ वर्ष पहले व्यावसायिक दृष्टिकोण से बेशकीमती वक्फ जमीनों को बेचने में खुद वक्फ बोर्ड के अधिकारी शामिल पाये गये थे। शायद यही वजह है कि ताज को वक्फ बोर्ड के हाथ जाने पर इस बात से मुतमइन नहीं हो पा रहे हैं कि ताज की हालत दूसरे वक्फ सम्पत्तियों जैसी नहीं होगी। वक्फ अपनी सम्पत्तियों की सुरक्षा खुद नहीं करता है। वह अललखैर और अलल औलाद के रूप में अल्लाह के वंदे करते हैं। यह सदन सहमत होगा मुस्लिम वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों के द्वारा खुर्दबुर्द किया गया। जो वक्फ नाम की बात की जा रही है उसमें बताना चाहूंगा कि अब्दुल लोहारी की बादशाहनामा में जिस तथाकथित वक्फ का उल्लेख है वह खास ताजमहल के बारे में नहीं वरन केवल 30 गांवों के बारे में है। इसमें स्पष्ट लिखा है दान के लिये वक्फ की स्थापना की गई इसमें राजस्व सम्मलित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बादशाहनामा में जिस वक्फ का उल्लेख है वह ताजमहल के बारे में नहीं वरन केवल 30 गांवों के बारे में है। धनौली बुर्ज 320, औहाली 300, रमन्नई 300, कुकथा 250, धमसारी 240, धकरोटा 200, सामू 200, गोधना 170, पिथौली 160, थेरी 150, अतौरा 150, मल्लापुर 140, लरवन्डा 120, जुवैनी 120 इस प्रकरण में विवाद कहां से शुरू हुआ फिरोजाबाद जिले के इस्लामगंज मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद इरफान बेदार ने 13 मई, 1998 को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें उन्होंने ताजमहल को कदीम शाही वक्फ दर्शाते हुये इसका पंजीकरण

वक्फ अलल खैर के रूप में चाहा। बोर्ड द्वारा पुरातत्व विभाग को नोटिस जारी की गई। 27 मार्च, 1999 को अधीक्षण पुरातत्व विभाग की ओर से नोटिस के जवाब में ताजमहल को भारत सरकार की सम्पत्ति कहा गया, परन्तु व्यक्तिगत सुनवाई के लिये निर्धारित की गई 4 तिथियों पर पुरातत्व विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उधर 29 मई, 2003 को नवाब शाह मो0 शोएब खान की तरफ से भी ताज महल को वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज करने का आवेदन आ गया। इसी बीच श्री बेदार द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की प्रार्थना की गई। उच्च न्यायालय ने आठ नवम्बर, 2004 को याचिका का निस्तारण करते हुये सुन्नी वक्फ बोर्ड को निर्देशित किया कि याची द्वारा प्रस्तुत करने पर इसका निस्तारण तीन महीने की अवधि में कर दिया जाये। याची की तरफ से 31 दिसम्बर, 2004 को बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण की सुनवाई के लिये 17जनवरी, 2005 को संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किये गये और अलग-अलग तिथियों को हुई सुनवाई के बाद 13 मई, 2005 को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताज महल को वक्फ सम्पत्ति करार दिया।

मान्यवर, मुझे लग रहा है कि उस पवित्र और भारत के उस आश्चर्यजनक गौरव को, भारत के गर्व को जिसकी देखरेख भारत सरकार के जिम्मे है, आज जब कि उसके ऊपर जो वाह्य शक्तियां हैं, खतरा पैदा करने वाले जो लोग हैं, उनके टारगेट में हैं, क्या ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकार के अतिरिक्त कोई कर सकता है ? यह बात मैं ही नहीं ए0 एस0 आई0 प्रबन्धन ने भी रखी है। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नमाज पढ़ने की अनुमति दी है, शुक्रवार को 12 से 2 बजे तक, इदुलफितर और इदुलजुहा में भी 3 घण्टे के नमाज की सुविधा है, फतेहपुर मस्जिद में नमाज पढ़ने की छूट है। मान्यवर, अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी वक्फनामा नहीं किया, उनकी निष्ठा भारत में थी, भारत माता में थी, ऐसे बहादुर शाह जफर के वंशजों ने जो हावड़ा में रहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि ताज महल को वक्फ की सम्पत्ति नहीं होना चाहिये और इसे भारत सरकार के प्रबन्धन में ही रहना चाहिये। मान्यवर, जो बोर्ड अपने कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दे पा रहा है, जब उसका गठन 1960 में हुआ था तब उसके पास सवा लाख वक्फ सम्पत्तियां थी, उसको भी वह संभाल कर नहीं रख पाया। जिस पवित्र उद्देश्य से वक्फ बनाया गया था, उसका भी उपयोग उस खैरात के काम के लिये बोर्ड नहीं कर पाया, ऐसे में यदि ताजमहल जैसी इमारत उनके नियंत्रण में चली गयी तब वक्फ बोर्ड इसकी हिफाजत कैसे करेगा ? जिसका जिक्र मैंने किया है और जो मेरा संकल्प है कि ताजमहल को भारत सरकार की ए0 एस0 आई0 के प्रबन्ध में रहना चाहिये। मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा, वर्तमान सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं, कौकब हमीद साहब उन्होंने भी इस बात को कहा है कि वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है वह व्यवस्था यथावत् चलनी चाहिये और वक्फ मंत्री जी शाकिर अली जी भी इसी मत के हैं कि ताजमहल भारत सरकार के प्रबन्धन में ही रहना चाहिये। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, वक्फ की सम्पत्ति का प्रबन्धन और देखरेख के लिये मुतवल्ली होता है और उसकी मदद के लिये कुछ और लोगों की तैनाती की जाती है। मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूं, जामा मस्जिद दिल्ली के जो शाही इमाम हैं, वह उस मुतवल्ली जी के द्वारा नियुक्त एक तरीके से कर्मचारी हैं।

मान्यवर, लेकिन जामा मस्जिद में और उसके चारों तरफ दुकानों का जो साम्राज्य खड़ा है और देश का प्रत्येक नागरिक और उस समाज के लोग भी और खुद सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड भी इससे प्रसन्न नहीं है। यदि ताजमहल के आसपास भी इसी तरह का दुकानों के अतिक्रमण का साम्राज्य खड़ा हो गया तो क्या होगा ? मान्यवर, मैंने जो विषय रखा है उसमें भारत सरकार के अधिनियम व इसके साथ-साथ में जिस वक्फनामे का जिक्र किया जा रहा है, भारत सरकार का दिनांक 18-11-1920 को नोटिफिकेशन सं0-1442 एम0, दिनांक 18-11-1920 तथा उसके बाद नोटिफिकेशन सं0-1645-एम0/1133, दिनांक 22-12-1920 का नोटिफिकेशन हुआ है। जिसमें क्रम संख्या-23 'द ताज एण्ड ग्राउण्डस इन्क्लुडिंग द मस्जिद आन द वेस्ट साइड द पैवेलियन्स आन द इस्ट एण्ड वेस्ट साइड्स आफ द ग्राउण्ड्स फोर टावर्स एट दी कार्नर्स आफ द गार्डन, ग्रेट साउथ इन्टरेंस गेट वे एण्ड ग्रेट कोर्टयार्ड सराउडेंड बाई क्लोस्टर्स आगरा एट आगरा, 24 सहेलियों का गुम्बज नं0 1 आन द साउथ वेस्ट कार्नर आफ द ताज एट आगरा, 25 सहेलियों का गुम्बज नं0-2 ईस्ट आफ आउटर वाल राउन्ड द ताज, 26 सहेलियों का गुम्बज नं0 3 ईस्ट आफ आउटर वाल राउन्ड द ताज गार्डन्स, 27 सहेलियों का गुम्बज नं0 4 मोस्ट आफ आउटर वाल राउण्ड ताज गार्डन्स, 28 फतेहपुरी मस्जिद-आन द साउथ वेस्ट कार्नर आफ आउटर इंटरेंस टू द ताज।' इसमें स्वीकर कर लिया है इसका सबका उल्लेख करते हुये सरकार ने उसको अधिगृहीत किया था। मान्यवर, वर्ष 1904 और 1954 के केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से जो इमारत राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित हो चुकी हो और जिसका प्रबन्धन ए0 एस0 आई0 के प्रबन्धन में हो। वर्ष 1960 के वक्फ एक्ट के माध्यम से, जिस वक्फ एक्ट में यह प्राविधान भी न हो कि इसमें केन्द्रीय अधिनियम की कौन सी धारा अतिक्रमित होगी और उसके द्वारा इसको लेने की बात की जाये। सेन्ट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमको हाई कोर्ट ने सुनने का आदेश दे दिया है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-40 में दिया है।

डिसिजन इफ ए प्रापर्टी इज ए वक्फ प्रापर्टी-

(1) द बोर्ड मे इटसेल्फ कलेक्ट इन्फार्मेशन रिकार्डिग एनी प्रापर्टी व्हिच इट हैज रीजन टू बिलीव टू बी वक्फ प्रापर्टी एण्ड एनी क्वेश्चन एराइचेज व्हेदर ए पार्टीकुलर प्रापर्टी इज वक्फ प्रापर्टी आंर नाट आंर व्हेदर ए वक्फ ए सुन्नी वक्फ आंर शिया वक्फ इट मे, आफ्टर मेकिंग सच इन्क्वारी एज इट मे डीम फिट, डिसाइड द क्वेश्चन (2) द डिसीजन आफ द बोर्ड आन ए क्वेश्चन अण्डर सब सेक्शन (1) शैल अनलेस रिवाल्व आंर माडीफाइड बाई द ट्रिब्यूनल, बी फाइनल। और इसके बाद धारा 32- पावर्स एण्ड फंक्शन आफ द बोर्ड-(1) सब्जेक्ट टू एनी रूल्स दैट में बी मेक अण्डर दिस एक्ट, द जनरल सुपरिटेन्डेन्स आफ आल वक्फ इन ए स्टेट शैल वेस्ट इन द बोर्ड इस्टेबलिस्ड आंर द स्टेट, एण्ड इट शैल बी द ड्यूटी आफ द बोर्ड सो टू इक्सरसाइज इट्स पावर्स अण्डर दिस एक्ट एज टू एन्श्योर दैट द वक्फ अण्डर इट्स सुपरिटेन्डेन्स आर प्रोपर्ली मेन्टेन कन्ट्रोल्ड एण्ड एडमिनिस्टर्ड एण्ड द इन्कम देयर आफ इज ड्यूली एप्लाइड टू द आब्जूक्टस एण्ड फार द परपज फार व्हिच फार व्हिच सच वक्फ वेयर क्रियेटेड आर इन्टेन्डेड प्रोवाइडेड दैट इन इक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स अण्डर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट आफ एनी वक्फ, द बोर्ड शैल एक्ट इन कन्फर्मिटी विथ द डाइरेक्शन आफ द वक्फ, द परपजेज आफ द वक्फ एण्ड एनी यूज आंर कस्टम आफ द वक्फ सैंग्संड बाई द स्कूल आफ मुस्लिम लां टू व्हिच द वक्फ बिलांग। (2) विदाउट प्रिज्युडिस टु द जनरेलिटी आफ द फोरगोइंग पावर, द फंक्शन आफ द बोर्ड शैल बी-

मान्यवर, इसके अन्तर्गत इसकी उपधारा (डी)-टू सेटल स्कीम्स आफ मैनेजमेन्ट फार अ वक्फ है। इसी वक्फ ऐक्ट में यह व्यवस्था है कि वक्फ बोर्ड द्वारा दिया गया निर्णय ट्रिब्यूनल के सामने जाएगा और ट्रिब्यूनल के निर्णय के बाद यह अन्तिम होगा। मैं इस संकल्प के माध्यम से इस सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि इसका प्रबन्धक यथावत बना रहे और यह राष्ट्रीय गौरव का स्मारक बचा रहे। इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि वर्ष 1991-2001 तक ए0 एस0 आई0 और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में पत्राचार हुआ। ए0एस0आई0 का दावा प्रबंधन मान लिया तब अपने द्वारा पूर्व के दिये गये निर्णय को रिव्यू करने का अधिकार उसी को नहीं है, अगर मैं वादी हूं किसी मामले में तो मैं ही उस मामले का स्वयं न्यायाधीश कैसे बन सकता हूं और मैं ही फैसला देने वाला अधिकारी हूं। यदि वक्फ बोर्ड में ऐसी स्थिति है तो मा0 उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा था कि वादी आप हैं तो आप ही सुनवायी कर लें। यह सही है कि उस समय वादी श्री बेदार साहब थे। सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को इन्होंने वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित करने की बात कही थी और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने फैसला दिया है कि उसकी सम्पत्ति होगी, उसका वह प्रबन्धन करेगा, वह इसकी आय का सात प्रतिशत लेंगे वही इसका प्रबन्धन करेगा, अगर यह फैसला दिया है तो मान्यवर, केवल इतना निवेदन है कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है इसलिए तब तक, जब तक सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे इस संकल्प के माध्यम से मा0 वक्फ मंत्री और सरकार से तथा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जनता जिसके मन में चिन्ता व्याप्त हो गयी है, जो कि संसार का आठवां आश्चर्य का विषय है, भारत का गौरव स्थान है कही प्रबन्धन के विवाद में विवादित न हो जाय। यह ए0 एस0 आई0 के प्रबन्धन में यथावत् बना रहे। भारत सरकार के प्रबन्धन में रहे। यह जनता को जानकारी चली जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह एक गम्भीर प्रकरण संकल्प के रूप में सदन के समक्ष है। बाजपेयी जी ने अच्छी बात कहीं है, जानकारी भी सदन की बढ़ायी है। दोनों ही ईदों का जिक्र उन्होंने किया लेकिन गलत नामों से, इसको वह दुरूस्त कर लेंगे। इनके नाम इस प्रकार हैं- ईदुलअजहा और ईदुलफितर। जुमा की नमाजें ईदगाह में नहीं होती हैं और नमाजें मजिस्द में होती है। तो इस तरह से पांचों वक्त की नमाजें होती हैं। जुम्मे की नमाज कोई अलग नहीं है। जुमे की नमाज जोहर की नमाज से थोड़ी बढ़ जाती हैं। इस दिन ज्यादा लोग जमा होते हैं इसलिए इसे जुमा की नमाज कहते हैं। यह इस्तमाई तौर पर होती हैं। एक ऐसा जुमा रमजान के महीने में आता है जब रमजान रूखसत हो रहा हो, आखिरी जुमा हो रहा हो तो उसे जुमेतुल विदा कहते हैं। दो वक्फ होते हैं एक तो वक्फ अलल खैर और एक वक्फ अलल औलाद। जिस बोर्ड का आपने जिक्र किया यह वैधानिक और संवैधानिक इदारा है। पार्लियामेंट से पास कानून से बना है। जिस प्रकार से भारत सरकार में तथा अन्य राज्यों में वक्फ मंत्री होते है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में वक्फ मंत्री हैं, उसके सचिव हैं और वक्फ बोर्ड का गठन होता है। विधान सभा, विधान परिषद्, राज्य सभा और लोक सभा के सदस्य उसमें चुनाव के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरिये आते हैं। कुछ औकाफ के मुतवल्ली चुनाव से आते हैं, संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, धर्म और इस्लाम के जानने वाले विशेषज्ञ होते हैं। इन सबसे बोर्ड का गठन होता है और उसी के चेयरमैन होते हैं। वक्फ बोर्ड एक एतबार से अदालती इदारा होता है। मुकदमे उसके सामने आते हैं, मुतवल्लियों के वक्फ जायदादों के और उसके चेयरमैन उसको सुनते हैं। सदस्यों को इसकी डेलीगेटेड पावर्स होती है वह भी सुनते हैं। वक्फ बोर्ड उसमें फैसला देता है न्यायिक फैसला। लेकिन यह आखिरी अदालत नहीं है। वक्फ बोर्ड के जो फैसले हैं वह दूसरी अदालतों में चैलेन्ज किये जा सकते हैं और चैलेन्ज किये जाते है। जहां तक ताजमहल का मामला है, बड़ी खुशी हुई यह जानकर की बाजपेयी जी ने उसे मोहब्बत का नजारा और शानदार इमारत कहा। अभी चन्द रोज पहले उन्होंने इस सदन में उसे तेजेश्वरी मन्दिर कहा था, इतनी बातें इस सत्र में आई, वह जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदारी से अपनी बात को कहा होगा, लेकिन कुछ शरारती तत्व, देश को तोड़ने की मंशा रखने वाले, इन्सानियत का खून बहाने वाले, जलाने मे यकीन रखने वाले, बरबाद करने वाले, उन्होंने कुछ ऐसा माहौल बनाना शुरू किया है, पिछले कई सालों से एक विवाद, जिसे कलंक के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, उसे हल करने की कोशिश की गयी। आप दूसरा विवाद खड़ा करके उसे राजनैतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ-अलल-खैर और वक्फ-अलल औलाद दो तरह के औकाफ होते हैं। जैसे कोई बाप अपनी औलाद को अपनी जायदाद न दे और अपनी सारी जायदाद किसी कालेज के लिए, किसी स्कूल को, किसी मदरसे को या किसी सामाजिक कार्य के लिए किसी को भी वक्फ कर दे। किस-किस को यह मिलेगा और इसका कौन सा हिस्सा, किस समाजी या मजहबी काम के लिए मिलेगा, तो ऐसी सारी जायदादें जिनमें व्यक्ति वक्फ करता है तो यह वक्फ-अलल-औलाद मानी जाती हैं, लेकिन कुछ जायदादें ऐसी होती हैं जैसे-कब्रिस्तान, मस्जिद, खानकाह जो सिर्फ मजहबी प्रचार के लिए है और धार्मिक आस्था और मान्यता के ऐतबार से वक्फ की जाती हैं जिसे वक्फ-अल-खैर कहते हैं, उसका मालिक अल्लाह होता है, व्यक्ति नहीं रहता है।

मैं अपनी जमीन में से या अपने पैसे में से एक एकड़, दो एकड़, पांच एकड़ जमीन खरीदूं और उसे कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दूं तो जिस वक्त मैंने नीयत की या मैंने वक्फ कर दिया तो वह जमीन मेरी नहीं रह गई, उसका मालिक अल्लाह हो गया। यूं तो हमारा मानना यह है कि सारी कायनात का मालिक एक ही है और सभी धर्म मानते हैं, उसे किसी नाम से कह लीजिए ईश्वर का, परमात्मा का, गाड का, सुप्रीम पावर सबका एक है, उसमें किसी का इख्तेलाफ नहीं है, लेकिन जो चीज वक्फ कर दी गई फिर वह व्यक्ति की नहीं रही, उसका मालिक अल्लाह हो गया। मैं इस बात को इसलिए विस्तार से बताना चाहता हूं ताकि यह समझ में आ जाए और इसलिए आ जाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की हदें क्या है ? वह किस हद तक जा सकते हैं ? खुद हमारी बोर्ड के बारे में आपकी क्या राय है, जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है। यह भी जरूरी नहीं है कि कोई चीज आज बहुत बुरी है तो कल वह बेहतर नहीं हो सकती और यह भी जरूरी नहीं है कि जो चीज आज बहुत अच्छी है तो कल वह बुरी नहीं हो सकती। जिस जमीन को वक्फ कर दिया गया, कब्रिस्तान की नीयत से तो उसी वक्त उसका मालिक अल्लाह है। कोई साहब मर गए हैं, उनकी कब्र बनना है, दफ्न होना है, हमें यह मालूम हो गया है जो जमीन अमुक साहब ने वक्फ को दी थी, आज वह जिन्दा कब्रिस्तान है यानी

उसमें कब्र हो गई लेकिन उस लोकलिटी में या किसी ने उस कब्रिस्तान में दफन होना पसन्द नहीं किया तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि जिस जमीन को वक्फ कर दिया गया कब्रिस्तान की हैसियत से तो उस कब्रिस्तान की हैसियत खत्म हो गई, जिसके लिए नियत कर दी गई, वह कब्रिस्तान ही है और चाहे कब्र गरीब की हो या कब्र अमीर की हो, इमारत छोटी हो या बड़ी हो, इमारत हो या न हो, कब्र, कब्र है और जब कब्र है तो वह रहेगी। ताज महल इमारत के ऐतबार से बहुत कीमती है, दुनिया की अजूबा है और बेशकीमत है और किसी के पास इसकी जमानत नहीं है, कि उसका भविष्य क्या है ?

मान्यवर, एकता परिषद् के रेज्योल्यूशन के बावजूद, सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों के बावजूद, हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद क्या कुछ हो चुका है न्यायिक प्रक्रिया के साथ, इससे हम सब वाकिफ हैं। तो दोनों बाते बिल्कुल अलग हैं। गलती दरअसल यह हो रही है कि दो बातों को एक साथ मिलाया जा रहा है कि आया यह कब्र है या नहीं है और इसका प्रबन्ध कौन देखेगा। वहां जो चलने वाली बुकिंग विन्डो है उसका पैसा किसके पास जायेगा। बुकिंग विन्डो का पैसा भारत सरकार के पास जाये, कोई एतराज नहीं है। ए0एस0आई0 का काम बुकिंग विन्डो पर बैठना नहीं होना चाहिए और न है। उनका काम है पुरातत्व विभाग के अन्दर जितनी इमारते देश भर में आती हैं उनकी हिफाजत करना, उनकी मरम्मत करना, उसकी देखभाल करना, उनकी रोकथाम करना और न गिरने देना उनका काम यह नहीं है कि वह देखें कि कितने टिकट बिकेंगे और कितने नहीं बिकेगें ? ताजमहल भी उनमें से एक है। ताजमहल बहुत अहम है लेकिन ताजमहल के अलावा हिन्दोस्तान में बहुत सी इमारतें हैं जो बहुत कम अहमियत की हो सकती हैं और ए0 एस0 आई0 के एतबार से उसकी अहमियत के एतबार से वह कम है मान्यवर। दो कब्रे हैं मान्यवर। आप औरंगाबाद जाइये, औरंगजेब की कब्र देखिए।

औरंगजेब के शासनकाल में हिन्दोस्तान सबसे बड़ा रहा है और हिन्दोस्तान जिसके वक्फ में सबसे बड़ा रहा है वह औरंगजेब है। 8-8 साल औरंगजेब मैदाने जंग मे रहे टैंट लगाकर, हिन्दोस्तान की सरहदों को बढ़ाते रहे। औरंगजेब की कब्र कुछ कच्ची थी जब लार्ड बहादुर हिन्दोस्तान आया तो औरंगजेब की कब्र पर संगेमरमर चढ़ाया गया। एक ऐसी दीवार खड़ी की गयी फिर भी लोगों ने उस पर छत नहीं ढ़लने दी। कुछ बहसे ऐसी हैं जिसे हम यहां नहीं करना चाहते है। लार्ड बहादुर ने कहा था कि इसे संगमरमर का बनाया जाय और इसे संगमरमर का सरकारी खर्चे से बनाओ वर्ना कही इसे लोग पीर-फकीर मान लेंगे। इस तरह से कोई मंहगा नहीं हो जाता, शानदार मकबरा बनाने से कोई मंहगा नहीं हो जाता। शहीदों की चिताओं पर लगेगें हर बरस मेले।

मान्यवर, बहुत बड़े-बड़े बादशाह है, अकबर बादशाह तो बहुत बड़े थे अकबर दि ग्रेट थे उनकी कब्र पर कौन जाता है ? कितने लोग फातिहा पढ़ने जाते हैं। फातिहा का मतलब यह है कि हम दुआ करते हैं उस सख्श के लिए जो जमीन के अन्दर है, कि ऐ मालिक इनके गुनाहों को माफ कर दे और तू इन्हें जन्नत में जगह दे। खुद शाहजहां के इस ताजमहल में जहां शाहजहां दफ्न हैं, मुमताज महल दफ्न हैं, हजारों लोग रोज वहां जाते हैं, उसमें मुसलमान भी होते है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसमें दो फीसदी भी मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं जो वहां फातिहा पढ़ने जाते हैं और सिर्फ ताजमहल की इमारत देखने जाते हैं। किसी को बादशाह और उनकी नेकी से बहस नहीं है।

क्योंकि ताजमहल का इतिहास ही मेरे जैसे आदमी के लिए इंसाफ की बुनियादों पर नहीं है। ताजमहल जो बना है वह बादशाह ने अपनी जाती मेहनत की कमाई से नहीं बनाया था, ताजमहल बना था।

भारत में रहने वाली जनता से लिए जाने वाले टैक्स से और इसीलिए कैद किया गया था शाहजहां को संग-ए-सिपाह से, काले पत्थर से, एक दूसरा ताजमहल बन रहा था, ताज शाहजहां के लिए नहीं था। ताज मुमताज के लिए था और मुमताज की कब्र ही बीच में है। क्योंकि संग-ए-सिपाह से दूसरा ताज जिसकी बुनियाद यमुना में मौजूद है आज, नहीं बन सका था। इसलिए शाहजहां को मुमताज महल के बराबर दफ्न कर दिया गया। तो यह इतिहास हम समझना ही नहीं चाहते कि क्या जिसे हम शरा कहते हैं, कानूने शरियत कहते हैं उसमें हमारी हदें क्या हैं ? बादशाह दफ्न हैं, फातिहा पढ़ने वाले नहीं है। इमारत महान है, दुनिया का अजूबा है लेकिन वहां दो कब्रे हैं तो कब्रिस्तान है। मस्जिद है तो नमाज होना चाहिए। सिर्फ जुमे की नमाज हो और कोई नमाज न हो, क्या यह न्याय है ? लेकिन आज जो संकल्प यहां रखा गया है और जो बात समाज के सामने या पूरे भारत, पूरी दुनिया में जिस तरह तोड़मरोड़ कर पेश की गयी है, असल बात वह नहीं है। हम तो महज इसलिए और खास तौर से मैंने भी कहा कि इन दो कब्रों को बहैसियत कब्र वक्फ की सम्मति में इन्द्राज कर लिया जाय, कि यह दो कब्रे हैं बस। मैं जानता हूं कि वक्फ बोर्ड कितना उसे मैनेज कर पायेगा। यह बात आपकी आज के दिन सही है कि जो वक्फ बोर्ड अपने मुलाजिमीनों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा था, अब दे पा रहा है। जो मौजूदा बोर्ड बना है, जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बेहतर किया है उसके हालात को। या जो वक्फ बोर्ड अपने कमियों की वजह से बदनाम है। मैं मंत्री रहा था और जितने दिन मंत्री रहा, उतने दिन तनख्वाह नहीं मिल सकी इसलिए नहीं मिल सकी कि जिस तरह और निगम हैं उसी तरह से इस वक्फ बोर्ड का भी सिस्टम है कि इतने प्रतिशत उस समय 4 प्रतिशत कमीशन था कि आप कमीशन लेकर आइये इसी से आपको तनख्वाह मिलेगी, कमीशन नहीं लायेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी और मेरे कार्यकाल में उनको तनख्वाह नहीं मिल सकी थी।

मान्यवर, सिर्फ इतना ही कहा गया और इतना ही चाहा गया कि इन दो कब्रो को बहैसियत कब्र दर्ज कर लिया जाय बाकी न तो इसका इन्तजाम वक्फ बोर्ड देख रहा है, न सरकार इसके पक्ष में हैं, न ही इसके बुकिंग विन्डों पर अपना कोई अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार या वक्फ बोर्ड रखना चाहता है। किसी तरह का कोई अधिकार नहीं चाहता है, यह बात हमने कई रोज पहले साफ कर दी थी और सदन में इसको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड सिवाय इन दो कब्रों को कब्र मानने के अलावा उसकी मिलकियत पर, हालांकि, यह हो सकता था कि वह उसका मुतालबा करते और वह वाजिब हो भी सकता था। जैसा मैंने कहा कि कब्र चाहे कितनी कीमती हो, इमारत कितनी ही महान हो, लेकिन कब्र है तो वह कब्र है, उसे कुछ और नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोई वक्फ बोर्ड का मुतालबा न सरकार की तरफ से, न अपनी तरफ से, न उसके इंतजाम देखने का है, न उसके रख-रखाव करने का है, न बुकिंग विन्डों से पैसा लेने का है। यह बात इस सदन के माध्यम से साफ हो जानी चाहिए। एहतियात सिर्फ इसलिये कि कुछ लोगों ने जलभिषेक किया है दो रोज पहले मंदिर मानकर। कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर 45 साल में एक और इमारत गिरायी जा सकती थी तो आने वाले कल में इसका भविष्य क्या होगा जुनूनी लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता ? उनके सामने न देश होता है, न एकता हैं, न इंसानियत है, न मोहब्बत है, न कीमत है,

न अजूबा है। उन्हें तो सिर्फ अपने कुछ राजनीतिक लाभ के लिये थोड़े से लाभ के लिए, अगर इतने लाभ के लिये इतना तोड़ना है तो वह तोड़ देंगे। वक्फ बोर्ड में यह कब्रे अगर दर्ज होगी तो अगर कभी कोई जुनूनी कोई मोहब्बत का दुश्मन ऐसा करे तो यह बात सबूत में रहे कि यहां दो कब्रे हुआ करती थी इसलिए यह समझता हूं कि संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई न ऐसी नीयत है न कोई ऐसा आदेश पारित हुआ है, न सरकार की तरफ से, न ही सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से सिवाय इन कब्रों को दर्ज किये जाने के अलावा। उसके प्रबन्धन में, उसकी आमदनी में, उसकी देखभाल में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह की कोई दखलन्दाजी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने है ही नहीं। बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी अपना संकल्प वापस ले लें।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ताजमहल से उन कब्रों को अलग किया जा सकता है, अलग-अलग करके विचार किया जा सकता है ? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यही बुनियादी सवाल है, यह है असल बात। मान्यवर, देखिए। आखिरकार इसे कहते हैं कि [xxx] यह कब्रे अलग करना चाहते हैं उससे। क्या-क्या अलग करेंगे ये, यह क्या ताजमहल से कब्रे अलग करके वहां ताजेश्वरी का मंदिर बनाया जा सकता है ? अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि क्या इनके इरादे हैं और क्या यह चाहते हैं ? कहां देश को ले जाना चाहते हैं और दुनिया के सामने हमारी क्या शक्ल पेश करना चाहते हैं कि [x x x] ।

क्या सोचेगी दुनिया अगर यह विचार पढ़ेगी। कल दुनिया में अखबारों में खबर जायेगी कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य ने यह मांग की, कि क्या ताजमहल से दो कब्रें हटाई जा सकती हैं ? तो दुनिया हमारे ऊपर क्या राय कायम करेगी ? क्यों हंसवाते हो जमाने को, क्यों जमाने में अपना मजाक बनवाते हो, क्यों रिश्तों को पारा-पारा करना चाहते हो ? ताजमहल, ताजमहल क्यों है ? मैं सफर कर रहा था ट्रेन में, कुछ साहिबान आपस में बातें कर रहे थे, जिनको सुनकर मुझे कष्ट हो रहा था। लेकिन इस डर से, मैं अपनी आइडेन्टिटी डिस्कलोज नहीं कर रहा था, कि मुझे डर था कि यह दरवाजा खोलकर मुझे बाहर न फेंक दें। बड़े-बड़े लोग थे, जब बात मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गयी तो मैनें उनसे कहा कि अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब दूं। उन्होनें मुझसे पूछा कि आप कौन साहब है ? मैंनें डरते-डरते उन्हें बताया कि में फलां हूं। तो उन्हें लगा कि बगैर यह जाने हुए, कि यह कौन हैं, उन्हें यह बातें नहीं करनी चाहिए। उन लोगों ने मुझसे दो सवाल किये, एक लाल किले के बारे में, जिसकी जरूरत नहीं है यहां और दूसरा ताजमहल के बारे में। उन्हीं में एक साथी आप जैसे थे। उन्होनें कहा कि अगर ताजमहल मुमताज के लिये शाहजहां ने बनवाया होता तो ताजमहल का नाम मुमताज महल होता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही ने निकाल दिया गया।

मैंने कहा कि अगर आप मुझे ट्रेन से फेंक न दें तो मैं इसका जवाब दूं। तो उन्होनें मुझसे वायदा किया कि नहीं हम आपको ट्रेन से नहीं फेकेगें। आप इसका जवाब दें। मैंनें यही कहा उनसे, कि डर लगता है, गुजरात का अंजाम सामने हैं, गुजरात भुगता है देश ने, कुछ भी कर सकते हैं आप। उन्होनें मुझसे वायदा किया और वह अपने वायदे पर अडिग रहे और उन्होनें ऐसा नहीं किया। मैने उनसे कहा कि शाहजहां की मोहब्बत तस्दीकशुदा है। शाहजहां मुमताज से बहुत प्यार करता था और इस बात की भी जमानतें हैं कि शाहजहां का कोई रिश्ता मुमताज के अलावा किसी और औरत से नहीं था। इतनी मोहब्बत करने वाले शाहजहां को यह मालूम होगा कि हो सकता है कि कभी ऐसा जमाना आये जब मुमताज को लोग मुमताज न कहें। तो इससे पहले कि माशूका के नाम की रेढ़ लगे, शाहजहां ने खुद उस मुमताज को ताज कर दिया। इसलिए इसको ताजमहल के नाम से जाना गया। इनकी एहतियातें जिस इमारत के लिये बरती गयी हों, जिस इमारत को बनने के लिये लाल किले की उस फसील से जहां एक मामूली सा शीशा लगाकर मुकइियूयत कैद में शाहजहां जिन्दा रहा हो और दुनिया के लिये और हिन्दुस्तान के लिये सिर उठाने के लिये एक इमारते यादगार छोड़ गया हो [x x x] ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह ज्यादती है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह ज्यादती नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मेरे यह कहने का मतलब नहीं था। एक स्पष्टीकरण के माध्यम से मैं यह जानना चाहता था। आपने यह कहा कि कब्रों का इन्द्राज केवल वक्फ बोर्ड करना चाहता है। हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसके ऊपर इतनी बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप दुबारा स्पष्टीकरण मांग लें। मान्यवर, हम बर्दाश्त के माहौल में रहने वाले लोग हैं और जिस व्यक्ति में और जिस विचार में सहनशीलता नहीं है, तो न वह व्यक्ति बचेगा, न वह विचार बचेगें। क्या कोई मुसलमान यह मुतालबा कर सकता है कि किसी मन्दिर से मूर्ति हटा दी जाय और इमारत को बाकी रहने दिया जाय और मैं उस मुसलमान को मुसलमान मानने को तैयार हो सकता हूं ? आज हमारे अन्दर यह रवादारी है यह हमारा लोकतंत्र है ? रवादारी की यह इंतेहां है कि हम ताजमहल जैसी इमारत से जो पूजनीय नहीं है, जो कोई मजार नहीं है, जहां कोई चादर नहीं चढ़ती, जहां कोई मन्नतें मांगने नहीं जाता, क्योकि वह सिर्फ बादशाह की कब्र है, वह किसी पीर-फकीर की कब्र नहीं है। जहां जाने वाले मुसलमानों में हाथ उठाकर दो फीसदी मुसलमान भी मगफिरत की दुआ नहीं मांगते जहां महज़ एक सरकारी धन का उपयोग या दुरुपयोग से की गई इमारत के लिए भी यह जज्बात हों कि उस इमारत से कब्रें हटा ली जाएं तो क्या ऐसी मानसिकता की निन्दा नहीं की जानी चाहिए।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, इसी के साथ मैं एक बार आपको फिर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह सिर्फ एक इमारत है और इसके अन्दर दो कब्रें हैं, जो एक सच्चाई है और सरकार की न कोई ऐसी मंशा थी, न है और न ही होगी, और न ही ऐसी कोई मंशा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। इसलिए मैं वाजपेयी जी से पुनः आग्रह करूंगा कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें क्योंकि अगर यह संकल्प बना रहेगा तो ग़लतफहमी की खबर बाहर जाएगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने यही कहा कि क्या लीगली इसको अलग-अलग करके देखा जा सकता है। शायद इसे माननीय मंत्री जी ठीक से समझ नहीं पाये और इस तरह से उन्होनें लम्बी तकरीर दे दी।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मैं नासमझी के लिए अपने आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन मैं विद्वान सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि एक कमरे के अन्दर दो कब्रें हैं, उन्हें कैसे अलग-अलग देखा जाए, वह निगाह कहां से लायी जाए, वह कानून कहां से लाया जाए, कैसे दोनों को अलग-अलग देखा जाए और जब देखा जाए तो आपका क्या इरादा है उसके बारे में ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा एक-एक शब्द कार्यवाही में देख लिया जाए, यह मेरी मंशा नहीं थी। मैं यह चाहता था कि क्या वास्तव में वक्फ बोर्ड को यह न्यायिक अधिकार हासिल है कि वह केन्द्र के द्वारा बनाये गये एक कानून में दखलन्दाज़ी कर सकता है ? इस दृष्टिकोंण से मैने कहा था कि क्या उसको अलग-अलग देखा जा सकता है, अलग-अलग किया जा सकता है नहीं, बल्कि क्या उसको अलग-अलग देखा जा सकता है ? मैंने इस हिसाब से स्पष्टीकरण चाहा था और आप यहां से ले करके गुज़रात तक पहुंच गये, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, लफ्ज़ों की बाजीगरी में मत जाइये। इसी सदन में आपने कहा था, आपका कौन भरोसा करता है, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें। मैं ताजमहल को एक अजीम इमारत के साथ-साथ हिन्दुस्तान की एक शान मानता हूं और हृदय से मानता हूं, इसके लिये मुझे किसी के प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है और उसके बारे में मेरी अपनी ख्वाहिश यह है कि वह जितना ज्यादा से ज्यादा समय तक बना रह सके, वह रहे, उसमें कोई दखलन्दाजी न हो, यह मैं चाहता हूं। फ़ानी ग़ाजीपुरी ने जिस

मंशा से कहा था, जो संसदीय कार्य मंत्री कहना चाहते हैं, दुरुपयोग और सदुपयोग, इसके बारे में कई शायरों ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन मैं इसे कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

हर वफ़ा, जिन्दा और ज़ावेद नहीं होती,
दिल का हर ज़ख्म कहीं दिल का कमल बनता है,
जब शहंशाह भी हो, इश्क भी, और दौलत भी,
तब कहीं जा के, एक ताज़महल बनता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरे द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया था, उसके पीछे की मंशा थी कि.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसका मतलब तो यह हुआ कि मोहब्बत करे तो बस शहंशाह करे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। एतराज उस सेंटेन्स पर हुआ कि सदुपयोग किया हो या दुरुपयोग किया हो, दो परसेंट लोग भी वहां जाकर फातिया नहीं पढ़ते। मेरा उस सेन्टेन्स से एतराज है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं आज भी वही मानता हूं, यही वजह थी शाहजहां के कैद होने की।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो दो परसेन्ट वाली बात कही और दुरुपयोग वाली बात कही है, उस पर एतराज है। ताजमहल बनाने के लिये तीन चीजें चाहिए, केवल एक चीज से काम नहीं चलता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बादशाहों की निशानियां, फकीरों की निशानियों से अलग हैं। अजमेर शरीफ की निशानी अलग है, कलियर शरीफ की अलग है। हमारे दीनी बुजुर्गों के मजारात और शहंशाहों के मकबरे दोनों अलग चीज हैं। हमारे लिये बुजुर्गों के मजारात शहंशाहों के मबकरों से कम नहीं है, उनकी अहमियत अलग है, वहां फातिहा होगी, वहां दुआ के लिये हाथ उठेंगे। लेकिन हमारे हाथ किसी बादशाह को पीर बनाने के लिये न थे, न हैं, न होंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरे संकल्प को देखें तो मैंने कहीं कोई विवादास्पद शब्द, बिन्दु और वाक्य नहीं कहा था लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने शासन की तरफ से उत्तर देते समय अपने शब्दों की बाजीगरी के आधार पर उससे सम्बन्धित कुछ विवादास्पद बिन्दुओं को भी छूने का प्रयास किया है। मैं यहां उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जिस मंशा से संकल्प को रखा था उसी तक सीमित रखना चाहता हूं जिसकी आड़ लेकर माननीय मंत्री जी ने कहा है उसका जवाब समाज उन्हें अपने आप देगा। माननीय मंत्री जी ने सरकार की तरफ से केवल इतनी चिंता व्यक्त की है कि कहीं कोई असामान्य घटना-दुर्घटना हो जाए तो उस समय यह प्रमाण मौजूद रहे कि यहां पर दो कब्रें थीं। इसके लिये सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड

अपने अधिकार का उपयोग करके दो कब्रें दर्ज करना चाहता है। क्या ए0एस0आई0 का रिकार्ड सुरक्षित नहीं रहेगा ? क्या भारत सरकार के रिकार्ड मे दर्ज प्रमाण किसी न्यायालय में मान्य नहीं होगा ? मेरा निवेदन है कि जिस मंशा से संकल्प को रखा गया था कि ताजमहल भारत सरकार के प्रबन्धन में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया के प्रबन्धन में रहे, उस पर सरकार को अपना मंतव्य देना था। हमने बाकी अन्य किसी विषय को नहीं छुआ था न उसका उत्तर देना चाहिए था अन्यथा इतिहास में दोनों तरह के तथ्य हैं और दोनों तरह के तथ्यों पर लोग विचार-विमर्श कर सकते हैं। लेकिन उसका हल अन्ततोगत्वा न्यायालय होगा। लेकिन यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रश्न विचारार्थ उपस्थित है उस पर कोई निर्णय आता है तब तक सरकार को यह कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जिस प्रकार भारत सरकार के प्रबन्धन में आज है, उसे यथावत बनाये रखेंगे। वक्फ अधिनियम, 1995 में यह है कि वक्फ बोर्ड के फैसले के बाद ट्रिब्युनल में जायेगा शायद वह हाईकोर्ट में गया है, हाईकोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में गया है तब तक सरकार को कहने में क्या आपत्ति है ? मैं फिर इस बात का विरोध व्यक्त करता हूं, आपत्ति व्यक्त करता हूं कि संकल्प की मूल भावना, संकल्प पर दिये गये मेरे विचार से हटकर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है जो नहीं देना चाहिए था। इन शब्दों को कहते हुए मैं आज भी इस मत का हूं कि इस देश और प्रदेश का एक-एक व्यक्ति, सभी धर्म, अपने मतो को मानने वाला व्यक्ति इस मत का है कि ताजमहल के प्रबन्धन को विवादास्पद बनाना, ताजमहल के प्रबन्धन के साथ छेड़छाड़ करना और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के प्रबन्धन से निकालने का प्रयास करना, यह अनुचित होगा। यह मानते हुए मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आज बाजपेयी जी, बड़ा तकनीकी बोले हैं बात सिर्फ प्रबन्धन के हद तक रखी है। शुक्रिया है ताजेश्वरी मंदिर तक नहीं आये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को अगर कहना चाहूंगा तो उसके प्रमाण हमारे पास हैं और मैं किताबें ले करके बैठा हूं। मैं केवल विषय तक ही सीमित रहना चाहता हूं नहीं तो और भी हमारे पास किताबें हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप बताइए आप कहेंगे तो मेरी बात प्रमाणित होगी। जो किताबें आप लायें है उसके प्रमाण आप रखिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

तब तो हमारे इसी संकल्प को बना रहने दें या फिर मुझे दूसरा संकल्प रखना पड़ेगा। जिसका हमें अधिकार है और फिर उस पर बहस हो जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आज बाजपेयी जी ने अपनी टिप्पणी में काफी एहतियात बरती है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या ताजमहल को ए0एस0आई0 के प्रबन्धन में रखा जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कौन इन्कार कर रहा है ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अगर संसदीयकार्य मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे कि ताजमहल का प्रबन्धन यथावत ए0 एस0 आई0 के पास रहेगा तो मैं अपने संकल्प को वापस ले लूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

उत्तर प्रदेश की सरकार का यह विश्वास है कि ए0एस0आई0 के प्रबन्धन में इसे रहना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

बाजपेयी जी अब आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरे संकल्प का उद्देश्य पूरा हो गया मैं अपने संकल्प को वापस ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के इस संकल्प कि 'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में आगरा स्थित ताजमहल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया भारत सरकार के प्रबन्धन में ही रखा जाय।' को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गरीब किसानों की फसलों को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर उन्हें हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर उन्हें दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाय।" के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, चूंकि अभी 4.00 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है इसलिये मैं श्री कौशल किशोर से निवेदन करता हूं कि वह अपने सकल्प को किसी अन्य दिन रखवा लें।

श्री कौशल किशोर-

मेरे संकल्प को 4 अगस्त को रख लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। श्री कौशल किशोर के संकल्प को आगामी 4 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत किया जाय।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 27 जुलाई, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 73 सूचनाएं प्राप्त हुईं :--

पहली सूचना डा0 विनोद तिवारी की प्रदेश के राजकीय मूक बधिर विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य राजकीय शिक्षकों की भांति सी0टी0 ग्रेड को मृत संवर्ग घोषित करते हुए एल0 टी0 ग्रेड में संविलियन किये जाने के सम्बन्ध में यह नियम 56 में प्राप्त हुई थी, जिसे नियम 51 में परिवर्तित किया गया। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री धर्म पाल सिंह की जनपद बरेली के तहसील आंवला में भारी ओला वृष्टि से किसानों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की प्रदेश के उप विद्यालय निरीक्षक एवं सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षक के वेतनमान के विचाराधीन प्रकरण को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में निर्माण निगम एवं भूमि सुधार निगम के सहयोग से बनी सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवीं सूचना श्री हरि प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय समायोजना के अन्तर्गत चेधईपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छटी सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुरादाबाद स्थित वीनस शुगर मिल के किसानों का गन्ना मूल्य अभी तक भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की 1981, 1991, 2001 की जनगणना के छंटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति/समायोजन न किये जाने के सम्बन्ध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है। आठवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज के किसानों की सहकारी बैंक में जमा धनराशि का आहरण न किये जाने के सम्बन्ध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। नौवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की जनपद बुलन्दशहर स्थित बाबू बनारसी दास चिकित्सालय के आपरेशन थियेटर में उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया जाता है। दसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की सुल्तानपुर इलाहाबाद रोड स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्यारहवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद हाथरस में मिट्टी का तेल व सालवेण्ट की बहुत बड़े पैमाने पर हो रही कालाबाजारी को रोकने के सम्बन्ध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया जाता है।

माननीय श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री परमेश्वर दयाल, श्री सदल प्रसाद, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री चन्द्र देव राम यादव, श्री राम विशुन आजाद, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री कौशल किशोर, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), डा0 रमेश चन्द विंद, श्री राम इकबाल सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री लल्लू सिंह, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री शिव तपस्या पासवान, श्री मसहूद खान, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री धर्मपाल सिंह, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, डा0 सुशील चौधरी, श्री दयाशंकर वर्मा, श्री कल्यान सिंह दोहरे, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रामहेत भारती, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, चौ0 महेन्द्र सिंह, श्री अनीस अहमद, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री भगेलू राम, श्री प्रताप चौधरी, श्री बैजनाथ दूबे, श्री आलम बदी, श्री काशी राम, श्री रतन लाल अहिरवार, श्री बीजू पटनायक, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्री राम मगन रावत, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री मदन चौहान, श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री राजेश कुमार, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री सुखदेव राजभर, श्री राधेश्याम सिंह, श्री लालजी वर्मा, डा0 राम बाबू हरित, श्री नवाब सिंह नागर, श्री प्रदीप माथुर, चौ0 महेन्द्र सिंह, श्री मुंशी लाल गौतम, डा0 विनोद तिवारी, श्री मिथिलेश कुमार, श्री कपिल देव यादव, श्री रामकरन आर्य, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री काली चरण राजभर तथा श्री बैजनाथ पासवान की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

परिवार कल्याण महानिदेशक द्वारा ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत मिले ढाई करोड़ रुपयों से ऊंचे दामों पर चिकित्सा सामग्री एवं उपकरण खरीद कर धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभू दयाल बालमीकि आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

मान्यवर, श्री प्रभु दयाल बालमीकि, श्री पूर्णमासी देहाती .....

(वक्तव्य लघु उद्योग मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

श्री जगदीश सिंह राना-

[माननीय सदस्यगण विधान सभा द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत दी गयी सूचना निम्नवत् है :-

"महानिदेशक परिवार कल्याण को केन्द्र सरकार से पी0एम0जी0वाई0 के अन्तर्गत विगत वर्षों में ढाई करोड़ रुपये मिले थे जिसमें चिकित्सा सामग्री एवं उपकरणों की खरीद करनी थी, इस धनराशि से 87 लाख के डिस्पोजेबुल सिरिंज, 58 लाख के पेट्रोमैक्स, 69 लाख के प्लास्टिक एप्रेन, 39.15 लाख के थर्मामीटर खरीदे गये जो मानकों के विपरीत ऊंचे रेटों पर बिना टेण्डर के खरीद कर ली गई है। सिरिंज खरीद में सारे नियम कानून ताक पर रख कर की गई है और फर्मों को भी लाभ पहुंचाया गया है इसका कमीशन महानिदेशक व इनके चहेतों द्वारा लेकर करोड़ों का गबन किया गया है। जो सिरिंज

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1.12 रुपये में खरीदी जा सकती थी उसे 1.44 रुपये में खरीदा, जो सिरिंज 1.30 रुपये में उपलब्ध थी उसे 1.68 में खरीदा गया, मात्र 87 लाख रुपये की खरीद में 20 लाख का अन्तर है जो या तो सप्लायर के जेब में गया या परिवार कल्याण महानिदेशक व इनके स्टाफ आफिसर राकेश कुमार के जेब में गया चूंकि राकेश कुमार भ्रष्ट चिकित्सक है और 10 वर्षों से अधिक समय से वहां पर तैनात रहकर मध्यस्थता का कार्य करते हैं ईमानदार अधिकारी स्टाफ अफसर बन सकता है परन्तु उसको पहुंचने नहीं देते हैं स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत भी ये आते हैं परन्तु कोई पूछने वाला नहीं है यहां तक कि शासन मौन धारण किया है। शासन को ये लोग कुछ नहीं समझते हैं मंत्री आदेशों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं यह बसपा माईन्डेड महानिदेशक व स्टाफ अफसर हैं सरकार को बदनाम करने की साजिश करते हैं अपने जाति विशेष को संरक्षण देते हैं तैनाती में प्राथमिकता उनको देते हैं स्थानान्तरण में धन उगाही खूब की जाती है। आप देखें तो 25 लाख रुपये से ऊपर की खरीद एच0पी0सी0 के अनुमोदन से होनी चाहिए। परन्तु महानिदेशक खुद प्रस्ताव बनाकर सारे खरीद कर डाली, महानिदेशक खुद एच0पी0सी0 के सदस्य हैं परन्तु सारे भ्रष्टाचार करना, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करना, दवाओं की खरीद में भी दुरुपयोग करना, इतना बड़ा घोटाला हुआ उसको दबाकर जांच न होने देना, करोड़ों की सम्पत्ति होना आदि विजिलेन्स जांच का विषय है जांच निष्पक्ष तभी होगी जबकि इनको पद से हटाया जा सके। महानिदेशक के व्यवहार से कर्मचारी आन्दोलित हैं और स्टाफ अफसर व महानिदेशक को तत्काल हटाने एवं सी0बी0आई0 जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी विभाग में करोड़ों का घोटाला फेमिली प्लानिंग में होने वाले सामानों की खरीद में हुआ है एन0जी0ओ0 जो कागजों पर चलवाते हैं उसमें भी कमीशन लेकर धन दिया जाता है सारे प्रकरण गम्भीर हैं और ऐसे अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए।"

श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि एवं डा0 पूर्णमासी देहाती, माननीय सदस्यगण, विधान सभा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई जा रही है।]

जनपद बागपत निवासी रिटायर्ड सूबेदार नरेन्द्र सिंह की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने एवं उनकी पिस्टल लूट लिये जाने के बावजूद सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य लघु उद्योग मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

[दिनांक 25-05-2005 को श्री देवेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सिखैड़ा, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत ने थाना बालैनी पर सूचना अंकित करायी कि मेरठ डिपो की बस नं0 यू0पी0-15/9954 जो कि मेरठ से बागपत को समय करीब 9.45 बजे चली थी, में एक अज्ञात व्यक्ति जानी बस स्टैण्ड से बस में चढ़ा तो बस परिचालक द्वारा किराया मांगा गया तो उस व्यक्ति ने किराया नहीं दिया तथा बस परिचालक को पिस्टल दिखाकर गाली गलौच करने लगा एवं जान से मारने की धमकी दी। यह बदमाश धौलडी मोड़ पर उतर गया। इस सूचना पर थाना बालैनी की पुलिस द्वारा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चेकिंग करायी गई तो यह अज्ञात बदमाश पीछे मेरठ की ओर से आ रही प्राइवेट बस में बैठा था तथा पुलिस को देखकर यह बदमाश पिछली खिड़की से धनराज शर्मा नामक व्यक्ति को धक्का देकर भाग निकला। इस दौरान जनता के काफी व्यक्तियों तथा पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो अज्ञात बदमाश द्वारा पुलिस एवं जनता के व्यक्तियों पर फायरिंग प्रारम्भ कर दी। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिससे संभवतः यह बदमाश घायल हो गया तथा जनता एवं पुलिस से घिरा देखकर अज्ञात बदमाश द्वारा हिण्डन नदी में झलांग लगा दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0-1278/05 धारा 307/504/506 आई0पी0सी0 एवं मु0अ0सं0-1279/05 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष, बालैनी द्वारा प्रारम्भ की गई तथा बाद में यह विवेचना क्षेत्राधिकारी, खेकड़ा के सुपुर्द की गई।

दिनांक 29-05-2005 को प्रभारी निरीक्षक, थाना सिंहानी गेट, गाजियाबाद द्वारा थानाध्यक्ष बालैनी को दूरभाष पर सूचना दी गई कि पुलिस चौकी नन्द ग्राम क्षेत्र में नदी में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला है, जिसके परिजनों ने इसकी शिनाख्त नरेन्द्र सिंह उर्फ लाला पुत्र वेद सिंह, निवासी वाजिदपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत के रूप में की है। यह भी अवगत कराया गया कि मृतक के परिजनों द्वारा थाना सिंहानी गेट, जनपद गाजियाबाद पुलिस को बताया गया है कि मृतक नरेन्द्र सिंह उर्फ लाला सेना में नायब सूबेदार था, जो सेवानिवृत्त हो चुका है तथा दिनांक 25-5-05 को मृतक अपने भाई सोमपाल की लाइसेन्सी पिस्टल लिए हुए था, जिसे थाना बालैनी पुलिस द्वारा चलायी गई गोली लगी तथा इससे उसकी मृत्यु हो गयी एवं शव बहते हुए यहां तक पहुंचा है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष, बालैनी द्वारा दिनांक 25-5-2005 को थाना बालैनी क्षेत्रान्तर्गत हुई मुठभेड़ के चक्षुदर्शी साक्षी श्री धनराज शर्मा से मृतक की पोस्टमार्टम से पूर्व शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, परन्तु आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा इसे सफल नहीं होने दिया गया। शव का गाजियाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 30-5-2005 को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया गया, जिनके द्वारा ग्राम वाजिदपुर, थाना बड़ौत में शव का अन्तिम संस्कार कर दिया गया। इस सम्बन्ध में वादी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री वेद सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत की लिखित तहरीर दिनांक 03-06-2005 के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0-1278ए/05 धारा 394/302/201 भा0दं0वि0 का अभियोग अज्ञात पुलिस कर्मी थाना बालैनी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। उक्त तीनों अभियोगों की विवेचना पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ के आदेश संख्या-सीआर-26 (119)05, दिनांक 20-6-2005 के द्वारा श्री रणधीर सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना सिंहानीगेट, जनपद-गाजियाबाद के सुपुर्द की गई जो अभी प्रचलित है। विवेचक प्रभारी निरीक्षक, थाना सिंहानीगेट, जनपद गाजियाबाद से दूरभाष पर की गई जानकारी के अनुसार विवेचना में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच उप जिला मजिस्ट्रेट, बड़ौत द्वारा प्रचलित है।

इस सम्पूर्ण घटना क्रम में कथित रूप से लिप्त हे0कां0 (प्रो0) 78 नागरिक पुलिस आनन्द पाल सिंह, कां0 374 दिलीप सिंह, कां0 204 वीरेन्द्र सिंह एवं कां0 229 पवन कुमार शर्मा द्वारा जनपद में नियुक्त रहते हुए विवेचना को प्रभावित करने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए इन कर्मियों का स्थानान्तरण दूरस्थ किए जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ से अनुरोध किया

गया है तथा हे0 कां0 (प्रो0) रोठपाल सिंह एवं कां0 328 ना0पु0 परमजीत सिंह का स्थानान्तरण इस जनपद से अन्यत्र हो चुका है।]

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम वाजिदपुर निवासी 47 वर्षीय रिटायर्ड सूबेदार नरेन्द्र सिंह की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई तथा 70 हजार रुपये नकद व पिस्टल लूट लिया गया तथा उनके शव को हिन्डन नदी में बहा दिया गया। ये अपराध पुलिस ने दिन दहाड़े किया। इस जघन्य अपराध के बारे में मीडिया एवं जागरूक जनता के दबाव के कारण जनपद बागपत के बालैनी थाने के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध का मुकदमा दर्ज हुआ। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं और थाने की पुलिस की गिरफ्तारी एवं निलम्बन नहीं किया गया।

यह बहुत ही चिन्तनीय विषय है। मैं इसमें सदन के सामने यह जघन्य मामला लाना चाहता हूं कि यह देशभक्त परिवार है इस परिवार के कई सदस्य भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। इस व्यक्ति के विरुद्ध कहीं भी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था फिर भी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई और इस गम्भीर मामले में अभी तक कोई न्याय संगत कार्यवाही नहीं की गई, इससे खेदजनक बात और क्या हो सकती है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात के लिये सदन को आश्वस्त करे कि इस मामले को, जिसकी विवेचना गाजियाबाद पुलिस कर रही है, सी0बी0आई0 को रैफर करने की कृपा करें।

श्री जगदीश सिंह राणा-

दिनांक 25-5-2005 को श्री देवेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सिखैड़ा, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत ने थाना बालैनी पर सूचना अंकित करायी कि मेरठ डिपो की बस नं0-यू0पी0 15/9954 जोकि मेरठ से बागपत को समय करीब 9.45 बजे चली थी, मैं एक अज्ञात व्यक्ति जानी बस स्टैण्ड से बस में चढ़ा तो बस परिचालक द्वारा किराया मांगा गया तो इस व्यक्ति ने किराया नहीं दिया तथा बस परिचालक को पिस्टल दिखाकर गाली गलौच करने लगा एवं जान से मारने की धमकी दी। यह बदमाश धौलड़ी मोड़ पर उतर गया। इस सूचना पर थाना बालैनी की पुलिस द्वारा चेकिंग कराई गई तो यह अज्ञात बदमाश पीछे मेरठ की ओर से आ रही प्राइवेट बस में बैठा था तथा पुलिस को देखकर यह बदमाश पिछली खिड़की से धनराज शर्मा नामक व्यक्ति को धक्का देकर भाग निकला। इस दौरान जनता ने काफी व्यक्तियों तथा पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो अज्ञात बदमाश द्वारा पुलिस एवं जनता के व्यक्तियों पर फायरिंग प्रारम्भ कर दी। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिससे संभवतः यह बदमाश घायल हो गया तथा जनता एवं पुलिस से घिरा देखकर अज्ञात बदमाश द्वारा हिण्डन नदी में छलांग लगा दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना बालैनी में आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष, बालैनी द्वारा प्रारम्भ की गई तथा बाद में यह विवेचना क्षेत्राधिकारी, खेकड़ा के सुपुर्द की गई। दिनांक 29-5-2005 को प्रभारी निरीक्षक थाना सिंहानीगेट गाजियाबाद द्वारा थानाध्यक्ष बालैनी को दूरभाष पर सूचना दी गई कि नदी में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला है और जिसके परिजनों ने इसकी शिनाख्त नरेन्द्र सिंह उर्फ लाला पुत्र वेद सिंह निवासी वाजिदपुर, थाना बड़ौत जनपद

बागपत के रूप में की है। शव का गाजियाबाद पुलिस ने 30-5-2005 को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

डा0 अजय कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रिटायर्ड सूबेदार नरेन्द्र सिंह को फर्जी मुठभेड़ में मारकर उसकी लूट की गयी इसमें जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनके निलम्बन की कार्यवाही कर और इन्हें गिरफ्तार करके, सी0बी0आई0 से इस मामले की जांच कराये जाने की संस्तुति सरकार करेगी ?

श्री जगदीश सिंह राणा-

मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध दर्ज नहीं है, उसको फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मार गिराया गया उसकी हत्या करने के साथ-साथ उसके 70 हजार रु0 एवं एक पिस्टल लूट ली गई। मामले की गम्भीरता को समझते हुए अपराध संख्या-1278 (ए)/05 धारा 394/302/201 में केस दोषियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है तो उनको गिरफ्तार करके उनके निलम्बन की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ? यह मेरा सवाल भी है।

श्री जगदीश सिंह राणा-

जांच बैठा दी गई है। जांच होने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी।

(मद संख्या 16 पुकारे जाने पर श्री घूरा राम के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आपकी मद संख्या-17 पर है, आप बैठ जायं। अभी मद संख्या-16 पुकारा है।

फैजाबाद सुल्तानपुर मार्ग में श्री तेज बहादुर मिश्रा एवं उनके भाई विजय बहादुर मिश्रा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु एवं उनका मोबाइल, पिस्टल एवं रुपया पुलिस कर्मियों द्वारा लूटे जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य लघु उद्योग मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

[उपर्युक्त प्रकरण में श्री ओ0पी0 सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25-7-2005 को इस आशय की सूचना दी गई है कि फैजाबाद-सुल्तानपुर मार्ग पर ट्रक एवं जीप के मध्य टक्कर हो जाने से श्री तेज बहादुर मिश्र एवं उनके भाई श्री विजय बहादुर मिश्र की मृत्यु हो गई एवं वहां पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मृतक के लाइसेन्सी पिस्टल, मोबाइल एवं 3,50,000/-रुपया भी ले लिया। मृतक का मोबाइल थाना कूड़े भार में तैनात एक दरोगा के पास से बरामद हुआ। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जेल भेज दिया गया परन्तु रुपया एवं पिस्टल बरामद नहीं हो सका है। इस कारण आम जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है। इस सम्बन्ध में दिनांक 25-7-2005 को मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा प्रकरण में दिनांक 27-7-2005 को वक्तव्य देने के आदेश दिये गये हैं। तद्नुसार पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर से प्राप्त सूचनानुसार स्थिति निम्नवत् है :-

श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र निवासी बाघराजपुर, थाना कूड़ेभार, सुल्तानपुर ने दिनांक 25-1-2005 को तहरीरी सूचना दी कि ट्रक चालक यू0पी0-42टी-1621 ने उसके पिता तेज बहादुर मिश्रा, चाचा विजय बहादुर मिश्रा व नौकर राजेश की जीप में आते समय बाबूगंज के पास टक्कर मार दिया जिससे तीनों की मौके पर मृत्यु हो गयी। घटना में लाइसेन्सी बन्दूक क्षतिग्रस्त हो गयी। मेरे भाई की पिस्टल मेरे चाचा के पास थी जो कहीं गायब हो गयी। उक्त सूचना के आधार पर थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0-84/05 धारा 279/304ए भादंवि व एम0वी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना की गयी। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त रामशंकर पुत्र दयाराम निवासी बीकापुर जिला फैजाबाद दिनांक 9-3-05 को हाजिर अदालत हो गया। विवेचना से अभियुक्त उपरोक्त पर उक्त अभियोग में जुर्म प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र दिनांक 10-3-2005 को न्यायालय प्रेषित किया गया। लेकिन दुर्घटना में गुम पिस्टल की तलाश जारी रखने हेतु विवेचक को निर्देशित किया गया।

दिनांक 24-5-2005 को वादी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि घटना में मोबाइल गायब हो गया था। उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर पुनः थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0-568/05 धारा 379/404 भादंवि पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में हेड कां0 श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, थाना कूड़ेभार को दिनांक 24-5-05 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गुमशुदा मोबाइल सेट मय सिम बरामद किया गया। अभियुक्त हेड कां0 राजेन्द्र मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 20-7-2005 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। घटना में सम्मिलित अन्य पुलिस कर्मी, गुम रुपये तथा पिस्टल की तलाश हेतु विवेचक को कड़े निर्देश दिये गये हैं। जनता में किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं है।]

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि दिनांक 24-5-2005 को वादी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि घटना में मोबाइल गायब हो गया था। उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर पुनः थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0-568/05 धारा 379/404 भा0दं0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के अनुक्रम में हेड कांस्टेबिल श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र, थाना कूड़ेभार को दिनांक 24-5-05 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गुमशुदा मोबाइल सेट मय सिम बरामद किया गया। अभियुक्त हेड कांस्टेबिल राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 20-7-2005 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। घटना में सम्मिलित अन्य पुलिस कर्मी गुम रुपये तथा पिस्टल की तलाश हेतु विवेचक को कड़े निर्देश दिए गए हैं। जनता में किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट प्रश्न जानना चाहता हूं जब यह आपने स्वीकार कर लिया है कि हेड

कांस्टेबिल जिसे रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उसने दुर्घटना में घायल लोगों को उपचार देने के बजाए लाइसेन्सी पिस्टल और मोबाइल रुपया जो था ले लिया। वह मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य पुलिस कर्मी जनपद में तैनात हैं विभिन्न थानों में तैनात हैं जब वह पुलिस कर्मी है तो उनकी क्या खोज हो रही है ? आज तक उनको निलम्बित नहीं किया गया। गिरफ्तार नहीं किया गया ? पुलिसकर्मी उसी जनपद के थानों में तैनात हैं। त्रुटि कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको खोजने की बात कही जा जा रही है। पुलिस कर्मी जो राजेन्द्र मिश्रा के साथी थे उन्हें निलम्बित करके गिरफ्तार किया जायेगा ? अगर किया जाएगा तो सरकार कब तक उनको गिरफ्तार करवायेगी ?

श्री जगदीश सिंह राणा-

घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वह पुलिस कर्मचारी वहां तैनात हैं तो उनको हटा दिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह)-

आप कह रहे हैं पुलिस कर्मचारी तैनात हैं तो उनको कहां खोजना है ? राजेन्द्र प्रसाद मिश्र के दो साथी संकटा प्रसाद और आनन्द यह दो लोग जो घटना स्थल पर थे उनको खोजने की क्या आवश्यकता है ? एक तो गिरफ्तार कर लिया गया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक तरफ तो पुलिस बलों को सम्मानित करने का काम करते हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटना करने वाले लोगों पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाए। उन्हें निलम्बित करके गिरफ्तार किया जाए। उसी जनपद में वह तैनात हैं।

श्री जगदीश सिंह राणा-

घटना की सम्मिलित जांच हो रही है। इस जांच के बाद जो कार्यवाही होगी उसकी विवेचना की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

दोषी तो पुलिस कर्मी है। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 हो। माल की बरामदगी हुई है। उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए।

श्री जगदीश सिंह राणा-

इसकी जांच की जाएगी पूर्ण रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह)-

जो व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल चला गया जो सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होकर जेल चला गया। वह तो अपने आप निलम्बित है। घटना में सम्मिलित अन्य पुलिस कर्मी जो जवाब में कहा गया है घटना में सम्मिलित गुम रुपये तथा पिस्टल की तलाश हेतु विवेचक को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

आप स्वयं कह रहे हैं कि पुलिस कर्मी घटना में शामिल है।

श्री अधिष्ठाता-

सारी बात आ गई है।

श्री जगदीश सिह राणा-

जो आरोपी होगें उनको बख्शा नहीं जाएगा।

रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु अवशेष धन अवमुक्त किये जाने एवं अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घूराराम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-17 का अन्तरिम उत्तर आने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। मुझे आप संरक्षण दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। सूचना एकत्रित हो रही है, आपको मिल जायेगी। इसको स्थगित कर दिया गया है।

जनपद मऊ में छोटी सरयू नदी की सफाई के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि को अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक मसूद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है जनपद आजमगढ़ एवं मऊ में छोटी सरयू नदी ....

डा0 अजय कुमार-

पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य लघु उद्योग मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री जगदीश सिंह राणा-

[की सफाई हेतु वर्ष 2003 में रु0 66.05 लाख के प्राक्कलन के विरुद्ध 30.00 लाख रुपये पूर्वान्चल विकास निधि से अवमुक्त किया गया जिसके विरुद्ध कार्य हुआ। अवशेष धनराशि रु0 36.05 लाख न तो अवमुक्त हुई है और न ही कार्य हुए हैं जिससे क्षेत्रीय जनता और किसानों में रोष व्याप्त है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि छोटी सरयू ड्रेन की कुल लम्बाई 69.100 कि0मी0 है, इसमें से 0.00 से 45.00 कि0मी0 तक जनपद मऊ में तथा कि0मी0 45.00 से 69.100 कि0मी0 तक जनपद आजमगढ़ की सगड़ी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मऊ में छोटी सरयू नदी ड्रेन (नदी) की चैनेलाइजेशन की पुनरीक्षित परियोजना लागत रु0 299.80 लाख की स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष मार्च, 2005 तक रु0 249.00 लाख आवंटित कर कार्य कराये जा चुके हैं। अवशेष धनराशि रु0 50.80 लाख अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। प्रश्नगत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में वर्षाकाल के बाद कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद आजमगढ़ स्थित कि0मी0 45.00 से 69.00 कि0मी0 तक की छोटी सरयू ड्रेन के चैनेलाइजेशन की योजना लागत 66.05 लाख जिलाधिकारी, आजमगढ़ के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने पर नियोजन विभाग द्वारा रु0 66.05 लाख की स्वीकृति 7 मार्च, 2003 को पूर्वान्चल विकास निधि के अन्तर्गत की गयी थी, जिसके सापेक्ष मार्च, 2003 में रु0 30 लाख प्राप्त हुआ था। इस अवधि के सापेक्ष कार्य वर्ष 2003-04 में सम्पादित कराया गया। शेष रु0 36.05 लाख का आवंटन अभी अप्राप्त है। धनराशि प्राप्त होने पर यह कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।]

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 27 जुलाई, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर।)

विवरण

	लघु मरम्मत एवं अनुरक्षण मद के अन्तर्गत कराये गये कार्य-		90 प्रतिशत	10 प्रतिशत
1	आवासीय भवनों में विभिन्न शिकायतें संबंधी कार्य		88606	9845
2	धनवन्तरी छात्रावास के अन्दर सफेदी आयल बाउण्ड डिस्टेम्पर, पेंटिंग का कार्य		311097	34566
3	धनवन्तरी छात्रावास के बाहर स्नोसिम पुताई का कार्य		311138	34570
4	व्याख्यान कक्ष सं0-1 के पास क्षतिग्रस्त दीवार बनाने का कार्य		40491	4499
5	कैम्पस के आवास सं0-17, 18 के अन्दर सफेदी, आयल बाउन्ड पेन्टिंग का कार्य	100 प्रतिशत	13460	
6	कैम्पस के आवास सं0-17, 18 के बाहर स्नोसिम की पुताई का कार्य	,,	10185	
7	कैम्पस के आवास सं0-4/4 के अन्दर सफेदी आयल बाउन्ड, पेन्टिंग का कार्य	,,	11190	
8	आवास सं0-4/29 में अन्दर सफेदी, आयल बाउन्ड, पेन्टिंग व बाहर स्नोसिम पुताई	,,	21500	
9	आवास सं0-4/3 में अन्दर सफेदी आयल बाउण्ड पेन्टिंग की पुताई का कार्य	,,	11200	
10	आवास सं0-पी0आर0-16 में अन्दर सफेदी, आयल बाउण्ड पेन्टिंग की पुताई का कार्य	,,	13380	
11	छात्रावास सं0-दो में बाहर स्नोसिम की पुताई का कार्य		305637	33960
12	छात्रावास सं0-दो में अन्दर सफेदी, आयल बाउण्ड पेन्टिंग की पुताई का कार्य		311382	34598
13	छात्रावास सं0-दो में टेल बिंग खातीबाबा साइड सेप्टिक टैंक बनाने का कार्य		89910	9990
14	नर्सिंग छात्रावास के धरातल की जलापूर्ति सुधार का कार्य		52173	5797

अनुसंधान विधान सत्र

15	नर्सिंग छात्रावास में पी0वी0सी0 ड्रेन पाइप बदलने का कार्य		88209	9801
16	नर्सिंग छात्रावास में कमरों की लेट्रिन मरम्मत सम्बन्धी कार्य	भाग-1	73755	8195
		भाग-2	60390	6710
17	नर्सिंग छात्रावास में सेप्टिक टैंक बनाने का कार्य		89883	9987
18	नर्सिंग छात्रावास में सीवर सफाई कराने का कार्य		29709	3301
19	आडोटोरियम व कार्यालय बरामदा गैलरी में सफेदी आयल बाउण्ड स्नोसिम पुताई		39375	4375
20	परीक्षा भवन में सफेदी, आयल बाउण्ड पेन्टिंग की पुताई का कार्य		17712	1968
21	छात्रावास सं0-1 की टेलविंग प्रथम तल की लीकेज शौचालय व बाथरूम मरम्मत		73125	8125
22	छात्रावास सं0-1 की टेलविंग द्वितीय तल की लीकेज शौचालय व बाथरूम मरम्मत		70145	7794
23	धनवन्तरी छात्रावास में टेलविंग प्रथम तल की लीकेज शौचालय व बाथरूम मरम्मत		71762	7974
24	पी0आर0 9 से 12 एवं 17 से 20 तक के आवासों हेतु सेप्टिक टैंक बनाया जाना		89955	9995
25	टाइप-1,2 में नालियों की सफाई एवं पाइप लीकेज मरम्मत हेतु लेबर संबंधी	100 प्रतिशत	19284	---
	लघु मरम्मत एवं अनुरक्षण मद में व्यय धनराशि		2314653	246050

पो0एस0यू0पी0-एल0 186 विधान सभा (322)-28-10-2005-813 (कम्प्यूटर)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा